



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(पर्यावरण, लोक निर्माण, ऊर्जा और उद्योग विभाग)



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(पर्यावरण, लोक निर्माण, ऊर्जा और उद्योग विभाग)

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

कड़िका	विवरण	पृष्ठ
	<i>प्रस्तावना</i>	iii
	<i>कार्यकारी सारांश</i>	v-ix
अध्याय 1: सामान्य		
1.1	इस प्रतिवेदन के बारे में	1
1.2	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)	1
1.3	लेखापरीक्षिती विभागों का व्यय विवरण	2
1.4	लेखापरीक्षा प्राधिकार	2
1.5	लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	3
1.6	लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए विभागों की प्रतिक्रिया	4
1.7	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण	6
1.8	अभिस्वीकृति	8
अध्याय 2: लोक निर्माण विभाग		
2.1	प्रस्तावना	9
2.2	संगठनात्मक स्वरूप	10
2.3	बजट आवंटन तथा व्यय	10
2.4	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	10
2.5	वित्तीय प्रबंधन	10
2.6	योजना एवं प्राक्कलन	11
2.7	निष्पादन	12
2.8	आंतरिक लेखापरीक्षा	13
2.9	निष्कर्ष	14
2.10	अनुशंसायें	14
अध्याय 3: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
3.1	प्रस्तावना	15
3.2	बजट आवंटन और व्यय	16
3.3	लेखापरीक्षा का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र	16
3.4	योजना की तैयारी तथा डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाना	16
3.5	निधि का उपयोग	22
3.6	कार्य आवंटन तथा उनका निष्पादन	23
3.7	निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण	27
3.8	निष्कर्ष	30

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
3.9	अनुशंसायें	30
अध्याय 4: ऊर्जा विभाग		
4.1	प्रस्तावना	31
4.2	कंपनी की संगठनात्मक संरचना	32
4.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	32
4.4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति	32
4.5	लेखापरीक्षा मानदंड	33
4.6	ताप विद्युत केन्द्र की विद्युत उत्पादन प्रक्रिया	33
4.7	परियोजना का निर्माण	34
4.8	परियोजना की योजना	34
4.9	संयंत्र के लिए अनुबंधों की निविदा एवं निष्पादन	37
4.10	सिविल कार्यों का निष्पादन	42
4.11	संचालन प्रदर्शन	43
4.12	विद्युत गृह के संचालन हेतु ईंधन प्रबंधन	46
4.13	विद्युत गृह के प्रमुख आउटटेज	48
4.14	पर्यावरण अनुपालन	49
4.15	निष्कर्ष	51
4.16	अनुशंसायें	52
अध्याय 5: वन विभाग		
5.1	प्रस्तावना	53
5.2	संगठनात्मक संरचना	54
5.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा मानदण्ड	55
5.4	लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	55
5.5	आवंटन और व्यय	55
5.6	वन भूमि के व्यपवर्तन का विवरण	56
5.7	वन भूमि का व्यवपवर्तन	56
5.8	संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन	63
5.9	प्रतिपूरक वनीकरण में किए गए वृक्षारोपण से संबंधित मुद्दे	65
5.10	कैम्पा निधियों से अनियमित व्यय	67
5.11	निगरानी एवं मूल्यांकन	69
5.12	निष्कर्ष	75
परिशिष्ट		77–123
संक्षिप्त रूपों की शब्दावली		125–128

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित है। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित की गयी है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2020-21 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हे प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2020-21 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

I सामान्य

इस प्रतिवेदन में "निधि प्रबंधन और न्यू डेवलपमेंट बैंक ऋण के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन", "मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन", "मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, खंडवा के विद्युत गृह-II के निर्माण, संचालन तथा संधारण" और "मध्य प्रदेश में वन भूमि का व्यपवर्तन और प्रतिपूरक वनीकरण निधियों का प्रबंधन" की लेखापरीक्षा आपत्तियों से संबंधित 04 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल हैं जिनका कुल मूल्य ₹ 2,855.69 करोड़ है।

• विभागों का व्यय

यह पाया गया कि 31 मार्च 2021 तक, इस प्रतिवेदन में शामिल विभागों का व्यय ₹ 47,490.09 करोड़ था। इस राशि में, वित्त विभाग से संबंधित ₹ 15,010.41 करोड़ और ऊर्जा विभाग से संबंधित ₹ 10,818.55 करोड़, सभी 18 विभागों के कुल परिव्यय का 50 प्रतिशत से अधिक है।

(कंडिका 1.3)

• लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग के उत्तर

कार्यालय प्रमुखों और उनके रिपोर्टिंग प्राधिकारी को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल टिप्पणियों का उत्तर देना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 तक, विगत वर्षों से संबंधित कुल 2,972 विभागीय निरीक्षण प्रतिवेदन और 18,186 कंडिकाओं के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों (राजस्व विभागों के अलावा) के कुल 344 निरीक्षण प्रतिवेदन और 2,316 कंडिकाओं का निराकरण लंबित था।

(कंडिका 1.6.1 तथा 1.6.5)

• लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों के संबंध में शासन का उत्तर

प्रशासनिक विभागों को लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशों पर, सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से छः महीने के अन्दर, की गई कार्रवाई की टिप्पणियों (एटीएन) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 तक, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों (राजस्व विभागों के अलावा) के संबंध में 35 कार्यान्वयन प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(कंडिका 1.6.4)

• सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संबंधी समिति (कोपू) की सिफारिशों के संबंध में शासन का उत्तर

वर्ष 1973-74 से 2015-16 की अवधि के लिए पाँच विभागों से संबंधित 17 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में कोपू के सिफारिश प्रतिवेदन पर 33 कार्यान्वयन प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(कंडिका 1.6.5)

II लोक निर्माण विभाग

"मध्य प्रदेश में न्यू डेवलपमेंट बैंक ऋण के माध्यम से निधि का प्रबंधन तथा प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन"

• वित्तीय दायित्व को उत्पत्ति

अनुबंध की सामान्य शर्तों की धारा 14.8 के अनुसार, यदि ठेकेदार को अनुबंध डाटा की उप-धारा 14.7 के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो ठेकेदार विलंब अवधि के दौरान भुगतान न की गई राशि पर मासिक चक्रवृद्धि वित्तपोषण शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य के कुल मूल्य ₹ 607.38 करोड़ के विरुद्ध ₹ 226.79 करोड़ की राशि चार प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक रनिंग अकाउंट बिल से रोक लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ की वित्तीय देयता की उत्पत्ति हुई।

(कंडिका 2.5.1)

● विनिर्देश से निम्न स्तर कार्य का निष्पादन

आईआरसी: 94 की धारा 6.5 के अनुसार, घने बिटुमिनस मैकाडैम सतह को एक उपयुक्त बियरिंग कोर्स बिछाने के बाद तथा जब यह आसपास के तापमान के बराबर ठंडा हो जाता है, यातायात के लिए खोला जा सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि विशिष्टियों के विपरीत, घने बिटुमिनस सतह की सुरक्षा के लिए बीच में कोई अन्य कोर्स बिछाए बिना सघन बिटुमिनस मकाडम सतह को अगले कोर्स, बिटुमिनस कंक्रीट द्वारा एक महीने और 15 महीने के अंतराल के बाद कवर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.16 करोड़ का कार्य विशिष्टियों से निम्न स्तर का हुआ।

(कंडिका 2.7.2)

● ठेकेदार से रॉयल्टी की कम वसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 68(1) एवं शासन के आदेश (फरवरी 2003) के अनुसार ठेकेदारों के अन्तिम बिल का भुगतान खनन विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा, जिसके न होने पर बिलों से रायल्टी की कटौती कर खनन मद में जमा कर दी जायेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के लिए ठेकेदारों से ₹ 31.74 करोड़ की रायल्टी वसूल की जानी थी, लेकिन ₹ 15.22 करोड़ ही वसूल किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.52 करोड़ की रॉयल्टी की कम कटौती हुई।

(कंडिका 2.7.4)

III लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

“मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन”

● निगम द्वारा जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित नहीं करना

नियम-पुस्तिका की कंडिका 9.1 के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित जल स्रोत पूरे डिजाइन अवधि 30 वर्ष के लिए प्रणाली की 100 प्रतिशत पानी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ योजनाओं में, निगम द्वारा पूरे वर्ष जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित नहीं की गई थी, क्योंकि यह देखा गया था कि संबंधित जल स्रोत में 72 दिनों से 171 दिनों तक कोई पानी उपलब्ध नहीं था, 111 दिनों से 297 दिनों तक उपलब्ध पानी योजनाओं की तत्काल आवश्यकता से कम था।

(कंडिका 3.4.4.1)

● कार्य के निष्पादन में विलंब

योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निष्पादित संविदा की “अनुबंध शर्तों” की धारा 13 के अनुसार, पूरे कार्य को सभी प्रकार से कार्य प्रारंभ करने के आदेश जारी होने की तिथि से 18-24 माह के भीतर पूरा किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 147 कार्यों में से केवल आठ कार्य समय पर पूर्ण हुए थे जबकि पूर्ण कार्यों में औसत विलंब 257 दिनों का था, जबकि चालू कार्यों में यह 851 दिनों का था। 18 योजनाओं में से 12 योजनाओं को 586 दिनों के माध्यमिक विलंब से पूरा किया गया था और चालू छः योजनाओं में माध्यमिक विलंब 756 दिन था।

(कंडिका 3.6.3)

- **बैंक गारंटी को अनियमित रूप से जारी करना**

अनुबंध के भाग-III की धारा 3.5 के अनुसार, अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए ली जाने वाली सुरक्षा, अनुबंध राशि के 10 प्रतिशत के बराबर होगी, जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी के रूप में होगी जिसकी वैधता कार्य पूर्ण होने की तिथि के एक वर्ष बाद तक होगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 14.53 करोड़ की बैंक गारंटी ठेकेदारों को कार्य पूरा होने से पहले ही जारी कर दी गई थी। चार संभागों के 50 कार्यों में, ₹ 2.44 करोड़ की बैंक गारंटी या तो संचालन एवं अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने से पहले या कार्य पूर्ण होने से पहले अवमुक्त की गई थी।

(कंडिका 3.6.7 तथा 3.6.8)

IV ऊर्जा विभाग

“मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, खंडवा के विद्युत गृह-II का निर्माण, संचालन और संधारण”

- **परियोजना के विभिन्न चरणों में विलंब के कारण पूंजी पर प्रतिफल अप्राप्त रहा।**

कंपनी म.प्र.वि.नि.आ. विनियमों के अनुरूप परियोजना अनुमोदन और निष्पादन कार्यक्रम निर्धारित करने में विफल रही जोकि पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक थे। निर्धारित समय अवधि से वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक देरी ने कंपनी को बिजली संयंत्र के जीवनकाल (25 वर्ष) के दौरान ₹ 120.75 करोड़ की सीमा तक पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ से वंचित कर दिया।

(कंडिका 4.8.1)

- **जल प्रभार ₹ 67.80 करोड़ का परिहार्य भुगतान**

कंपनी ने विद्युत गृह I और II दोनों की जल आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) से जल का आवंटन (अगस्त 2013) प्राप्त किया। हालांकि, इकाई 3 को नवंबर 2018 में चालू किया गया था, और कंपनी को जल की खपत किए बिना जल प्रभार हेतु ₹ 67.80 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 4.8.2)

- **ठेकेदार को अग्रिम भुगतान में देरी के कारण निर्माण के दौरान बकाया ब्याज (आईडीसी)/निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईडीसी) के अप्राप्त दावे**

कंपनी ने 04 सितंबर 2014 को कार्यावंटन जारी किया और दिसंबर 2014 से जून 2015 के दौरान ठेकेदार को ₹ 375.07 करोड़ शुरुआती अग्रिम भुगतान किया। चूंकि कंपनी ने अग्रिम भुगतान में 60 दिनों से अधिक की देरी की, म.प्र.वि.नि.आ. ने 118 दिनों की अवधि के लिए ₹ 185.47 करोड़ आईडीसी और ₹ 29.56 करोड़ आईडीसी की अनुमति (मई 2021) नहीं दी।

(कंडिका 4.9.1)

- **खदानों पर लोडिंग छोर और ता.वि.के. पर अनलोडिंग छोर के बीच सकल कैलोरीफिक माप (जीसीवी) में कमी**

‘प्राप्ति चरण’ कोयले का जीसीवी ‘बिलिंग चरण’ से कम पाया गया, हालांकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, जीसीवी मूल्य, अर्थात् जीसीवी ‘बिलिंग चरण’, ‘प्राप्ति चरण’ लगभग समान होना चाहिए। 2018-19 से 2021-22 (अगस्त 2021) के दौरान, जीसीवी में 2,913 किलो कैलोरी/किग्रा तक के ₹ 71.54 करोड़ रुपये मूल्य की गिरावट आई थी।

(कंडिका 4.12.1)

- **कोयले की कमी के कारण, उत्पादन और स्थायी लागत के दावे में कमी**

कंपनी, कोयले की निरंतर और पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करने में विफल रही, जिसके कारण कोयले की कमी और आंशिक भार पर संयंत्र के संचालन के कारण, दिसंबर 2018, अप्रैल 2019 से जून 2019 तक और फिर अप्रैल एंव मई 2021 के दौरान उत्पादन का नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 724.59 एमयू तक उत्पादन में और ₹ 90.92 करोड़ की सीमा तक, स्थायी लागत की हानि हुई।

(कंडिका 4.12.2)

- **विद्युत गृह में स्थापित टर्बाइनों की विफलता के कारण अप्राप्त स्थायी लागत की वसूली की हानि**

पानी और भाप रसायन की निगरानी के लिए आवश्यक पर्याप्त सुविधाओं के बिना, इकाइयों के संचालन की शुरुआत के कारण टरबाइन की विफलता और लंबी अवधि के लिए इकाइयों के आउटटेज के कारण, बंद करने की अवधि के दौरान ₹ 1,044.38 करोड़ की निश्चित लागत की अप्राप्त वसूली के रूप में हानि हुई।

(कंडिका 4.13.1)

V वन विभाग

"मध्य प्रदेश में वन भूमि का व्यपवर्तन तथा प्रतिपूरक वनीकरण निधियों का प्रबंधन"

- **व्यपवर्तित वन भूमि का हस्तांतरण और उपयोग**

वन संरक्षण नियमावली, 2003 के नियम 6 के तहत निर्धारित प्रपत्र 'क' के भाग-II के अनुसार, गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन की मांग करते समय, डीएफओ का यह उत्तरदायित्व है कि वह वन भूमि की आवश्यकता को सत्यापित करे और यह प्रमाणित करे कि यह परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। सितंबर 1987 में, विभाग ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पक्ष में 2,731 हेक्टेयर वन भूमि का व्यपवर्तन किया। हालांकि, परियोजना के तहत 2,809.943 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो गई थी। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद, एम.ओ.ई.एफ. सी.सी. की संशोधित संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(कंडिका 5.7.2)

- **प्रतिपूरक वनीकरण लागत की कम वसूली**

मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) ने डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश जारी (फरवरी 2002) किये और बताया कि मण्डलों द्वारा स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार डी.पी.आर. तैयार किया जायेगा तथा तदनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से धनराशि की माँग की जायेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने डी.पी.आर. में गलत दरों को शामिल किया और प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 4.05 करोड़ की प्रतिपूरक वनीकरण लागत की वसूली करने में विफल रहा।

(कंडिका 5.7.7.2)

- **कैम्पा के तहत अपात्र गतिविधियों पर व्यय**

राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (जनवरी 2015) की 5वीं बैठक की कार्यवाही के अनुसार, राज्य में सामान्य वन गतिविधि राज्य की अपनी योजना निधि से की जानी चाहिए और कार्यों की ऐसी मदों के संबंध में दायित्व को कैम्पा को हस्तांतरित करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। कैम्पा निधि से वाहन की खरीद, भवनों के निर्माण आदि पर व्यय की अनुमति नहीं थी। विभाग द्वारा अनियमित रूप से अपात्र गतिविधियों पर ₹ 53.29 करोड़ का व्यय किया गया जिसे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए परिकल्पित किसी भी गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सकता।

(कंडिका 5.10.2)

- **कैम्पा निधि का उपयोग कर वृक्षारोपण पर अनियमित व्यय**

राष्ट्रीय कैम्पा ने संचालन की वार्षिक योजना का अनुमोदन (जून 2019) करते हुए दोहराया कि यदि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.व.वि.नि.लि.) के प्रबंधन नियंत्रण के तहत वन को कैम्पा निधि के एनपीवी घटक से पुनर्जीवित किया जाना है, तो इसका प्रबंधन पारिस्थितिक बहाली के लिए किया जाना चाहिए न कि वनों के व्यावसायिक दोहन के लिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 29.58 करोड़ का व्यय सागौन के रोपण पर अनियमित रूप से खर्च किया गया था जो एक व्यावसायिक गतिविधि थी जो प्रतिपूरक वनीकरण के तहत स्वीकार्य नहीं थी।

(कंडिका 5.10.3)

- **सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्राप्त न होना**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (जनवरी 2014) के अनुसार, प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी जिसके पक्ष में वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए व्यपवर्तित किया गया है, एफ.सी.ए. 1980 के तहत दिए गए प्रत्येक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर एक वार्षिक सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्ट अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी में तैयार करेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 678 भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में, विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसियों से सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी। यह वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हुए नुकसान की बहाली के प्रति अकुशल निगरानी और उदासीनता को दर्शाता है।

(कंडिका 5.11.4.3)

अध्याय 1

सामान्य

अध्याय 1 सामान्य

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में कार्यालय महालेखाकार¹ (लेखापरीक्षा-द्वितीय), भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) के पाँच² लेखापरीक्षित विभागों में से चार विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले विषय सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य उपर्युक्त विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियां बनाने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सहायक होंगे, जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा एवं शासन व्यवस्था बेहतर करने में योगदान मिलेगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना और आवृत्त क्षेत्र, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति विभागों और शासन की प्रतिक्रिया एवं पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्याख्या करता है।

1.2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)

मध्य प्रदेश शासन के अधीन 54 विभाग कार्यरत हैं। इन विभागों के प्रमुख, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव होते हैं, जिनकी सहायता विभागाध्यक्षों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), भोपाल 54 विभागों में से 21 विभागों की लेखापरीक्षा करता है। इसके अलावा, यह 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पांच स्वायत्त निकायों और दो सांविधिक निगमों की भी लेखापरीक्षा करता है।

लेखापरीक्षा कार्यालयों को जून-जुलाई 2020 में पुनर्गठित किया गया था, जिसके बाद लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (ए.एम.जी.) की अवधारणा स्थापित की गई।



लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन के बाद, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), भोपाल को निम्नलिखित विभागों का लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है:-

प्रमुख विभाग	लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (ए.एम.जी.)
वन और पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी	ए.एम.जी.-प्रथम
शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन	ए.एम.जी.-द्वितीय
राज्य वित्त, वाणिज्यिक कर, खनिज संसाधन, उद्योग, वाणिज्य	ए.एम.जी.-तृतीय
लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, ऊर्जा	ए.एम.जी.-चतुर्थ

इन समूहों के अंतर्गत विभागों की लेखापरीक्षा में राज्य शासन के विभागों के प्रशासनिक कार्यालयों, उनके अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले स्थानीय निकायों और स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा शामिल है।

¹ नगरीय विकास एवं आवास विभाग का अनुपालन लेखापरीक्षा भी इस कार्यालय द्वारा किया गया। यद्यपि, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा तैयार संयुक्त शहरी स्थानीय निकाय प्रतिवेदन में इसे शामिल किया गया है।

² लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन (उद्योग) विभाग।

1.3 लेखापरीक्षिती विभागों का व्यय विवरण

विभागों का व्यय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), भोपाल, के लेखापरीक्षा क्षेत्र में आने वाले मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा तीन वर्ष की अवधि 2018-19 से 2020-21 के दौरान, किए गए व्यय का सारांश नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) भोपाल के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों का व्यय

		(₹ करोड़ में)		
क्र. सं.	विभाग का नाम	2018-19	2019-20	2020-21
1.	वन	2,437.90	1,993.88	2,503.52
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	175.73	70.97	150.83
3.	नगरीय विकास एवं आवास	5,739.50	4,608.33	5,661.58
4.	संस्कृति	230.07	147.73	146.64
5.	पर्यटन	170.53	155.40	100.95
6.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	767.22	850.43	895.30
7.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	780.85	817.98	483.50
8.	वित्त	12,280.90	12,288.40	15,010.41
9.	कुटीर और ग्रामोद्योग	191.84	121.60	92.09
10.	योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	228.95	211.27	79.40
11.	ऊर्जा	12,682.46	8,177.02	10,818.55
12.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	257.92	109.26	60.41
13.	लोक निर्माण	8,647.47	7,886.39	6,882.08
14.	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	2,530.04	2,990.54	4,499.13
15.	पर्यावरण	54.74	27.15	41.02
16.	अध्यात्म	189.06	55.08	39.20
17.	नागरिक विमानन	27.79	26.84	25.10
18.	प्रवासी भारतीय	0.39	0.05	0.38
योग		47,393.36	40,538.32	47,490.09

(स्रोत: प्रासंगिक वर्षों के लिए म.प्र. शासन के वित्त एवं विनियोग लेखों से एकत्रित आंकड़े)

1.4 लेखापरीक्षा प्राधिकार

लेखापरीक्षा के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से लिया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा करता है:

- विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13 के तहत की जाती है;
- सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है;
- विभागों की राजस्व की लेखापरीक्षा, डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 16 के तहत की जाती है;
- स्वायत्त निकायों (स्वा. नि.) की वित्तीय लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2)³ और 19(3)⁴ के अनुसार जाती है; तथा

³ संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार संसद या उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत स्थापित निगमों (कंपनियों के रूप में नहीं) के लेखों की लेखापरीक्षा।

⁴ संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान सभा या उसके द्वारा बनाए गए कानून अंतर्गत स्थापित निगमों (कंपनियों के रूप में नहीं) के लेखों की लेखापरीक्षा।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांतों और कार्यप्रणालियों को लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा संबंधी विनियमों, साथ ही दिशानिर्देशों नियम पुस्तिकाओं तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देशों द्वारा या उनकी ओर से निर्धारित किए जाते हैं।


1.5 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), भोपाल ने 18 विभागों (राजस्व विभागों के अलावा) की कुल 1805 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 177 इकाइयों का अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की गई। यह प्रतिवेदन चार विभागों के अंतर्गत, चार लेखापरीक्षा विषयों (कंडिका 2.1 से 5.12) पर लेखा टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन, एक इकाई या इकाइयों के एक समूह) के संबंध में जानकारी सभी महत्वपूर्ण मामलों में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं आदि के साथ तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और लोक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांत का अनुपालन में है।

निम्नलिखित अनुक्रमण सारणी, आयोजन की प्रक्रिया, लेखापरीक्षा के संचालन और लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रतिवेदन को दर्शाती है:

चार्ट 1.1: लेखापरीक्षा की आयोजना, संचालन और प्रतिवेदन तैयार करना



प्रत्येक इकाई के अनुपालन लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के बाद, एक निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमें लेखापरीक्षा टिप्पणी सम्मिलित होती है, इकाई के प्रमुख को इस अनुरोध के साथ जारी की जाती है

कि वे उक्त नि.प्रे. प्राप्ति के एक महीने के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने करे। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा टिप्पणी को या तो हटा दिया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दी गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के पहले प्रारूप कंडिका/ निष्पादन लेखापरीक्षा/ अनुपालन लेखापरीक्षा के रूप में, शासन को उनके प्रत्युत्तर हेतु जारी किया जाता है। तत्पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सममितलित किया जाता है ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर कार्यालय प्रमुख और अगले उच्च अधिकारियों को प्रतिउत्तर दिया जाना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। नि.प्र. में संप्रेषित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जिला/ राज्य स्तर पर बैठकों में सामयिक अंतराल पर चर्चा भी होती है।

31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 2,972 विभागीय निरीक्षण प्रतिवेदन और 18,186 कंडिकाएं (सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर) तालिका 1.2 में दर्शाये गए ब्यौरे अनुसार निपटान के लिए लंबित थे।

तालिका 1.2: मार्च 2022 के अंत में राजस्व विभागों के अलावा अन्य लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/ कंडिकाओं का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
1.	वन	221	2,609
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	10	56
3.	नगरीय विकास एवं आवास	1,614	9,426
4.	संस्कृति	115	460
5.	पर्यटन	04	31
6.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	05	19
7.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	42	218
8.	वित्त	319	854
9.	कुटीर और ग्रामोद्योग	09	30
10.	योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	101	373
11.	ऊर्जा	32	100
12.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	05	17
13.	लोक निर्माण	359	2,939
14.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	80	850
15.	पर्यावरण	37	121
16.	अध्यात्म	04	12
17.	नागरिक विमानन	15	71
18.	प्रवासी भारतीय	00	00
	योग	2,972	18,186

निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई के अभाव से इन प्रतिवेदनों में दर्शाये गए गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के जारी रहने का जोखिम रहता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण का कमजोर होना, सार्वजनिक वस्तुओं/ सेवाओं का अकुशल और अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और राजकोष को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा कंडिकाओं में चिह्नित प्रकरणों को दूर करने हेतु राज्य शासन को समीक्षा करने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों से अपेक्षित हैं कि वे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित मसौदा लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित उत्तर को उनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के दौरान चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने और छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध के साथ अग्रेषित की गयी थी। यह उनके निजी संज्ञान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना संभव है, जिसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/ प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित किया जाना वांछनीय होगा। शासन की प्रतिक्रियाएँ, जहाँ भी प्राप्त हुई हैं, उन्हें इस प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.6.3 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षाओं के, राज्य विधानमंडल में प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर इन पर विधिवत रूप से की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को इंगित करते हुए विभागीय उत्तर प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन हेतु, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी नोटिस या बुलावे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च 2022 तक, दो विभागों (राजस्व विभागों के अलावा) से वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित 04 कंडिकाओं पर विभागीय उत्तर लंबित है। विवरण तालिका 1.3 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.3: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं पर लंबित विभागीय उत्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग	दिनांक 31.03.2022 तक लंबित विभागीय उत्तर	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	विभागीय उत्तर प्राप्त करने की नियत तिथि
2014-15	वन	01	17 मार्च 2016	16 जून 2016
2018-19	लोक निर्माण	03	21 सितंबर 2021	20 दिसम्बर 2021
योग		04		

1.6.4 लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की अनुशंसाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की अनुशंसाओं पर, प्रशासनिक विभागों को, अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर कार्रवाई की गई कार्यान्वयन प्रतिवेदन (ए.टी.एन.) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 31 मार्च 2022 तक, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों (राजस्व विभागों के अलावा) के संबंध में 35 ए.टी.एन. अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

1.6.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति (कोपू) की अनुशंसाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

31 मार्च 2022 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजस्व विभागों के अलावा) के पिछले वर्षों से संबंधित कुल 344 निरीक्षण प्रतिवेदन और 2,316 कंडिकाएं निराकरण हेतु लंबित थी, जबकि, तालिका 1.4 में दर्शाए गये विवरण के अनुसार, वर्ष 2016-17 से 2018-19 अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो के दस कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

तालिका 1.4 कंडिकाओं का विवरण जिन पर विभागीय उत्तर अप्राप्त रहे

विभाग का नाम	2016-17 (कंडिका की संख्या और कंडिका क्रमांक)	2017-18 (कंडिका की संख्या और कंडिका क्रमांक)	2018-19 (कंडिका की संख्या और कंडिका क्रमांक)
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	1 (3.9)	---	1 (4.1)
लोक निर्माण	1 (3.1)	---	---

ऊर्जा	---	2 (2.1, 2.3)	2 (4.4, 4.5)
वित्त	---	1 (5.1)	---
वन	---	---	1 (4.2)
पर्यटन	---	---	1 (4.3)
योग	02	03	05

कोपू द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन⁵ जारी करने के बाद, वर्ष 1973-74 से 2015-16 की अवधि के लिए पांच विभागों से संबंधित 17 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (33 ए.टी.एन. और 157 कडिकाएं) के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन मार्च 2022 तक प्राप्त नहीं हुये थे जैसा कि **परिशिष्ट 1.2** में वर्णित है।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

मध्य प्रदेश शासन के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा में लागू नियमों, संहिताओं और नियमावली के गैर-अनुपालन, सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में चूक और उपयुक्तता के मानदंडों का पालन करने में विफलता के उदाहरण सामने आए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य शासन के चार विभागों से संबंधित चार अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ समाहित हैं।

1.7.1 मध्य प्रदेश में न्यू डेवलपमेंट बैंक ऋण के माध्यम से निधि का प्रबंधन तथा प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन।

(लोक निर्माण विभाग)

लेखापरीक्षा ने सात लोक निर्माण संभागों में वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक ऋण सहायता के माध्यम से किये गये प्रमुख जिला मार्गों के निर्माण एवं उन्नयन से संबंधित अभिलेखों की जांच की।

लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका कि मार्गों के चयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का वास्तव में पालन किया गया था। चार संभागों में, घने बिटुमिनस सतह की रक्षा के लिए निर्धारित विशिष्टियों के विपरीत, घने बिटुमिनस मैकाडम सतह को बिटुमिनस कंक्रीट के अगले कोर्स से एक महीने से 15 महीने के अंतराल के बाद कवर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.15 करोड़ मूल्य के निम्न स्तर के कार्य हुए।

लेखापरीक्षा ने एक संभाग में देखा कि माप पुस्तिकाओं में उपभोग की गई सामग्री की गलत मात्रा दर्ज की गई थी और इस संबंध में ठेकेदार को ₹ 1.49 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

1.7.2 मध्यप्रदेश में राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का क्रियान्वयन

(लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

लेखापरीक्षा ने विभाग के 55 संभागों में से 10 लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संभागों में राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित की जा रही 58 योजनाओं में से 18 योजनाओं के वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के अभिलेखों की जांच की।

विभाग योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा था। लेखापरीक्षा ने अनुचित आकलन के मामले देखे जिसके कारण अतिरिक्त लागत आई। लेखापरीक्षा ने कार्यों/योजनाओं के निष्पादन में भारी विलंब देखा। 10 संभागों में 147 कार्यों (116 पूर्ण एवं 31 चालू) में से केवल आठ कार्य समय से पूर्ण हुए थे जबकि पूर्ण कार्यों में औसत विलम्ब 257 दिनों का था जबकि चल रहे कार्यों में यह 851 दिनों का था। 18 योजनाओं में से 12 योजनाओं को 586 दिनों की औसत देरी से पूरा किया गया

⁵ इस कार्यालय में दिसंबर 2004 से मार्च 2022 के बीच प्राप्त हुआ।

था और छह चल रही योजनाओं में उनके निर्धारित समापन की तारीख से 756 दिनों की औसत देरी हुई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदारों को अमान्य भुगतानों, क्षतिपूरक शास्ति की वसूली न होना, अनियमित अग्रिम भुगतान, कार्यनिष्पादन प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा राशि को अनियमित जारी करना इत्यादि के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। दो योजनाओं में ₹ 14.53 करोड़ की बैंक गारंटी, कार्य पूर्ण होने से पहले ही ठेकेदारों को जारी कर दी गई। चार संभागों के 50 कार्य में, ₹ 2.44 करोड़ की बैंक गारंटी या तो संचालन और संधारण की अवधि के 24 महीने पूरा होने से पहले या काम पूरा होने से पहले जारी की गई थी।

पांच संभागों में 11,248 बसावटों (मार्च 2019) में से 1,914 बसावट और तीन संभागों के अंतर्गत 10,829 बसावटों (मार्च 2020) में से 493 बसावट जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित नहीं करने के कारण पूरी तरह से आच्छादित बसावटों की श्रेणी से वापस हो गए हैं। कार्यों/ योजनाओं की निगरानी एवं संचालन और संधारण की कमी के कारण विभाग पर्याप्त गुणवत्ता एवं मात्रा का जल उपलब्ध कराने में भी विफल रहा था।

1.7.3 मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन (एस.एस.टी.पी.एस.), खंडवा के पावर हाउस—द्वितीय का निर्माण और संचालन एवं संधारण (ऊर्जा विभाग)

लेखापरीक्षा ने श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन (एस.एस.टी.पी.एस.), खंडवा के विद्युत गृह—II के निर्माण और संचालन प्रदर्शन का कंसल्टेंट द्वारा वर्ष 2009—10 में व्यवहार्यता अध्ययन की तैयारी के बाद से 28 मार्च 2019 तक संयंत्र को चालू करने सहित 31 मार्च 2021 तक संचालन प्रदर्शन को कवर किया।

कंपनी (एम.पी.पी.जी.सी.एल.)⁶ ने परियोजना के विलम्बित समापन के चलते तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्माण के दौरान ब्याज तथा आकस्मिक व्यय ₹ 215.03 करोड़ की अस्वीकृति के कारण इक्विटी पर ₹ 120.75 करोड़ की राशि के अतिरिक्त रिटर्न का लाभ खो दिया। अविवेकपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप जल प्रभारों के रूप में ₹ 67.80 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ। कंपनी ने ₹ 102.32 करोड़ का अतिरिक्त भार ग्रहण किया क्योंकि इसने देरी की अवधि के दौरान कमी को कम करने के लिए महंगी दरों पर बिजली खरीदी।

नए चालू संयंत्र में बड़े आउटेज के कारण 9036.55 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई और ₹ 1055.54 करोड़ की निश्चित लागत की वसूली नहीं हुई। एस.एस.टी.पी.एस., विद्युत गृह—II न तो एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित संचालन मापदंडों को पूरा करता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि, ईंधन की अधिक खपत और निश्चित लागत की गैर / कम वसूली होती है तथा न ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) के स्टैक उत्सर्जन, ऐश के निपटान और पानी की खपत के संबंध में जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करता है।

1.7.4 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं मध्य प्रदेश में क्षतिपूरक वनरोपण निधि का प्रबंधन (वन विभाग)

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017—18 से 2019—20 की अवधि के लिए पी.सी.सी.एफ. (सी.ए.एम.पी.ए.) कार्यालय और 100 संभागों में से 17 संभागों के कार्यालय में वन भूमि के प्रत्यावर्तन और क्षतिपूरक वनरोपण निधि से व्यय संबंधित अभिलेखों की जांच की।

लेखापरीक्षा ने त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना और वनरोपण हेतु स्थल के गलत चयन देखा। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। 122 मामलों में {हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल 60.01 (हेक्टेयर)} जिसमें एक हेक्टेयर से

⁶ एम.पी.पी.जी.सी.एल.— मध्य प्रदेश पावर जेनेरेटिंग कंपनी लिमिटेड।

कम वन भूमि शामिल है, को ग्राम सभाओं और जिला कलेक्टरों के प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अनुमोदित किया गया था। सितंबर 1987 में विभाग ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए नर्मदा घाटी विकास निगम के पक्ष में 2,731.00 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया। हालांकि, परियोजना के तहत 2,809.943 हेक्टेयर वन भूमि वास्तव में जलमग्न थी। कई वर्षों के बीत जाने के बाद भी अनुपालन में शिथिलता के कारण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संशोधित स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने क्षतिपूरक वनरोपण के तहत वृक्षारोपण की विफलता भी देखी। पांच परियोजना/ वृक्षारोपण स्थलों में लगाए गए 2,79,790 पौधों में से केवल 1,02,320 बच पाए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 86.77 लाख का निष्फल व्यय हुआ। विभाग ने अपात्र गतिविधियों पर अनियमित रूप से ₹ 53.29 करोड़ का व्यय किया, जिसे क्षतिपूरक वनरोपण हेतु परिकल्पित किसी भी गतिविधि से जोड़ा नहीं जा सका। इसके अलावा, सागौन के रोपण पर ₹ 29.58 करोड़ का अनियमित रूप से व्यय किया गया था जो एक व्यावसायिक गतिविधि थी एवं क्षतिपूरक वनरोपण के तहत अनुमत नहीं थी। आगे, विभाग प्रयोक्ता एजेंसियों से ₹ 4.05 करोड़ की क्षतिपूरक वनरोपण लागत की वसूली करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने 13 संभागों के 678 भूमि प्रत्यावर्तन मामलों में देखा कि विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों से स्व-निगरानी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया था। यह वन भूमि के प्रत्यावर्तन के कारण पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हुए नुकसान की बहाली के प्रति अकुशल निगरानी और उदासीनता को दर्शाता है।

1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), मध्य प्रदेश लेखापरीक्षा के दौरान राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग और वन विभाग के कर्मियों द्वारा संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय 2 लोक निर्माण विभाग

अध्याय 2 लोक निर्माण विभाग

“ मध्य प्रदेश में न्यू डेवलपमेंट बैंक ऋण के माध्यम से निधि का प्रबंधन तथा प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन” पर अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

लेखापरीक्षा ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एन.डी.बी.) की ऋण सहायता के माध्यम से 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान किए गए प्रमुख जिला सड़कों (एम.डी.आर.) के निर्माण एवं उन्नयन से संबंधित अभिलेखों की जांच की। अठारह लोक निर्माण संभागों को ऋण सहायता प्राप्त हुई थी, जिनमें से सात संभागों को विस्तृत जांच के लिए चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री, अनुरक्षण संभाग, जो इस बावत् अधिकृत आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं, और प्रमुख अभियंता के कार्यालयों की भी लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित पाया:

- सड़क चयन की प्रक्रिया में अस्पष्टता।
- विभाग ने ठेकेदारों के देयकों के विलंबित भुगतान तथा बैंकफिलिंग का अनियमित प्रावधान और निष्पादन के कारण वित्तीय दायित्व सृजित किया।
- सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉकों के मद का निम्नस्तरीय निष्पादन, कार्य का विशिष्टियों से निम्नस्तरीय कार्य का निष्पादन, ठेकेदारों से रॉयल्टी की कम वसूली, तथा निष्पादित नहीं किए गए कार्यों के लिए भुगतान।

कमियों के इन प्रकरणों में, कुल ₹ 94.43 करोड़, का समग्र प्रभाव शामिल है।

2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य मुख्यतः लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा किया जाता है। प्रमुख जिला सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के मुख्य शहरों और अन्य जिलों के मुख्यालयों से भी जोड़ती हैं। वे ग्रामीण अंतःक्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राजकीय राजमार्गों से भी जोड़ती हैं। लोक निर्माण विभाग राज्य बजटीय सहायता, अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता तथा आंतरिक एवं बाहरी वित्तपोषकों से प्राप्त ऋण से मध्य प्रदेश में प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण और उन्नयन करता है।

मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) ने 18 संभागों¹ के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक² (एनडीबी) की ऋण सहायता से 87 प्रमुख जिला सड़कों, जिसमें 2,142.98 किलोमीटर शामिल थीं, के निर्माण और उन्नयन के लिए मई 2018 में ₹ 3,250 करोड़ की मंजूरी दी थी। एनडीबी ने ₹ 2,275 करोड़ (अर्थात् परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत) के ऋण की स्वीकृति दी थी (अक्टूबर 2018)। शेष राशि ₹ 975 करोड़ (अर्थात् 30 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा वहन की जानी थी।

विभाग और एनडीबी के बीच हस्ताक्षरित (अक्टूबर 2018) परियोजना के अनुबंध के अनुसार, परियोजना पर पहले राज्य शासन द्वारा अपने बजट में आवंटित राशि से व्यय किया जाना था और बाद में नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा³ के माध्यम से दावा किए जाने पर एनडीबी के द्वारा चरणबद्ध

¹ बड़वानी, भिंड, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगौन, पन्ना, रतलाम, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, उमरिया, तथा विदिशा।

² न्यू डेवलपमेंट बैंक त्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। यह सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच एक ऋण अनुबंध निष्पादित किया गया है।

³ नियंत्रक, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

रूप से प्रतिपूर्ति की जानी थी। ऋण को सितंबर 2023 से शुरू कर मार्च 2038 तक, 30 अर्धवार्षिक किश्तों में ब्याज⁴ सहित 20 वर्षों में वापस किया जाना था।

2.2 संगठनात्मक स्वरूप

प्रमुख सचिव राज्य स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है जबकि प्रमुख अभियंता विभाग का तकनीकी प्रमुख होता है। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को जोनल कार्यालय कहा जाता है। जोनल कार्यालयों के अधीन मंडल कार्यालय होते हैं। मंडल कार्यालय, संभागीय कार्यालयों के कार्यों की निगरानी करते हैं। प्रमुख अभियंता की सहायता जोनल कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं, मंडल कार्यालयों के अधीक्षण अभियंताओं और संभागीय कार्यालयों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा की जाती है।

2.3 बजट आवंटन तथा व्यय

अवधि 2018-19 से 2020-21 के दौरान, प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 1,480.86 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जिसके विरुद्ध ₹ 1,424.40 करोड़ का व्यय किया गया था। विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1: वर्षवार आवंटन और व्यय

वर्ष	बजट प्रस्ताव	बजट आवंटन	व्यय
2018-19	300.00	208.85	170.55
2019-20	1,000.00	490.00	482.33
2020-21	475.00	782.01	771.52
योग	1,775.00	1,480.86	1,424.40

(स्रोत: लोक निर्माण विभाग के अभिलेख)

2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान नौ इकाइयों में एनडीबी से ऋण सहायता के माध्यम से किए गए प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण और उन्नयन से संबंधित अभिलेखों का संवीक्षण किया। अठारह संभागों को ऋण सहायता प्राप्त हुई थी, जिनमें से सात⁵ का चयन स्ट्रैटीफाइड रैंडम सैम्पलिंग पद्धति द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्यपालन यंत्री, अनुरक्षण संभाग की, जो इस बावत् नामित आहरण एवं संवितरण अधिकारी है तथा प्रमुख अभियंता के कार्यालयों की भी लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जो अनुबंध के प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमियों से सम्बंधित हैं, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिए गए हैं।

2.5 वित्तीय प्रबंधन

2.5.1 वित्तीय दायित्व का सृजन

अनुबंध की सामान्य शर्तों की कण्डिका 14.8 के अनुसार, यदि ठेकेदार को अनुबंध डेटा की उप-कण्डिका 14.7 के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो ठेकेदार देरी की अवधि के दौरान भुगतान न की गई राशि पर मासिक रूप से गणित वित्तपोषण प्रभार प्राप्त करने का हकदार होगा। इन वित्तपोषण प्रभार की गणना केंद्रीय बैंक की छूट दर से तीन प्रतिशत ऊपर वार्षिक दर पर की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने सात संभागों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया कि ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य के कुल मूल्य (जनवरी 2020 से जून 2021 तक) ₹ 607.38 करोड़ की राशि के विरुद्ध चार प्रतिशत से

⁴ ब्याज, ब्याज दर पर देय होगा जो संदर्भ दर (सामान्य शर्तों के अनुरूप लंदन इंटर बैंकिंग द्वारा प्रस्तुत 6 माह की दर) और स्प्रेड का योग होगा, जिसका अर्थ होगा 1.10 प्रतिशत प्रति वर्ष।

⁵ छिंदवाड़ा, डिंडोरी, ग्वालियर, खरगोन, उज्जैन, उमरिया तथा विदिशा।

100 प्रतिशत तक, ₹ 225.60 करोड़ की राशि का, जनवरी 2020 से मई 2021 तक, निधि की कमी के कारण चलित देयकों से भुगतान स्थगित कर दिया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में वर्णित है।

आगे उपरोक्त ₹ 225.60 करोड़ में से ₹ 205.13 करोड़ की राशि जारी कर दी गई थी (जून 2021), ठेकेदारों ने संविदात्मक प्रावधान के अनुसार वित्तपोषण प्रभार की मांग की। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, वित्तपोषण प्रभार ने न्यूनतम ₹ 3.31 करोड़ (**परिशिष्ट 2.1**) की राशि का अतिरिक्त भार डाला। इस प्रकार, विभाग ने ठेकेदारों के देयकों के भुगतान में विलम्ब के कारण उपरोक्त दायित्व वहन किया।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि कोविड-19 महामारी के कारण निधियों के आवंटन में कमी की वजह से देनदारियाँ उत्पन्न हुईं। हांलाकि, शासन द्वारा इस शर्त के अधीन कि ठेकेदार भुगतान में हुये विलम्ब के लिए वित्तपोषण प्रभार का दावा नहीं करेंगे, ठेकेदारों के द्वारा महामारी के दौरान कार्य में किये गये विलम्ब को क्षमा किया था और शास्ति आरोपित नहीं की थी। इस प्रकार, वित्तपोषण प्रभार बावत् कोई देयता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों ने वित्तपोषण प्रभार की मांग कर दी थी (मई 2021)।

2.6 योजना एवं प्राक्कलन

2.6.1 सड़क चयन की प्रक्रिया में अस्पष्टता

निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.016 के अनुसार किसी भी नई सड़क/पुल के निर्माण अथवा किसी वर्तमान सड़क के उन्नयन के लिए कार्यपालन यंत्री को शासन से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए श्रेणी या प्रकार, सड़क या पुल की लंबाई तथा प्राक्कलित लागत (चरण 1) की जानकारी देते हुए अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। प्राक्कलन के साथ कलेक्टर और आयुक्त द्वारा अनुमोदित एक इंडेक्स प्लान⁶ संलग्न करना पड़ेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, विभाग सड़कों के चयन, कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, शासन को प्रस्तुत प्राक्कलन (चरण 1) तथा इंडेक्स प्लान से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहा। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि सड़कों के निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का पालन वास्तव में किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि कलेक्टर का अनुमोदन नये अलाइनमेंट के लिए आवश्यक है और एनडीबी परियोजना सिर्फ मौजूदा प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिये है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने कई अन्य सड़कों का प्रमुख जिला सड़कों में उन्नयन किया था जिसके लिए कार्य विभाग नियमावली की कण्डिका 2.016 के प्रावधान का अनुपालन करना चाहिए था जिसमें विभाग विफल रहा।

2.6.2 बैकफिलिंग का अनियमित प्रावधान और निष्पादन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क और पुलों के लिए जारी स्पेसिफिकेशन की कण्डिका 304.1 में प्रावधान है कि संरचनाओं के लिए उत्खनन (पाइप वाली पुलिया सहित) में साइट पर बैकफिलिंग एवं क्लीयरिंग तथा समस्त अधिशेष सामग्री का 1000 मीटर तक अपवहन शामिल रहेगा। अतः, उत्खनन मद के अनुबंधित दर का भुगतान इन कार्यों के लिए पूरी भरपाई करते हुये किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पांच संभागों⁷ में पाया कि ह्यूम पाइप पुलिया के निर्माण के प्राक्कलनों में बैकफिलिंग मद (58,936.47 घन मी.) को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया था, जबकि यह उत्खनन मद का एक अंश था। यह ठेकेदारों को ₹ 3.58 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ में परिणत हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में वर्णित है।

⁶ इंडेक्स प्लान आसपास के अन्य सड़कों के प्रस्तावों को दर्शाता है।

⁷ छिंदवाड़ा, डिंडोरी, ग्वालियर, खरगौन तथा उमरिया

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि ह्यूम पाइप पुलिया निर्माण कार्य में बैकफिलिंग के लिये किये गये भुगतान का समायोजन अगले देयकों में किया जायेगा।

2.7 निष्पादन

लेखापरीक्षा ने सड़क कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी :

2.7.1 सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉकों की निम्नस्तरीय मद का निष्पादन

लेखापरीक्षा ने ग्वालियर और खरगौन संभागों में पाया कि 1,85,423 वर्ग मीटर पर ₹ 15.38 करोड़ की राशि के सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉकों की मद निष्पादित की गई थी जैसा कि प्राक्कलनों में प्रावधानित था। जबकि, अन्य संभागों में सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉकों के कम टिकाऊ होने के आधार पर इसे सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट से बदल दिया गया था। आगे भी, प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण 20 वर्षों की रूपांकित अवधि के लिए करना होता है और सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉक रूपांकित अवधि के अंत तक टिकने में सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार, निम्नस्तरीय कार्य के निष्पादन पर ₹ 15.38 करोड़ की राशि का व्यय हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि किफायती एवं तकनीकी रूप से उपयुक्त होने के कारण सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉकों का निष्पादन किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीसी इंटरलॉकिंग ब्लॉक के निर्माण के लिए डायवर्सन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन ने स्वयं उत्तर में यह माना है कि इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पर्याप्त भारवहन शक्ति नहीं प्रदान कर सकते तथा अन्य चयनित संभागों में इस मद को कम टिकाऊ होने के आधार पर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट से बदल दिया गया था।

2.7.2 स्पेसिफिकेशन से निम्नस्तरीय कार्य का निष्पादन

आईआरसी: 94 की कण्डिका 6.5 के अनुसार, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम की सतह को उसके ऊपर एक उपयुक्त वियरिंग कोर्स बिछाने के बाद तथा जब वह आसपास के तापमान के बराबर ठंडा हो जाए, यातायात के लिए खोला जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार संभागों⁸ में, उपरोक्त स्पेसिफिकेशन के विपरीत, डेन्स बिटुमिनस सतह को इस बीच सुरक्षित रखने के लिए कोई अन्य कोर्स बिछाए बिना डेन्स बिटुमिनस मैकेडम सतह (35,087.02 घन मी.) पर अगली कोर्स, बिटुमिनस कंक्रीट एक से 15 माह पश्चात् बिछाई गई थी। इस प्रकार, डेन्स बिटुमिनस मैकेडम के ऊपर अगले कोर्स के निष्पादन में विलम्ब के कारण सड़क के समय से पूर्व क्षतिग्रस्त होने की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह ₹ 54.15 करोड़ की राशि के स्पेसिफिकेशन से निम्नस्तरीय कार्य में परिणित हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में वर्णित है।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि कोविड-19 के कारण कार्यों में विलंब हुआ। हालांकि, डेन्स बिटुमिनस सतह पर जहां कहीं भी खराबी पाई गई, अगले कोर्स के निष्पादन से पहले उन्हें ठेकेदारों द्वारा स्वयं के खर्च पर ठीक कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डेन्स बिटुमिनस मैकेडम के कार्य को 48 घंटे के अंदर अगला वियरिंग कोर्स बिछाकर सुरक्षित किया जाना था तथा साथ-साथ निष्पादन के परिपेक्ष्य में कोविड-19 को अगले वियरिंग कोर्स को स्थगित रखने का कारण नहीं ठहराया जा सकता।

2.7.3 ठेकेदारों से रॉयल्टी की कम वसूली

लोक निर्माण विभाग में लागू दर अनुसूची 2017 एवं अनुबन्धों के प्रावधानों के अनुसार किसी कार्य में निष्पादित की जाने वाली मद की दर में रॉयल्टी शामिल रहती है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली, 1996 के नियम 68(1) एवं शासन के आदेश (फरवरी 2003) के अनुसार ठेकेदारों के अन्तिम देयक का भुगतान उनके द्वारा खनन विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी की अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

⁸ डिंडोरी, ग्वालियर, उमरिया तथा विदिशा।

करने पर ही किया जायेगा, इसमें विफल रहने पर देयकों से रायल्टी की कटौती कर खनन शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने चयनित सात संभागों⁹ में पाया कि कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के लिए ठेकेदारों से ₹ 31.74 करोड़ की रायल्टी वसूल की जानी थी लेकिन इन संभागों ने उनके देयकों से मात्र ₹ 15.22 करोड़ की ही कटौती की थी। यह ₹ 16.52 करोड़ की रायल्टी की कम कटौती में परिणित हुई, जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में वर्णित है।

इसके अतिरिक्त, कटौती की गई रायल्टी की राशि ₹ 15.22 करोड़ में से ₹ 8.83 करोड़ को सम्बंधित राजस्व शीर्ष में जमा करने के बजाय सिविल डिपॉजिट शीर्ष में रखा गया। इसके परिणामस्वरूप शासन के आदेश का उल्लंघन हुआ और शासकीय राजस्व अवरूद्ध हुआ।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि अनुबंध में प्रावधानित रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही ठेकेदारों को प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी और रायल्टी जमा नहीं करने पर नियोक्ता किसी भी समय किसी भी देय राशि में से रायल्टी की वसूली कर सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ठेकेदारों से रायल्टी की कम वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त, शासन ने विशेष रूप से यह कहा है (फरवरी 2003) कि रायल्टी सिविल डिपॉजिट शीर्ष के बजाय खनन शीर्ष में जमा की जानी चाहिये ताकि शासकीय राजस्व अवरूद्ध न हो।

2.7.4 निष्पादित न किए गए कार्यों हेतु भुगतान

लेखापरीक्षा ने कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया कि एक जिला सड़क¹⁰ निर्माण के लिए सड़क के विभिन्न स्थानों पर ₹ 48.83 लाख¹¹ की राशि के 6324.75 वर्ग मीटर इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक को उपयोग किया जाना दिखाया और तदनुसार माप पुस्तिका (एमबी) में दर्ज किया गया था तथा दर्ज किए गए माप के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया गया था (मार्च 2021)। इसी संभाग के अंतर्गत (उसी ठेकेदार को दिये गये) एक अन्य जिला सड़क के प्रकरण में यह देखा गया कि राशि ₹ 99.66 लाख¹² के 1128.62 घ.मी. बिटुमिनस कंक्रीट कार्य (सड़क¹³ के 0.900 किमी से 7.740 किमी की चनेज में) को माप पुस्तिका में दर्ज किया गया था और दर्ज किए गए मापों के आधार पर भुगतान किया गया था (जून 2021)।

हालांकि, उपरोक्त सड़कों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान दोनों में से कोई भी कार्य निष्पादित नहीं पाया गया। इस प्रकार, विभाग ने अनियमित रूप से माप पुस्तिका में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा को दर्ज किया और अनियमित रूप से निष्पादित न किए गए कार्यों के लिए ठेकेदार को ₹ 1.49 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक का कार्य कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था। कार्य अब पूर्ण हो चुका है।

उत्तर अतिरिक्त भुगतान में परिणित हुये माप पुस्तिका में मदों की गलत प्रविष्टि पर मौन है। इसके अतिरिक्त, गलत माप तथा भुगतान से सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

2.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश (अप्रैल 2011) के अनुसार ₹ तीन करोड़ या अधिक व्यय वाले कार्यों का अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता क्रमशः एक माह एवं दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे।

⁹ छिंदवाड़ा, डिंडोरी, ग्वालियर, खरगोन, उज्जैन, उमरिया तथा विदिशा।

¹⁰ महाराजपुर से शनिचरा व पुरानी जेल से शनिचरा रोड, ग्वालियर संभाग।

¹¹ 6324.750 वर्ग मी. × ₹ 772 वर्ग मी.।

¹² 1128.62 घन मी. × ₹ 8831 घन मी.।

¹³ नयागाँव मोच रिचॉर बनवार पूरावनवार टेकपुर चिनार रोड, ग्वालियर संभाग।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी सात संभागों में संचयी रूप से संबंधित अधीक्षण यंत्री द्वारा 93 निरीक्षणों और मुख्य अभियंता द्वारा 187 निरीक्षणों की कमी थी।

इंडियन रोड कांग्रेस 58 : 2015 की कण्डिका 7.2.6 के अनुसार, कान्स्ट्रैक्शन ज्वाइंट पर डावल बार का प्रावधान किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने विदिशा संभाग के अंतर्गत उदयपुरा-बमोरा-पठानी सड़क की चेनेज 3700 से 3900, और 13000 से 13190 के मध्य पाया कि पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट (एम-40) की मद को 250 मिमी की मोटाई में बिना डोवेल बार जो स्पेसीफिकेशन के तहत आवश्यक था, के निष्पादित किया गया था। परिणामस्वरूप सड़क की सतह पर दरारें आ गईं जिससे अवमानक कार्य का निष्पादन हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2022) कि एनडीबी पोषित परियोजनाओं का पर्यवेक्षण नियुक्त स्टेट क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट्स के द्वारा किया जाता है, और मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण यंत्रियों द्वारा भी किया जाता है।

उत्तर लेखापरीक्षा के इस दावे का समर्थन करता है कि आवधिक निरीक्षणों का प्रावधान होने के बावजूद, सम्बंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप गुणवत्ता से निम्नतर कार्य का निष्पादन हुआ।

2.9 निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में न्यू डेवलपमेंट बैंक ऋण के माध्यम से निधि का प्रबंधन तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुये :

- टेकेदारों को समय पर भुगतान करने के प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन नहीं किया गया जो राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय देयता में परिणित हुआ।
- सड़कों का चयन यथोचित रूप से नहीं किया गया था।
- निष्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान सड़क निर्माण के स्पेसीफिकेशन तथा नियमावली का पालन नहीं किया गया था।
- सड़कों के निर्माण की निगरानी मानदण्डों के अनुसार नहीं की गई थी तथा माप पुस्तिकाओं में गलत प्रविष्टियों की गई थीं।

2.10 अनुशंसायें

- विभाग को टेकेदार को समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए ताकि टेकेदार को भुगतान किए जाने वाले वित्तपोषण शुल्क की अनुबंध संबंधी देयता से बचाव हो सके।
- विभाग को जनता के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के चयन हेतु एक वास्तविक समय प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।
- विभाग को सम्पूर्ण निष्पादन प्रक्रिया के दौरान सड़क स्पेसीफिकेशन और नियमावली के अनुपालन का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निर्माण कार्यों की निगरानी करनी चाहिए।
- विभाग को टेकेदारों से रॉयल्टी की कम वसूली के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करनी चाहिए।

अध्याय 3
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

अध्याय 3 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

“मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन” पर अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि को कवर किया और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 55 संभागों में से 10 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों और जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित की जा रही 58 योजनाओं में से 18 योजनाओं के अभिलेखों की विस्तृत जांच की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता के अभिलेखों की भी जांच की गई। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- योजना के दिशा-निर्देशों का पालन न करना और डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पर निष्फल व्यय, कन्सल्टेंट के द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्य, जलस्रोत की निरंतरता सुनिश्चित नहीं करना, पूरी तरह से कवर की गई बस्तियों का आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों में परिवर्तित होना, गलत प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त लागत, गांवों के सभी घरों का कवर न करना।
- वर्ष 2018-19 और 2020-21 के अंत में निगम के पास निधियां बेकार पड़ी थीं, जल जीवन मिशन की निधियों का विपथन।
- गांवों के सभी घरों को कवर न करना, ठेकेदारों को उत्पाद शुल्क का अनियमित भुगतान, परिनिर्धारित क्षति की कटौती न करना, ओवरहेड टैंकों के लिए गलत दर को अपनाना, ठेकेदारों को अनियमित अग्रिम भुगतान, ठेकेदारों से अतिरिक्त बैंक गारंटी प्राप्त करने में विफलता, ठेकेदारों को बैंक गारंटी की अनियमित विमुक्ति, ठेकेदारों की परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी तथा सिक्यूरिटी डिपॉजिट की अनियमित विमुक्ति।
- योजनाओं की निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण में अनियमितताएं, संचालन एवं संधारण में कमियां।

कमियों के इन प्रकरणों में, कुल ₹ 283.42 करोड़, का समग्र प्रभाव शामिल है।

3.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश शासन (राज्य शासन) का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (विभाग) राज्य की ग्रामीण जनता¹ को सुरक्षित पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न जल संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन हेतु प्रमुख एजेंसी है। राज्य के प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को पेयजल एवं अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त सुरक्षित जल उपलब्ध कराने हेतु विभाग राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कार्यक्रम) को क्रियान्वित करता है। कार्यक्रम में नलकूपों की खुदाई, हैंडपंपों और मोटर पंपों की स्थापना तथा प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध कराकर ग्रामीण पाइपड जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन शामिल है।

राज्य शासन ने जुलाई 2012 में मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित (निगम) को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में शामिल किया गया। निगम की परिकल्पना राज्य शासन की ओर से बहु-गाँव ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (योजना) को कार्यान्वयित करने हेतु एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में की गई थी जबकि एकल ग्राम योजनाएँ राज्य शासन के लिए विभाग के द्वारा कार्यान्वयित की जानी थी।

शासन स्तर पर, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख होते हैं। प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी) विभाग का प्रमुख होता है तत्पश्चात् मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री

¹ शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जाती है, जैसे, नगर निगम।

होते हैं। निगम का नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक करता है जिसकी सहायता एक परियोजना निदेशक और महाप्रबंधक करते हैं।

3.2 बजट आवंटन और व्यय

अवधि 2018-19 से 2020-21 के दौरान कार्यक्रम के बजट आवंटन और व्यय का विवरण नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: बजट आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्रियान्वयन एजेंसी	आवंटन	व्यय
2018-19	विभाग	536.27	446.95
	निगम	1,274.70	1,048.30
2019-20	विभाग	438.57	396.35
	निगम	1,463.00	1,441.29
2020-21	विभाग	352.48	344.70
	निगम	1,858.15	1,825.05
योग	विभाग	1,327.32	1,188.00
	निगम	4,595.85	4,314.64

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

3.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा जून और अक्टूबर 2021 के मध्य वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि को शामिल करते हुये यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि परियोजना की तैयारी पर्याप्त थी, निधि का आवंटन पर्याप्त था, कार्यों के निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण में प्रासंगिक संहिताओं और संविदात्मक प्रावधानों का पालन किया गया; लक्षित लाभार्थियों को आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता के जल की आपूर्ति गई थी तथा 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी विद्यमान थी।

लेखापरीक्षा ने विभाग के 55 संभागों में से 10 संभागों² और जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही 58 योजनाओं में से 18 योजनाओं³ (जैसा कि परिशिष्ट 3.1 और परिशिष्ट 3.2 में वर्णित है) के अभिलेखों की जांच की। मुख्यालय पर प्रमुख अभियंता के अभिलेखों की भी जांच की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आयोजना और प्राक्कलनों में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा निविदा, निष्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी से संबंधित मुद्दों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में संक्षेप में चर्चा की गई है।

3.4 योजना की तैयारी तथा डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाना

3.4.1 योजना के दिशानिर्देशों का पालन न करना तथा विभाग द्वारा डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पर निष्फल व्यय

विभाग ने राज्य में मुख्य मंत्री ग्राम नलजल योजना, कार्यक्रम के अंतर्गत एक पाइपड जलापूर्ति योजना, के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश (मई और जुलाई 2017 के मध्य) जारी किया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यपालन यंत्री को प्रत्येक ब्लॉक से 1000 से अधिक जनसंख्या वाले आठ गाँवों की पहचान कर योजनान्तर्गत चिन्हित करने हेतु इन ग्रामों का विवरण अधीक्षण यंत्री को अग्रेषित करना है। तत्पश्चात् अधीक्षण यंत्री को प्रस्ताव मुख्य अभियंता को अग्रेषित करना होगा, जो उसका विश्लेषण कर पाइपड जलापूर्ति योजना के लिए चिन्हित गाँवों की सूची जारी करेगा। आगे, कार्यपालन यंत्री को सभी चिन्हित गाँवों में पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी वाले जल स्रोतों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी है

² बड़वानी, बैतूल, भोपाल, दमोह, मंडला, मुरैना, राजगढ़, रायसेन, रतलाम और सतना।

³ कुल 58 योजनाओं में से 19 योजनाएँ पूरी हो चुकी थीं और 39 प्रगति पर थीं। 19 पूर्ण योजनाओं में से 12 योजनाएँ जो लेखापरीक्षा अवधि (2018-19 से 2020-21) के दौरान पूरी की गई थीं और 30 चालू योजनाओं में से, जिनकी वित्तीय प्रगति 31 मार्च 2021 को लागत के 60 प्रतिशत से अधिक थी, 6 योजनाएँ विस्तृत जांच के लिए चयनित की गई थीं। शेष 9 चालू योजनाओं की वित्तीय प्रगति लागत के 60 प्रतिशत से कम थी, इसलिए उनमें से चयन नहीं किया गया।

और अधीक्षण यंत्री को प्रस्ताव भेजना है, जो पानी की आपूर्ति हेतु मानदंडों⁴ के संदर्भ में गांवों की पात्रता की जांच करेगा तथा अनुमोदन हेतु मुख्य अभियंता को भेजेगा। मुख्य अभियंता प्रस्ताव की जांच कर पात्र गांवों की सूची जारी करेगा।

प्रत्येक ब्लॉक के पात्र गांवों में से, चार ऐसे गांवों का चयन किया जाना है जहां डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार योजना का कार्यान्वयन संभव था। अंत में मुख्य अभियंता चयनित गांवों की सूची जारी करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- सभी 10 चयनित संभागों के कार्यपालन यंत्रियों ने अपने अधीक्षण यंत्रियों को 491 गांवों की सूची भेजी थी लेकिन सूचियों में शामिल करने के लिए गांवों की संख्या तय करते समय निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया था। छह संभागों में, गांवों की संख्या प्रति ब्लॉक आठ से अधिक थी, जबकि दो संभागों में, गांवों की संख्या प्रति ब्लॉक आठ से कम थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है। हालांकि, यह देखा गया कि मुख्य अभियंता द्वारा चिन्हित, पात्र और चयनित गांवों की कोई सूची जारी नहीं की गयी थी। इस प्रकार, विभाग द्वारा आवश्यक चरणों⁵ का पालन किये बिना गांवों का चयन किया गया तथा मुख्य अभियंता से उक्त पत्राचार के अभाव में संभागों द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी 491 गांवों का चयन किया गया।
- इसके अतिरिक्त, उपरोक्त परिपत्र (जुलाई 2017) की कण्डिका क्रमांक 3(ix)(d) में निर्धारित है कि गांवों को चिन्हित करने की प्रक्रिया के बाद, पानी की पर्याप्तता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रथम चार पात्र गांवों की पहचान होते ही उनके नाम कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पात्र गांवों की सूची में शामिल कर लिए जाएंगे।

दस चयनित संभागों में, **परिशिष्ट 3.3** में उल्लिखित 491 चयनित गांवों में से केवल 373 गांवों के लिए डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिनमें से 273 डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुमोदित की गई थी और तदनुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालांकि, योजना वास्तव में 266 गांवों में ही शुरू की गई थी। शेष 107 गांवों में जलस्रोत के निर्धारण तथा इन गांवों के लिए डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु **परिशिष्ट 3.4** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 4.96 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, योजना को शुरू नहीं करने के कारण संभागों के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि उक्त 107 गांवों के लिए जल जीवन मिशन⁶ (जेजेएम) के तहत योजनाओं को लागू किया जाना था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना से बाहर रखा गया था। इन डीपीआर को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जेजेएम के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि जेजेएम के तहत उन गांवों के चयन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए थे। परिणामतः लेखापरीक्षा आश्वस्त नहीं हो सकी कि वास्तव में इन गांवों को जल जीवन मिशन में शामिल किया गया है या नहीं, और क्या डीपीआर की तैयारी पर अतिरिक्त व्यय किया गया है।

⁴ प्रति व्यक्ति 70 लीटर प्रतिदिन की दर से गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति, गांव के अंतिम छोर पर पानी का न्यूनतम सात मीटर प्रेशर।

⁵ पहला चरण: जनसंख्या के अनुसार गांवों का चिन्हांकन; द्वितीय चरण: विद्यमान बोरों में पर्याप्त पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण या नए बोर के लिए ड्रिल करना; तीसरा चरण: उन गांवों के लिए डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना जहां आपूर्ति के मानदंडों के अनुसार बोर में पर्याप्त गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध है; चौथा और अंतिम चरण: प्रस्तुत डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निष्पादन।

⁶ जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

3.4.2 पहचान प्रतिवेदन के बिना जल निगम द्वारा डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पर निष्फल व्यय

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण यांत्रिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा जल आपूर्ति एवं उपचार पर जारी (मई 1999) नियमावली की कण्डिका 3.2 के अनुसार, एक संभावित योजना के लिए डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले एक पहचान प्रतिवेदन तैयार करना आवश्यक है। पहचान प्रतिवेदन एक "डेस्क स्टडी" है, जिसे उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। यह योजना की तैयारी के अगले चरणों को पूरा करने हेतु व्यय करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आयोजना और बजटीय चक्र में योजना को लाने हेतु योजना के लागत अनुमानों के परिमाण का एक अंदाजा देता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2021) कि निगम ने मई 2013 से अक्टूबर 2020 के दौरान 144 योजनाओं के लिए डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का कार्य डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसल्टेंट्स को सौंपा था। हालांकि, संभावित योजनाओं के चयन के लिए उनके पहचान प्रतिवेदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। चयनित 144 योजनाओं में से केवल 64 योजनाओं को निगम द्वारा शुरू किया गया जिनमें से दो योजनाएं जलस्रोतों के अभाव में प्रारंभ नहीं हो सकी। राशि ₹ 40,817.38 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत वाली शेष 80 योजनाएं, ₹ 27.19 करोड़ के व्यय पर डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की तिथि से एक से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी, मुख्य रूप से राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता नहीं दिए जाने के कारण निगम द्वारा शुरू नहीं की जा सकी। परिणामतः उन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले गाँव भी सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल से वंचित रहे।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि शेष 80 योजनाओं में से 48 योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है। और, इन 48 योजनाओं में से 26 योजनाओं के लिए एनआईटी जनवरी 2022 में पहले ही जारी की जा चुकी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने ऐसे पहचान प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसके अतिरिक्त, डीपीआर तैयार करने के बाद 48 योजनाओं के अनुमोदन में आठ वर्षों तक की भारी देरी हुई है और शेष 32 योजनाएं अभी भी अनुमोदन के लिए लंबित हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन 80 डीपीआर को तैयार करने पर किया गया ₹ 27.19 करोड़ का व्यय अवरुद्ध हुआ है।

3.4.3 त्रुटिपूर्ण डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाना

डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने बावत् अनुबन्ध की कण्डिका 3.8 के अनुसार, डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में त्रुटिपूर्ण कार्य के प्रकरण में निगम को डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसल्टेंट के विरुद्ध कार्रवाई करनी थी। नियमावली की कण्डिका 9.4⁷ के अनुसार, डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डेडिकेटेड 33 केवी फीडर का प्रावधान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2021) कि उद्गवां योजना (मई 2013) की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंसल्टेंट ने उपयुक्त विद्युत् लाइन का प्रावधान नहीं किया। योजना के पूरा होने के बाद, इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशनों के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति 11 केवी लो टेंशन लाइन से की गई थी।

निगम ने बाद में (दिसम्बर 2019) ₹ 2.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर डंगकरेरा और पालोथर इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशनों के लिए दतिया सब-स्टेशन से 33 केवी की एक डेडिकेटेड लाइन स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसे हालांकि कार्यान्वयित नहीं किया गया था। निगम ने इस संबंध में कंसल्टेंट के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की। लेखापरीक्षा ने पाया कि बिजली की कम आपूर्ति के कारण, कुल 71 में से 25 गांवों (35 प्रतिशत) को जल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी और केवल वैकल्पिक दिवस के आधार पर की जा सकी।

⁷ नियमावली की कण्डिका 9.4 के अनुसार, योजना के अंतर्गत कवर्ड गांवों में समय पर पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नजदीकी 132/33 केवी सब-स्टेशन से रॉ वाटर पंपों के लिए डेडिकेटेड 33 केवी फीडर हेतु डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उपयुक्त प्रावधान किया जाना था।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि योजना को लागत प्रभावी बनाने के लिए 11 केवी लाइन से आपूर्ति लेने पर विचार किया गया था क्योंकि सबस्टेशन काफी दूरी पर था और वैकल्पिक रूप से डांगकरेरा और पालोथर इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशनों की आपूर्ति को कृषि फीडर में स्थानांतरित कर दिया गया था जिससे बिजली आपूर्ति का नियमितीकरण हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम कंसल्टेंट्स के कामकाज की प्रभावी रूप से निगरानी करने और त्रुटिपूर्ण डीपीआर तैयार करने के लिए स्व-प्रेरणा से कार्रवाई करने में विफल रहा।

3.4.4 जलस्रोत की निरन्तरता

3.4.4.1 जल निगम द्वारा जलस्रोत की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं किया जाना

ग्रामीण पाइपड जलापूर्ति योजना के लिए डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने संबंधी नियमावली की कंडिका 9.1 के साथ पठित कण्डिका 3(b) के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित जलस्रोत 30 वर्षों की संपूर्ण डिजाइन अवधि के लिए प्रणाली की 100 प्रतिशत जल की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगे। उक्त कण्डिका 9.1 आगे निर्धारित करती है कि चयनित स्रोत डिजाइन अवधि के लिए प्रणाली की जल की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगे। स्रोत निर्भरता 100 प्रतिशत से कम नहीं होगी। यदि चयनित स्रोत गैर-बारहमासी है, तो लीन अवधि की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुरक्षा कार्यों के साथ वांछित परिबद्धित जलाशय बनाया जाएगा।

योजना की तैयारी के समय निगम नदी, बांध, जलाशय, तालाब, इत्यादि जलस्रोतों की पहचान करता है, जिसके लिए मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा 30 वर्ष के लिए आवश्यक जल की मात्रा का जल आवंटित किया जाता है। निगम एवं मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के बीच आवंटित मात्रा में जल आपूर्ति हेतु जलापूर्ति अनुबन्ध भी निष्पादित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने आठ योजनाओं में पाया (अक्टूबर 2021) कि निगम द्वारा वर्षभर जलस्रोतों की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं की गई थी, जैसे पाया गया कि संबंधित जल स्रोत में 72 दिनों से 171 दिनों तक जल उपलब्ध नहीं था और 111 दिनों से 297 दिनों तक उपलब्ध जल, योजनाओं की तत्काल आवश्यकता से कम था, जैसा कि परिशिष्ट 3.5 में वर्णित है। इसलिए, उपर्युक्त आठ योजनाओं में, चिन्हित जलस्रोत सभी मौसमों में स्थायी नहीं होने के कारण पूरी तरह से निर्भर योग्य नहीं थे।

आठ योजनाओं में से 82 गांवों की चार योजनाओं⁸ में, जल की आपूर्ति वांछित सात मीटर से कम दबाव से की गई थी तथा दैनिक जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी (संदर्भ आगे कंडिका 3.7.1)। अतः, जलस्रोतों के लिए स्थल का चयन अनुपयुक्त था और डिजाइन त्रुटिपूर्ण था जिससे कि विभाग जल संचय के लिए परिबद्धित जलाशयों के निर्माण द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सका।

शासन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2022) कि मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा जल आवंटन बहु ग्राम जलापूर्ति योजनाओं की आवश्यकता के अनुरूप किया गया है, अतः जल की उपलब्धता की अनिश्चितता का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि नियमावली के अनुसार विभाग को सभी संभावित तरीके से जल की निरन्तरता सुनिश्चित करनी थी।

3.4.4.2 पीएचई संभागों द्वारा जलस्रोत की सुरक्षा और निरन्तरता का प्रावधान न किया जाना

विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया था (जुलाई 2017) कि सभी डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जलस्रोतों की सुरक्षा और निरन्तरता का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जायेगा और तदनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निरन्तरता का प्रावधान 10 संभागों के 147 पाइपड जलापूर्ति कार्यों की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल था लेकिन केवल 10 अनुबंधों (चार भोपाल में और छह रायसेन में) में शामिल

⁸ धूति, पिपरझरी, देवसरा और भटेरा।

किया गया था। आगे भी, इन 10 अनुबंधों में से मात्र एक अनुबंध के तहत इसे क्रियान्वित किया गया था। शेष 137 अनुबंधों में इसे शामिल नहीं करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग एवं मनरेगा के अन्तर्गत भू-जलस्रोतों के जल संवर्धन हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त डीपीआर में जल संचयन के प्रावधान पहले से ही किए गए थे। इसलिए, इसे अनुबंधों में शामिल किया जाना और तदनुसार क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि अनुबंध के उल्लंघन में, निष्पादन एजेंसी ने 10 में से केवल एक अनुबंध में स्रोत की निरंतरता के उपायों को कार्यान्वयित किया, जो अपर्याप्त निगरानी और कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।

3.4.4.3 पूर्णतः कवर्ड बस्तियों का आंशिक रूप से कवर्ड बस्तियों में परिणीत होना

पेयजल योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके अंतर्गत कवर्ड बस्तियाँ भू-जल स्तर में गिरावट के कारण कवर्ड बस्तियों की श्रेणी से अनकवर्ड बस्तियों या आंशिक रूप से कवर्ड बस्तियों की श्रेणी में वापस⁹ न आ जाएं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच संभागों¹⁰ के अंतर्गत 11,248 बस्तियों में से 1,914 बस्तियाँ (मार्च 2019) और तीन संभागों¹¹ के अंतर्गत 10,829 बस्तियों में से 493 बस्तियाँ (मार्च 2020) पूर्णतः कवर्ड बस्तियों की श्रेणी से बाहर हो गईं, जैसा कि तालिका 3.2 में वर्णित है।

तालिका 3.2: पूर्णतः कवर्ड बस्तियों की आंशिक रूप से कवर्ड बस्तियों में वापसी की स्थिति

(संख्या में)

क्र.सं.	जिलों के नाम	मार्च 2019/मार्च 2020 के अंत में पूर्णतः कवर्ड बस्तियाँ	मार्च 2021 में पूर्णतः कवर्ड बस्तियाँ	वापस आई बस्तियाँ	वापसी का प्रतिशत
1	राजगढ़	2,079	1,417	662	31.84
2	रायसेन	1,629	1,505	124	7.61
3	मंडला	2,909	2,226	683	23.47
4	रतलाम	1,306	1,294	12	0.91
5	मुरैना	3,325	2,892	433	13.02
6	दमोह	1,278	1,247	31	2.42
7	सतना	4,324	3,945	379	8.76
8	बड़वानी	5,227	5,144	83	1.58
			योग	2407	

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभिलेख)

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि 2,407 बस्तियाँ पूर्णतः कवर्ड बस्तियों से आंशिक रूप से कवर्ड बस्तियों में परिणत हो गई हैं। बस्तियों के वापस आने का कारण गिरता भूजल स्तर था।

इसके अलावा, अधिकांश बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति हैंडपंपों और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। विभाग ने मार्च 2022 तक उपरोक्त जिलों में अलग-अलग समयावधि में हैंडपंपों और नलकूपों के लिए 1,06,665 ड्रिलिंग की थी। हालांकि, विभाग ने इन हैंडपंपों और नलकूपों की ड्रिलिंग के दिनांक, जल स्तर, इत्यादि जैसे विवरणों का संधारण नहीं किया था, और भूजल स्तर को बढ़ाने/स्थिर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। इसलिए विभाग गिरते जल स्तर पर नजर रखने में विफल रहा है।

शासन ने स्वीकार किया (अगस्त 2022) कि ग्रामीण बस्तियों के विस्तार और सिंचाई जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए भूजल के उपयोग के कारण बस्तियाँ पूर्णतः कवर्ड से आंशिक रूप से कवर्ड हो गईं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल संवर्धन के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।

⁹ स्रोतों के सूखने या पानी के दूषित होने आदि के कारण पूर्णतः कवर्ड की श्रेणी से आंशिक रूप से कवर्ड की श्रेणी में परिणत बस्तियाँ (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर 2018 की सीएजी रिपोर्ट कमांक 15)।

¹⁰ राजगढ़, रायसेन, मंडला, रतलाम और मुरैना।

¹¹ दमोह, सतना और बड़वानी।

संवर्धन कार्यों की प्रगति पर प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2022)।

3.4.5 त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त लागत

उमरिया में मानपुर बहु-ग्राम योजना में इंजिनियरिंग प्रोक्योरमेंट एवं कन्सट्रक्शन का एक कार्य ₹ 49.08 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा गया था (अगस्त 2014)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि घरेलू कनेक्शनों की संख्या (9,820) अपरिवर्तित रही, कार्य के क्रियान्वयन के दौरान दो घटकों क्लियर वाटर पम्पिंग मेन (272 प्रतिशत) और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (112 प्रतिशत) की मात्रा में भारी वृद्धि हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में वर्णित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.09 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि कुल 9820 घरों की गणना वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार की गयी थी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों की मांग को पूरा करने के लिए दूरस्थ बस्तियों/ माजरो/ टोलों को शामिल करने के कारण क्लियर वाटर पंपिंग मेन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भारी परिवर्तन हुआ।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि योजनाओं के तहत घरों की कुल संख्या (9820 संख्या) पहले से ही इस योजना में शामिल गांवों की वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार ली गई थी। इसलिए, जैसा कि निगम ने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अतिरिक्त वृद्धि का मुद्दा ही नहीं उठता।

3.4.6 गांवों के सभी घरों को कवर न करना

सचिव, पीएचईडी की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2012 की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, डीपीआर 2012 की तैयारी के लिए मैनुअल के प्रावधानों को अपनाने और मानदंड के अनुसार जल के कुल मांग की गणना के लिए गांवों की जनसंख्या राजस्व कार्यालयों से एकत्र करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, नियमावली की कण्डिका 4.1 और 4.2 के अनुसार, डिजाइन जनसंख्या का आकलन पिछले दशक के जनगणना डेटा को ध्यान में रखते हुए भविष्य की वृद्धि के संदर्भ में जनसंख्या प्रक्षेपण के साथ किया जाना था और प्रस्तावित जलापूर्ति योजना के लिए इस डिजाइन जनसंख्या का उपयोग जल की मांग की गणना हेतु किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार योजनाओं के अंतर्गत चयनित गांवों के निम्नलिखित घरों को निगम द्वारा योजनाओं में शामिल (अगस्त 2014 से अप्रैल 2017) नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका 3.3 में वर्णित है:

तालिका 3.3: योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए घरों का विवरण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	गांवों की संख्या	योजना की कुल लागत (₹ करोड़ में)	छोड़े गए घरों की संख्या
1	उदगवां योजना, जिला- दतिया	19	90.35	468
2	ब्यारमा योजना, जिला-दमोह	17	36.70	589
3	नरहेला योजना, जिला - मुरैना	03 ¹²	77.66	724
4	बांकपुरा योजना, जिला-राजगढ़	05 ¹³	122.86	526
योग			327.57	2,307

(स्रोत: जल निगम द्वारा दी गई जानकारी)

चार योजनाओं के क्रियान्वयन पर ₹ 327.57 करोड़ के व्यय के बावजूद, कुल 70,010 घरों में से 2,307 घरों को शामिल नहीं किया गया था। परिणामतः, योजनाओं का लाभ योजना के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सका। इसके अतिरिक्त, छूटे हुए गांवों को कवर करने के लिए अतिरिक्त व्यय करना होगा।

शासन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2022) कि परियोजना को मितव्ययी एवं व्यवहारिक बनाने के लिए पाइप्ल जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पर्याप्त जलस्रोत वाले गांवों के अन्तर्गत बस्तियों को नहीं जोड़ा गया।

¹² धरोड़, कुंवरपुरा और धोरेन

¹³ कालाकोट, बांकपुरा, जगन्धापुरा, पलावे और चंदेरी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के इस दावे के समर्थन में कि छोड़े गए गांवों में पानी का पर्याप्त स्रोत था लेखापरीक्षा को घरों को छोड़ दिए जाने का कोई कारण (समुचित अभिलेखों के साथ) उपलब्ध नहीं कराया गया था।

3.5 निधि का उपयोग

3.5.1 जल निगम द्वारा निधि का अनुचित उपयोग

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (खण्ड-1) के नियम 284 के अनुसार कोषागार से कोई धनराशि तब तक आहरित नहीं की जाएगी जब तक कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- निगम ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान प्राप्त निधि की सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया था। वर्ष 2018-19 और 2020-21 के अंत में, क्रमशः ₹ 273.75 करोड़ और ₹ 1,012.70 करोड़ निगम के पास व्यर्थ पड़े थे जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में वर्णित है।

निगम ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2021) कि देयकों की प्रत्याशा के आधार पर राशि आहरित की गई है जो वितरित नहीं की जा सकी और अप्रयुक्त के रूप में दिखाया गई हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देयकों की प्रत्याशा में ₹ 1825.04 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1012.70 करोड़ की राशि का आहरण न केवल अनियमित था बल्कि अविवेकपूर्ण वित्तीय नियोजन भी था।

- निगम ने क्रमशः अप्रैल 2017 और जुलाई 2018 में बांकपुरा और सतना-बाणसागर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रमशः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण के तहत ठेकेदारों को कार्य सौंपा। दोनों योजनाओं के कार्य अभी भी चल रहे थे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत (दिसंबर 2019) की गई थी, जिसमें विद्यमान डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के संवर्धन के लिए इन-विलेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत वित्त पोषण का प्रावधान था। इन-विलेज सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब किसी योजना में विद्यमान डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए पाइपलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि, अतिरिक्त टोला/माजरा शामिल करना, आदि के कारण अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की आवश्यकता होती थी। हालांकि, उन कार्यों को शामिल करने की परिकल्पना नहीं की गई थी जो पहले से ही योजना के दायरे के अंतर्गत किए जाने थे और अन्य एजेंसियों नाबार्ड और एनडीबी द्वारा विधिवत वित्त पोषित थे।

आगे, बांकपुरा¹⁴ और सतना-बाणसागर¹⁵ योजनाओं के विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु, निगम ने उन कार्यों के लिए जल जीवन मिशन निधि से ठेकेदारों को क्रमशः ₹ 1.12 करोड़ और ₹ 43.73 करोड़ का भुगतान किया, जो पहले से ही मूल योजनाओं के दायरे में थे तथा नाबार्ड और एनडीबी द्वारा विधिवत वित्त पोषित थे। इसके कारण जल जीवन मिशन निधि के ₹ 44.85 करोड़ का विपथन इन योजनाओं के अपात्र कार्यों में हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि जल जीवन मिशन निधि का उपयोग राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन के आधार पर दोनों योजनाओं के इन-विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन इन-विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा पोषित योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किया जाना था, जल जीवन मिशन की निधि का उपयोग करने के कारणों को बताने में निगम असमर्थ रहा।

¹⁴ योजनान्तर्गत 55 ऊँचे सतही जलाशयों का निर्माण, ये योजना के दायरे में थे।

¹⁵ गांव में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, जो पहले से ही ठेकेदार के काम के मूल दायरे में शामिल थे।

3.6 कार्य आवंटन तथा उनका निष्पादन

3.6.1 गांवों के सभी घरों को आच्छादित न करना

विभाग की रणनीतिक योजना के अनुसार, पाइपड जलापूर्ति योजना के तहत परिवारों को 100 प्रतिशत कनेक्शन प्रदान किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने नौ संभागों में 116 पूर्ण की जा चुकी पाइपड जलापूर्ति के कार्यों में से 77 कार्यों में पाया कि 35,695 घरों में से केवल 26,887 घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया था। इनमें से किसी भी संभाग में शत-प्रतिशत नल जल कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया था। नल कनेक्शन प्रदान करने में कमी 13 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में वर्णित है। इस प्रकार, रहवासी सुरक्षित और पीने योग्य जल से वंचित रहे।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि पेयजल योजनाओं में घरेलू नल जल कनेक्शनों की संख्या का प्रावधान संबंधित गांवों में निवासरत परिवारों की संख्या के आधार पर समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन और तदनुसार उपर्युक्त घटक को अनुबंधों में शामिल किया गया था। एक घर में निवास करने वाले एक से अधिक परिवार के लिए घर के मुखिया की मांग के अनुसार केवल एक या एक से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए। जिन परिवारों के घरों में निजी नल कनेक्शन थे, उन्हें नल कनेक्शन नहीं दिया गया था। उपर्युक्त कारणों से अनुबंध की तुलना में कम संख्या में नल कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा अन्य कारणों की जांच की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि घरों की संख्या की तुलना में घरेलू कनेक्शन कम संख्या में प्रदान किए गए थे। आगे, शासन का उत्तर कि संबंधित गांवों में रहने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर घरेलू नल जल कनेक्शन की संख्या का प्रावधान समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के आंकड़ों के अनुसार किया गया था, सही नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को पिछले दशक यानी 2001-10 की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर जनसंख्या वृद्धि-दर की गणना करने के बाद 2011 की जनगणना के आधार पर 2018 की अनुमानित जनसंख्या के लिए तैयार किया गया था।

3.6.2 जल निगम द्वारा ठेकेदारों को उत्पाद शुल्क का अनियमित भुगतान

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 17.03.2012 के द्वारा जलापूर्ति संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक सभी मदों¹⁶ पर सक्षम प्राधिकारी¹⁷ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जनहित में उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट दी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान यानी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के क्रियान्वयन (01.07.2017) से पहले टर्नकी आधार पर 17 निविदाएं आमंत्रित की थीं। निगम द्वारा जारी निविदा अभिलेख के भाग-III की कंडिका 7.3 (कर) में निर्दिष्ट है कि उत्पाद शुल्क सहित सभी प्रभार, कर या शुल्क ठेकेदार द्वारा देय होंगे। हालांकि, निगम ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी से छूट प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में मदद करेगा। ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर में सभी कर और शुल्क शामिल होने चाहिए। ठेकेदारों ने निविदा की 60 प्रतिशत लागत (सामग्री की लागत) पर 12.5 प्रतिशत की दर से देय उत्पाद शुल्क सहित अपनी दरें उद्धृत की थीं।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि जलापूर्ति संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी, ठेकेदारों को उनकी उद्धृत दरों (जो उत्पाद शुल्क सहित) पर भुगतान किया गया था जब कि उन्हें शुल्क से छूट सम्बंधी प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदारों को ₹ 72.90 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ प्रदान किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में वर्णित है।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि कार्यों पर जीएसटी लागू होने से पूर्व ठेकेदारों द्वारा देय सभी करों सहित (उत्पाद शुल्क सहित) दरों को आमंत्रित किया गया था तथा निगम द्वारा ठेकेदारों को

¹⁶ मशीनरी, जिसमें पाइप, उपकरण, औजार और उपयंत्र, सहायक उपकरण और उनके घटक/ पुर्जे शामिल हैं।

¹⁷ उस जिले का कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट जिसमें वह योजना है।

उत्पाद शुल्क से छूट प्रमाण-पत्र (निविदा अभिलेख के भाग III की कण्डिका 7.3 के अनुसार) कार्य में वास्तव में उपयोग की गई वस्तुओं की मात्रा के लिए जारी किया गया था। निगम ने ऊपर बताए गए प्रावधान के अनुसार काम किया है।

उत्तर ने स्वयं लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि की कि एक ओर, अनुबंध दरों में उत्पाद शुल्क सहित सभी कर शामिल थे तथा ठेकेदारों को भुगतान भी उत्पाद शुल्क सहित किया गया था, और दूसरी ओर, ठेकेदार को उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अदेय वित्तीय लाभ हुआ।

3.6.3 परिनिर्धारित क्षति की कटौती न करना

3.6.3.1 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निष्पादित अनुबंधों के “अनुबंध की शर्तों” की कण्डिका 13 के अनुसार, कार्य प्रारंभ करने के आदेश जारी होने की तिथि से 18 से 24 महीनों के भीतर सभी प्रकार के कार्य को पूर्ण किया जाना था। यदि उक्त अवधि के अंदर प्रभारी यंत्री की संतुष्टि के अनुसार सम्पूर्ण कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक चूक हेतु ठेकेदार निर्दिष्ट दरों¹⁸ पर, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक, परिनिर्धारित क्षति के भुगतान के लिए बाध्य था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- बारह योजनाओं को 586 दिनों के माध्यिक विलंब से पूरा किया गया था और चल रही छः योजनाओं में उनके समापन की निर्धारित तिथि से 756 दिनों का माध्यिक विलंब था।
- उपर्युक्त में से, एक चल रही और सात पूर्ण योजनाओं के प्रकरणों में, ठेकेदारों ने योजनाओं में 532 माध्यिक दिवसों का विलंब किया, लेकिन निगम द्वारा रु 36.90 करोड़ की परिनिर्धारित क्षति, जैसा कि परिशिष्ट 3.10 में वर्णित है, की कटौती नहीं की गई, यद्यपि विलंब ठेकेदारों के कारण हुआ था।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि सात¹⁹ योजनाओं के ठेकेदारों से परिनिर्धारित क्षति वसूल की जायेगी। शेष योजनाओं में, कार्य में विलंब, बाधाओं के कारण हुआ जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं थे।

वसूली पर प्रतिवेदन प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2022)।

3.6.3.2 अनुबंध की सामान्य शर्तों के भाग-I की कण्डिका 15 के अनुसार, कार्य करने के लिए अनुमत्य समय का ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। समयबद्धता का पालन करने में ठेकेदार की विफलता पर प्रति दिन 0.05 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित क्षति लगाया जाएगा, जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 संभागों में 147 कार्यों (116 पूर्ण और 31 जारी) में से केवल आठ कार्य²⁰ समय पर पूरे किए गए थे जबकि पूरे किए गए कार्यों में 257 दिनों का माध्यिक²¹ विलंब था, जबकि चल रहे कार्यों में यह 851 दिनों का था, जैसा कि परिशिष्ट 3.11 में दर्शाया गया है।

अधीक्षण यंत्री द्वारा केवल 18 कार्यों में समयवृद्धि स्वीकृत की गई थी। शेष 121 कार्यों में न तो समयवृद्धि स्वीकृत की गई थी और न ही कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए ठेकेदारों पर कोई शास्ति आरोपित की गई थी। सतना संभाग के 18 में से आठ कार्यों में जहां समयवृद्धि स्वीकृत की गई थी, अधीक्षण यंत्री ने देरी के कारणों का विश्लेषण किए बिना समयवृद्धि स्वीकृत की थी और कहा था कि ठेकेदार को अंतिम भुगतान करने से पहले शास्ति की गणना की जानी चाहिए और शास्ति लगाया

¹⁸ ₹ 25 करोड़ से ₹ 50 करोड़ के बीच अनुबंध मूल्य: ₹ 1.00 लाख प्रति दिन, ₹ 50 करोड़ और ₹ 100 करोड़ के बीच अनुबंध मूल्य: ₹ 1.50 लाख प्रति दिन, और अनुबंध मूल्य ₹ 100 करोड़ से ऊपर: ₹ 3.00 लाख प्रति दिन।

¹⁹ उदगवां, मझोली, निवाड़ी, मानपुर, नरहेला, बांकपुरा और निवाड़ी-पृथ्वीपुर।

²⁰ तीन कार्यों में कुल विलम्ब छह से सात दिनों का था जिसे समय पर कार्य पूरा करने के रूप में माना जाता है, 1: राजगढ़, ग्राम लिंगोडा और खरपा में (विलंब 06 और 07 दिन) 2: बैतूल, ग्राम सेहरा में (छह दिन का विलंब)।

²¹ माध्यिका क्रमबद्ध, आरोही या अवरोही, संख्याओं की सूची में मध्य संख्या है तथा उस डेटा सेट के औसत से अधिक वर्णनात्मक हो सकती है।

जाना चाहिए। दस विलंबित कार्यों²² में से नौ कार्यों में अधीक्षण यंत्री ने तथा एक कार्य में कार्यपालन यंत्री ने अनुबंध के प्रावधान 0.05 प्रतिशत प्रति दिन की दर से अनुबंधित मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित, की अवहेलना करते हुए ठेकेदार को 15 से 323 दिनों के कुल विलम्ब के लिए अनुबंध राशि के 0.05 प्रतिशत से 2.50 प्रतिशत की दर से शास्ति सहित, समयवृद्धि स्वीकृत की थी।

इसलिए, 129 कार्यों²³ में विलम्ब के लिए ₹ 13.41 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गई जबकि 10 कार्यों में ₹ 39.86 लाख की कम शास्ति आरोपित की गई।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि कार्य में विलम्ब होने का विश्लेषण कर ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जायेगी। कार्य पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा विलम्ब का विश्लेषण किया जा सकता है तथा तदनुसार ठेकेदार की ओर से विलम्ब अवधि को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार शास्ति आरोपित की जायेगी। संबंधित संभागों को शास्ति आरोपित और वसूलने का निर्देश दिया गया है।

वसूली पर प्रतिवेदन प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2022)।

3.6.4 पी.एच.ई. संभागों द्वारा ओवरहेड टैंक के लिए गलत दर अपनाना

विभाग में लागू एकीकृत दर अनुसूची में ओवरहेड टैंकों के निर्माण की दरें नहीं थीं, इसलिए विभाग की तकनीकी समिति की 12वीं बैठक (जनवरी 2018) में उनका निर्धारण किया गया था जैसा कि नीचे तालिका 3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: तकनीकी समिति द्वारा ओवरहेड टैंकों के लिए निर्धारित दरें

ओवरहेड टैंक की क्षमता (किलो लीटर में)	ओवरहेड टैंक की दर 12 मीटर स्टेजिंग के साथ (₹/ लीटर)	ओवरहेड टैंक की दर 15 मीटर स्टेजिंग के साथ (₹/ लीटर)
75	15.30	15 मीटर ऊंचे स्टेजिंग के लिए ओवरहेड टैंक की दर की गणना कॉलम 2 में उल्लिखित दर को 1.05 (पाँच प्रतिशत अधिक) से गुणा करके की जाएगी।
100	12.15	
125	10.80	
150	10.10	

(स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में चार संभागों (राजगढ़, रायसेन, बैतूल एवं मंडला) के 18 पाइपड जलापूर्ति कार्यों में पाया गया कि ओवरहेड टैंकों के निर्माण हेतु तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित दर पर विचार करने के बजाय बिल ऑफ क्वांटिटी में उच्च दरों को अपनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 78.51 लाख की अतिरिक्त लागत आई जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में वर्णित है।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि मामले की जांच की जा रही है।

3.6.5 पी.एच.ई. संभागों द्वारा अनियमित अग्रिम भुगतान

ठेकेदार के साथ किए गए अनुबंध के परिशिष्ट-E की कण्डिका-X में निर्धारित किया गया है कि सभी कार्यों के पूरा होने और पाइपड जलापूर्ति योजना के ट्रायल रन/कमीशनिंग के बाद, ठेकेदार डिफेक्ट लायविलिटी पीरियड²⁴ सहित 24 महीने की अवधि के लिए पूरी योजना का संचालन एवं संधारण करेगा। संचालन एवं संधारण की अवधि दो वर्षों तक सफल ट्रायल रन के 30 दिनों के बाद ही प्रारंभ होगी तथा संचालन एवं संधारण की त्रैमासिक अवधि के अनुसार भुगतान²⁵ किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने तीन संभागों (दमोह, सतना और मुरैना) में 19 पाइपड जलापूर्ति योजनाओं में पाया कि योजनाओं के सफल ट्रायल रन के पूरा होने से पहले ही ठेकेदारों को संचालन एवं संधारण अवधि के लिए ₹ 43.21 लाख का भुगतान किया गया था। मुरैना जिले के दो कार्यों²⁶ में यह पाया गया कि संचालन एवं संधारण की राशि का भुगतान योजनाओं के पूर्ण होने से पूर्व ही ठेकेदार को कर दिया गया

²² दमोह : पांच कार्य, रायसेन : चार कार्य एवं बैतूल : एक कार्य।

²³ 123 कार्य (न तो समयवृद्धि और न ही शास्ति लगाया)। 6 कार्य (समयवृद्धि देने के बाद भी कोई शास्ति नहीं लगाया गया) = 129 कार्य।

²⁴ डिफेक्ट लायविलिटी पीरियड ट्रायल रन + 12 महीने है और ट्रायल रन 30 दिनों का होगा।

²⁵ आठ तिमाही में प्रत्येक में समान रूप से देय।

²⁶ मुरैना संभाग के ग्राम बरेठा और जोहान।

था। इसके परिणामस्वरूप संचालन एवं संधारण हेतु ठेकेदार को ₹ 43.21 लाख का अनियमित अग्रिम भुगतान हुआ जैसा कि परिशिष्ट 3.13 में वर्णित है।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि प्रकरण की जांच की जा रही है।

3.6.6 निगम द्वारा अतिरिक्त बैंक गारंटी प्राप्त करने में विफलता

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्र²⁷ (2 मई 2016) के अनुसार, यदि ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें दर-अनुसूची से 15 प्रतिशत से कम पाई जाती हैं, तो कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु ठेकेदार द्वारा दर-अनुसूची और न्यूनतम दरों के अंतर के बराबर की अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- सतना जिले की सतना-बाणसागर योजना में, ठेकेदार द्वारा उद्धृत मूल्य, ₹ 1,431.41 करोड़ की अनुमानित लागत से 20.64 प्रतिशत कम था। अनुबंध के निष्पादन से पूर्व निगम को ठेकेदार से ₹ 80.74 करोड़²⁸ की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्राप्त करनी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया।
- दतिया और शिवपुरी जिलों की बसई योजना में, ठेकेदार द्वारा उद्धृत मूल्य, ₹ 62.92 करोड़ की अनुमानित लागत से 21.42 प्रतिशत कम था। अनुबंध के क्रियान्वयन के पूर्व निगम को ठेकेदार से ₹ 4.04 करोड़²⁹ की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्राप्त करनी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि उपर्युक्त योजनाओं के विरुद्ध प्राप्त दरें ₹ 1,245.27 करोड़ और ₹ 54.96 करोड़ की अनुमानित लागत (पी.ए.सी.) से क्रमशः 10.04 प्रतिशत और 8.78 प्रतिशत कम थीं, इसलिए, अतिरिक्त बैंक गारंटी नहीं ली गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.ए.सी को निगम द्वारा क्रमशः ₹ 1,431.41 करोड़ और ₹ 62.92 करोड़ के रूप में पुनरीक्षित (अगस्त 2018) किया गया था। अतः ठेकेदारों से अतिरिक्त बैंक गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए थी।

3.6.7 निगम द्वारा अनियमित रूप से बैंक गारंटी विमुक्त करना

अनुबंध के भाग-III की कण्डिका 3.5 के अनुसार, अनुबंध के समुचित क्रियान्वयन के लिए ली जाने वाली प्रतिभूति, अनुबंध की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर होगी, जिसकी वैधता किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी के रूप में कार्य पूर्ण होने की तिथि के एक वर्ष बाद तक होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- छिंदवाड़ा में मोहखेड़ योजना के ठेकेदार ने 6 जुलाई 2015 को ₹ 5.49 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कराई थी। कार्य 19 मार्च 2017 तक पूरा होना था लेकिन अभी तक अपूर्ण है। परन्तु, निगम ने 30 अक्टूबर 2019 को ठेकेदार की ₹ 5.49 करोड़ की बैंक गारंटी को विमुक्त कर दिया।
- दतिया में निगम ने एक ठेकेदार को उदगवां योजना सौंपा (20 अक्टूबर 2014) जिसने 30 अक्टूबर 2014 को ₹ 9.04 करोड़ की बैंक गारंटी जमा की थी। कार्य 31 जनवरी 2018 तक काम पूरा करना था लेकिन अभी तक अपूर्ण है। परन्तु, निगम ने 30 जुलाई 2020 को ठेकेदार की ₹ 9.04 करोड़ की बैंक गारंटी को विमुक्त कर दिया।

इस प्रकार, निगम ने कार्य पूर्ण होने से पहले बैंक गारंटी विमुक्त कर ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया।

²⁷ मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्य नियमावली एम.पी.जे.एन.एम. पर भी लागू थी क्योंकि विभाग, राज्य शासन ने निगम को दिनांक 20.01.2017 का एक पत्र जारी किया था जिसमें अनुबंध की शर्तों को एम.पी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के अनुसार बदल दिया गया था।

²⁸ (अनुमानित लागत ₹ 1431.41 करोड़ से अनुमानित लागत ₹ 1431.41 करोड़ का 15 प्रतिशत घटाकर) घटाव अनुबंध लागत ₹ 1135.96 करोड़ = ₹ 80.74 करोड़।

²⁹ (अनुमानित लागत ₹ 62.92 करोड़ से अनुमानित लागत ₹ 62.92 करोड़ का 15 प्रतिशत घटाकर) घटाव अनुबंध लागत ₹ 49.44 करोड़ = ₹ 4.04 करोड़

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि उदगवां योजना में कार्य काफी हद तक पूर्ण हो चुका है तथा ₹ 1.69 करोड़ का अतिरिक्त कार्य किया जाना है। मोहखेड़ योजना में काम पूरा हो चुका है, इसलिए बैंक गारंटी विमुक्त की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले बैंक गारंटी विमुक्त करना अनियमित था।

3.6.8 पी.एच.ई. संभागों द्वारा परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी एवं सिक्यूरिटी डिपॉजिट को अनियमित रूप से विमुक्त करना

अनुबन्ध की कण्डिका 22.1 एवं 30 में प्रावधान है कि करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व बीडर को करार की राशि के पाँच प्रतिशत की परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही, प्रत्येक चलित देयक से पाँच प्रतिशत की दर से सिक्यूरिटी डिपॉजिट की कटौती की जायेगी। परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी पूरे संचालन एवं संधारण अवधि (24 माह) के पूरा होने के बाद जारी की जाएगी, जबकि सिक्यूरिटी डिपॉजिट डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (12 माह) के बाद विमुक्त की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने चार संभागों (रायसेन, बैतूल, मंडला और मुरैना) के पाइपड जलापूर्ति योजनाओं के 50 कार्यों में पाया कि

- अवधि 2018–21 के दौरान 40 कार्य निष्पादित और पूर्ण किए गए थे तथा कार्यों की पूर्णता के पश्चात् परन्तु संचालन एवं संधारण की अवधि के 24 माह पूरे होने से पहले ही परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी को विमुक्त कर दिया गया था।
- दस कार्य जारी थे तथा संभागों ने कार्यों की पूर्णता से पहले ही परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी को विमुक्त कर दिया था।

इस प्रकार, परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी को अनियमित रूप से विमुक्त करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.44 करोड़ की राशि का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ जैसा कि परिशिष्ट 3.14 में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने आगे मंडला के पांच कार्यों में पाया कि सिक्यूरिटी डिपॉजिट, कार्यों के पूरा होने के बाद लेकिन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के 12 माह पूर्ण होने से पहले ही विमुक्त कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 6.73 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ जैसा कि परिशिष्ट 3.15 में वर्णित है।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि समस्त संभागों के कार्यपालन यंत्रियों को आवश्यक कार्रवाई करने एवं अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित अवधि के उपरान्त ही परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी एवं सिक्यूरिटी डिपॉजिट विमुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

कार्यपालन यंत्रियों द्वारा पूर्ववर्ती अनुबंधों के किए गए उल्लंघन के विषय में उत्तर मौन है।

3.7 निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण

3.7.1 जल निगम द्वारा योजनाओं की निगरानी तथा गुणवत्ता नियंत्रण में अनियमितताएं

निगम ने राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों (दिसंबर 2012) के अनुसार, सात मीटर प्रेशर से 55 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक (एल.पी.सी.डी.) पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ बनाई और क्रियान्वित की।

लेखापरीक्षा अवधि (2019–21) के दौरान, निगम द्वारा 241 गांवों को कवर करने वाली 12 योजनाएँ³⁰ पूर्ण की गईं और उनका संचालन एवं संधारण शुरू किया गया। ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे जल की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, निगम ने प्रत्येक पूर्ण योजना के लिए “संचालन एवं संधारण-पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण कंसल्टेंट” नियुक्त किया था।

³⁰ नरहेला, किर्गी, भटेरा, देवसरा, धूति, पिपरझरी, ब्यारमा, मोहखेड़, मानपुर, उदगवां, अरनिया बहादुर और निवाड़ी योजनाएँ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 89 गांवों³¹ की 1,75,065 की जनसंख्या को कवर करने वाली पांच पूर्ण योजनाओं में, जल की आपूर्ति 41.68 एल.पी.सी.डी. और 53.11 एल.पी.सी.डी. के बीच थी, जो 55 एल.पी.सी.डी. के आवश्यक न्यूनतम स्तर से काफी नीचे थी। इसके अतिरिक्त, नौ योजनाओं³² के 108 गांवों और 712 घरों के प्रकरण में ठेकेदारों ने आवश्यक सात मीटर प्रेशर से जल की आपूर्ति नहीं की थी।
- नरहेला, मानपुर, उदगवां और निवाड़ी योजनाओं के तहत आने वाले 82 गांवों में, ठेकेदारों ने फरवरी 2021, दिसंबर 2020, अप्रैल 2021 और दिसंबर 2020 के महीनों में जल की आपूर्ति बिल्कुल भी नहीं की, जैसा कि परिशिष्ट 3.16 में वर्णित है।
- योजनाओं के पूरा होने के बाद, निगम प्रत्येक गाँव के प्रवेश स्थान पर स्थापित बल्क वाटर सप्लाई मीटरों की रीडिंग के आधार पर ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से ₹ 3.25 प्रति किलो लीटर की रियायती दर पर गांवों में जलापूर्ति के लिए जल प्रभार वसूल करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2021 तक निगम ने 19 योजनाओं³³ को पूरा किया था, जिनमें निगम द्वारा 785 गांवों में जलापूर्ति की जा रही थी। निगम ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान आपूर्ति किए गए जल के लिए समितियों को ₹ 17.82 करोड़ के देयक जारी किए हैं। हालांकि, समितियों (31 मार्च 2021) से वह मात्र ₹ 3.58 करोड़ की वसूली कर सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.24 करोड़³⁴ के जल प्रभार की कम वसूली हुई।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि कम वोल्टेज, विद्युत् आपूर्ति में व्यवधान, नल की चोरी, अवैध निकासी तथा पाइपलाइनों की क्षति, इत्यादि के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई थी। जल प्रभार की कम वसूली के विषय में उत्तर मौन था।

3.7.2 पी.एच.ई. संभागों द्वारा योजनाओं की निगरानी तथा गुणवत्ता नियंत्रण में अनियमितताएं

निगरानी में पाई गई अनियमितताओं से संबंधित मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है:

- अनुबंध की 'विशेष शर्त' की कण्डिका 23 के अनुसार ट्रायल रन अवधि प्रारंभ होने के पश्चात् 15 दिनों में कम से कम एक बार प्रत्येक जलस्रोत के नमूने की जिला/ ब्लॉक प्रयोगशाला में जांच की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पांच संभागों³⁵ पाया कि में जल-गुणवत्ता परीक्षण निर्धारित अंतराल पर नहीं किए जा रहे थे। दो संभागों³⁶ के 51 पूर्ण किए गए कार्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान 1,088 जल के नमूनों के बजाय केवल 77 के परीक्षण किए गए थे। अनिवार्य आवधिक जांच के अभाव में, घरों को आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

उत्तर में, कार्यपालन यंत्रियों ने कहा (अक्टूबर 2021) कि ठेकेदार को भविष्य में 15 दिनों के अंतराल पर जिला/ ब्लॉक प्रयोगशाला में जल के नमूने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

- विभाग द्वारा जारी परिपत्र (जुलाई 2017) में 70 एल.पी.सी.डी. जलापूर्ति का प्रावधान है। अनुबंध की 'विशेष शर्त 27' के अनुसार ठेकेदारों को जल वितरण की मात्रा को नोट करने के लिए "बल्क मीटर" लगाना था। विशेष शर्तों 28 और 29 में निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार निर्धारित प्रारूप में जल वितरण के संबंध में एक पंजी संधारित करेगा।

³¹ नरहेला, ब्यारमा, मानपुर, उदगवां और निवाड़ी योजनाएं।

³² नरहेला, भटेरा, देवसरा, धूति, पिपरझरी, ब्यारमा, मानपुर, उदगवां और निवाड़ी योजनाएँ।

³³ मर्दनपुर, उदयपुरा, पुंजापुरा, बगोद नदिया पिपलिया, तालुंखुर्द, अरनिया बहादुर, गंगाबावड़ी, नरहेला, उदगवां, भटेरा, पिपरझरी, मोहखेड़, झुरकी, धूति, देवसरा, ब्यारमा, किर्गी, मानपुर और निवाड़ी योजनाएं।

³⁴ मर्दनपुर (₹ 3.66 करोड़), उदयपुरा (₹ 1.76 करोड़), पुंजापुरा (₹ 0.51 करोड़), बागोद नदिया पिपलिया (₹ 2.08 करोड़), तालुंखुर्द (₹ 1.31 करोड़), अरनिया बहादुर (₹ 0.20 करोड़), गंगाबावड़ी (₹ 0.76 करोड़), नरहेला (₹ 0.55 करोड़), उदगवां (₹ 1.25 करोड़), भटेरा (₹ 0.36 करोड़), पिपरझरी (₹ 0.21 करोड़), मोहखेड़ (₹ 0.08 करोड़), झुरकी (₹ 0.06 करोड़), धूति (₹ 0.15 करोड़), देवसरा (₹ 0.16 करोड़), ब्यारमा (₹ 0.11 करोड़), किर्गी (₹ 0.54 करोड़), मानपुर (₹ -0.01 करोड़) और निवारी (₹ 0.49 करोड़) योजनाएं।

³⁵ बड़वानी, दमोह, राजगढ़, रतलाम और सतना।

³⁶ बैतूल और मंडला।

लेखापरीक्षा ने 10 चयनित संभागों में सभी 116 पूर्ण कार्यों में पाया कि ठेकेदारों द्वारा बल्क मीटर नहीं लगाए³⁷ गए थे। बल्क आपूर्ति मीटर के अभाव में घरों में प्रतिदिन 70 एल.पी.सी.डी. की दर से जल का वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में सतना, दमोह, बड़वानी एवं मुरैना के कार्यपालन यंत्रियों ने कहा (अक्टूबर 2021) कि ठेकेदार द्वारा बल्क मीटर लगाये जायेंगे। कार्यपालन यंत्री, रतलाम ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सभी योजनाओं में बिल ऑफ क्वांटिटी में बल्क मीटर का प्रावधान नहीं होने के कारण उसे नहीं लगाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बल्क मीटर की स्थापना अनुबंध के बिल ऑफ क्वांटिटी में शामिल थी।

- प्रमुख अभियंता (ई-इन-सी) द्वारा जारी परिपत्र (जनवरी 2015) के अनुसार, स्थापित योजनाओं के निरीक्षण के लिए संभागों द्वारा निरीक्षण का एक मासिक रोस्टर तैयार किया जाना था, जिसमें से कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्रियों और उप-यंत्रियों के द्वारा क्रमशः 5, 15 एवं 25 कार्यों का निरीक्षण किया जाना था। ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की निरीक्षण-टिप्पणी तैयार करनी और उच्च कार्यालय को प्रेषित करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित निरीक्षण विभागीय यंत्रियों के द्वारा नहीं किए जा रहे थे।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि सभी संभागों के कार्यपालन यंत्रियों को अनुबंध के अनुरूप योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने एवं कार्य की निगरानी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा योजनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करने और निरीक्षण प्रतिवेदन उच्च कार्यालयों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

3.7.3 भौतिक निरीक्षण के परिणाम

3.7.3.1 जल निगम द्वारा निष्पादित योजनाओं का भौतिक निरीक्षण

लेखापरीक्षा दल के द्वारा निगम के अधिकारियों, ठेकेदार और संचालन एवं संधारण कंसल्टेंट के साथ तीन पूर्ण योजनाओं (नरहेला, उदगवां और निवाड़ी) तथा इनमें से प्रत्येक योजना के तीन नमूना गांवों³⁸ के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- पांच गांवों³⁹ में पानी की आपूर्ति कम थी क्योंकि कुछ बस्तियों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था और कुछ बस्तियों में जलापूर्ति का प्रेशर बहुत कम था।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि बगैर नलवाले कनेक्शनों से पानी की बर्बादी पानी की आपूर्ति नहीं होने या अपर्याप्त आपूर्ति होने का कारण था, इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

- उदगवां योजनान्तर्गत गांधारी का डेरा गाँव और नरहेला परियोजना के अंतर्गत धोरेरा गाँव यद्यपि इंटेक वेल/वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के समीपस्थ थे उनके घरों को जल कनेक्शन नहीं दिया गया था।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि गांधारी का डेरा गाँव में कुछ घरों को छोड़कर जहाँ तकनीकी रूप से पानी की आपूर्ति संभव नहीं थी, सभी घरों को कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। आगे, धोरेरा गाँव को चंबल बहु-ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि उन्होंने समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया।

³⁷ लेखापरीक्षा द्वारा संभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ किये गये संयुक्त भौतिक निरीक्षण (प्रत्येक चयनित संभाग में दो योजनाएं) में इस तथ्य की पुष्टि की गयी।

³⁸ नरहेला योजना: नरहेला, पटेल का पुरा और काशीपुर। उदगवां योजना: गांधारी का डेरा, अगोरा और डंगकरेरा। निवाड़ी योजना: भित्तरी, देवरी कलारू और बीजौर।

³⁹ नरहेला योजना: नरहेला, पटेल का पुरा और काशीपुर। निवाड़ी योजना: भित्तरी और देवरी कलारू।

3.7.3.2 पी.एच.ई. संभागों के भौतिक सत्यापन के परिणाम

विभागीय प्रतिनिधियों के साथ चार गांवों (मंडला एवं बड़वानी संभाग) में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- मंडला के न्यूजमाल और गौड़ी गांवों में बोरवेल और पंप हाउस पर सेंसर आधारित ऑटो कट-ऑफ सिस्टम नहीं लगाया गया था।
- मंडला के न्यूजमाल और गौड़ी गांव और बड़वानी के सुलगांव गांव में पानी कीटाणु शोधन प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।
- मंडला के गौड़ी गांव में जल स्तर संकेतक और बड़वानी के सेमली गांव में ओवर हेड टैंक पर लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगे थे।

इस प्रकार, कार्यों के अनुश्रवण में कमी थी।

उत्तर में, शासन ने बताया (अगस्त 2022) कि इन संभागों के कार्यपालन यंत्रियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि योजनाओं के पूर्ण होने के बाद अनुबन्धों में उल्लेखित अवधि तक ठेकेदारों द्वारा इसका संचालन एवं अनुरक्षण किया जाये।

3.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी :

- डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली के प्रावधानों का कई मामलों में अनुपालन नहीं किया गया है।
- योजनाओं में अत्यधिक विलम्ब के बावजूद जवाबदेही तय नहीं की गई है।
- अग्रह्य भुगतान, परिनिर्धारित क्षति की वसूली न होना, अनियमित अग्रिम भुगतान, परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी/सिक्यूरिटी डिपॉजिट की अनियमित विमुक्ति, इत्यादि के माध्यम से ठेकेदार लाभान्वित किए गए हैं।
- जलस्रोतों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनके रिचार्ज के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।
- कार्यों/ योजनाओं के अपर्याप्त संचालन और संधारण एवं निगरानी के कारण पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा में जल उपलब्ध कराने में भी विभाग और निगम विफल रहे हैं।

3.9 अनुशंसायें

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- पेय जल योजनाओं को तकनीकी और निरंतरता पहलू सुनिश्चित करने के बाद ही अनुमोदित किया जाना चाहिए तथा इसे दिशानिर्देशों और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियोजित किया जाना चाहिए।
- योजनाओं के लिए निधि का आवंटन और उसका उपयोग आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित होना चाहिए।
- योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को सिंक्रनाइज़ किया जाना चाहिए।
- विभाग को जलस्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोतों को रिचार्ज करने के लिए सजग होना और समय पर प्रयास करना चाहिए।
- निवासियों को गुणात्मक और मात्रात्मक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग और निगम को एक प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय 4 ऊर्जा विभाग

अध्याय 4 ऊर्जा विभाग

“मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, खंडवा के विद्युत गृह-II के निर्माण, संचालन और संधारण” पर अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

लेखापरीक्षा द्वारा श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र (श्री.सिं.ता.वि.के.), खंडवा के विद्युत गृह-II के निर्माण और परिचालन प्रदर्शन को वर्ष 2009-10 में व्यवहार्यता प्रतिवेदन की तैयारी की अवधि से लेकर 28 मार्च 2019 को संयंत्र के चालू होने की अवधि तक को सम्मिलित किया गया है। जिसमें, 31 मार्च 2021 तक परिचालन प्रदर्शन भी सम्मिलित है।

श्री.सिं.ता.वि.के., खंडवा और जबलपुर स्थित कंपनी के मुख्य कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित प्रेक्षण संज्ञान में आए : -

- त्रुटिपूर्ण योजना और परियोजना के पूर्व-निष्पादन गतिविधियों में देरी के कारण पूंजी पर प्रतिलाभ का नुकसान, जल प्रभारों का परिहार्य भुगतान, स्वच्छ विकास तंत्र (स्व.वि.तं.) का लाभ नहीं मिलना।
- ठेकेदार को अग्रिम भुगतान में देरी के कारण निर्माण के दौरान बकाया ब्याज (आई.डी.सी.) /निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आई.ई.डी.सी.) के दावे से वंचित रहना, परिवर्तित विनिमय दर का अतिरिक्त भुगतान, निर्धारित परियोजना में चूक, सी.एच.पी. के पूरा होने में विलंब, ए.एच.पी. के चालू होने में विलंब, बॉयलर के सहायक उपकरणों को चालू करने में विलंब, अनिवार्य पूर्जों की आपूर्ति में कमियाँ, निष्पादन गारंटी परीक्षण का संचालन न करना।
- कार्य के क्रियान्वयन में विलंब और ठेकेदार को अनुचित समय विस्तार प्रदान करना।
- म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध पी.ए.एफ. और पी.एल.एफ. की अप्राप्ति, लगातार ट्रिपिंग से अधिक जी.एस.एच.आर., अधिक सहायक खपत, अधिक ईंधन तेल की खपत।
- खदानों पर लोडिंग छोरों और ता.वि.के. पर अनलोडिंग छोरों के बीच जी.सी.वी. में कमी, कोयले की कमी, तल और फ्लाइं एश में बिना जले हुए कोयले की अधिकता।
- विद्युत गृह में स्थापित टर्बाइनों की विफलता के कारण अप्राप्त स्थाई लागत के वसूली की हानि।
- स्टैक उत्सर्जन की अधिकता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राख उपयोग मानदंडों का पालन न करना, विशिष्ट जल की अतिरिक्त खपत।

कमियों के इन प्रकरणों में, कुल ₹ 2,113.01 करोड़, का समग्र प्रभाव शामिल है।

4.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (कंपनी) को मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित (नवंबर 2001) किया गया था। कंपनी 5,400 मेगा वाट¹ (मे०वा०) की कुल स्थापित क्षमता के साथ चार ताप विद्युत केंद्रों² (ता.वि.के.) का संचालन कर रही थी।

¹ अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, चर्चई 210 मे.वा., संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर 1,340 मे.वा., सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सारणी 1,330 मे.वा. और श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, खंडवा 2,520 मे.वा.।

मालवा-निमाड़ क्षेत्र को थोक बिजली की आपूर्ति करने के अपने प्रयास में, मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) ने 4*600 मे०वा० क्षमता (विद्युत गृह I और II) की मालवा ताप विद्युत परियोजना का अनुमोदन (जनवरी 2008) किया। यद्यपि, विशेषज्ञ सलाहकार समिति (वि.स.स.) की अनुशंसा³ के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केवल दो इकाइयों (2*600 मे.वा.) हेतु पर्यावरण मंजूरी प्रदान (अक्टूबर 2008) की गई।

कंपनी ने ताप विद्युत केंद्र के विद्युत गृह-II की व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु मैसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड को सलाहकार के रूप में नियुक्त (अक्टूबर 2010) किया। सलाहकार द्वारा प्रस्तुत (दिसंबर 2010) व्यवहार्यता प्रतिवेदन⁴, में अनुमानित मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के लिए, श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र (श्री.सिं.ता.वि.के.), विद्युत गृह-II की स्थापना (2*600 मे.वा.) को उचित ठहराया गया।

म.प्र. शासन (जनवरी 2011) और कंपनी (दिसम्बर 2011) के निदेशक मंडल ने ₹ 6,500 करोड़ की अनुमानित लागत पर 2*660 मे.वा. के श्री.सिं.ता.वि.के., विद्युत गृह-II की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

4.2 कंपनी की संगठनात्मक संरचना

कंपनी, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में है जिसके प्रमुख, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव हैं। कंपनी का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन निदेशक मंडल के अधीन होता है। प्रबंध निदेशक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वाणिज्यिक), मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों, मुख्य अभियंताओं और कंपनी सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक ताप विद्युत केंद्र का नेतृत्व एक मुख्य अभियंता द्वारा किया जाता है, जिसे अपर मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण यंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो संबंधित ताप विद्युत केंद्र में नियमित संचालन एवं संधारण का कार्य देखते हैं।

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने की दृष्टि से की गयी थी कि—

- क्या ताप विद्युत केंद्र का निर्माण कार्य डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार निष्पादित किया गया था तथा कार्यों को विवेकपूर्ण तरीके से सौंपा एवं निष्पादित किया गया था, एवं
- क्या ताप विद्युत केंद्र, संभावित उत्पादन प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.), मध्य प्रदेश शासन और कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संचालित एवं संधारित था।

4.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा ने श्री.सिं.ता.वि.के. के वि.गृ.-II के निर्माण और संचालन कार्य को सलाहकार द्वारा वर्ष 2009-10 में फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने से लेकर 31 मार्च 2021 तक संचालन कार्य सहित संयंत्र के प्रारम्भ⁵ होने तक की अवधि को शामिल किया।

वि.गृ.-II के निर्माण से संबंधित अभिलेखों का विश्लेषण कंपनी के मुख्य व्यवसायिक कार्यालय जबलपुर में किया गया एवं संचालन कार्य के अभिलेखों का विश्लेषण श्री.सिं.ता.वि.के., खंडवा में किया गया।

² ताप विद्युत गृह में कोयले के दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में, भाप से चलने वाले टर्बाइन ऊष्मा को यांत्रिक शक्ति में और फिर अंत में विद्युत शक्ति में परिवर्तित करते हैं।

³ कंपनी के पास कोयले की सीमित उपलब्धता यानी 4.62 मिलियन टन प्रति वर्ष लिकेज के कारण।

⁴ वर्ष 2009-10 और 2010-11 की अवधि में पीक डिमांड डेफिसिट क्रमशः 14.4 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत, पीक एनर्जी डेफिसिट 19.0 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत थी।

⁵ संयंत्र की इकाई-3 को 18 नवंबर 2018 और संयंत्र की इकाई-4 को 28 मार्च 2019 को चालू किया गया था।

प्रवेश सम्मेलन जुलाई 2021 में आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा की अवधि में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या की गई तथा लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं मानदंडों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की गई। जून 2022 में आयोजित निकास बैठक में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर शासन/ कंपनी के प्रबंधन के साथ चर्चा की गई एवं शासन/ प्रबंधन के विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मानदंडों के विरुद्ध प्राप्त किए गए हैं:

1. भारत सरकार, म. प्र. शासन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.)/ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (कें.वि.नि.आ.)/ मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.) द्वारा जारी नीति तथा दिशानिर्देश;
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ म. प्र. शासन, केंद्रीय/ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (कें.प्र.नि.बो./ म.प्र.प्र.नि.बो.) एवं अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देश/ पर्यावरणीय मानदंड;
3. निदेशक मंडल/ व्यवसाय समिति की बैठकों की कार्यसूची/ कार्यवृत्त, म.प्र.वि.नि.आ./ कें.वि.प्रा./ म.प्र.प्र.नि.बो. को प्रस्तुत प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन तथा
4. फिसिबिलिटी/ डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, निविदा प्रपत्रों/ ठेका अनुबंधों / ईंधन आपूर्ति अनुबंधों/ विद्युत क्रय अनुबंधों, आदि में उल्लेखित नियम एवं शर्तें; इत्यादि।

4.6 ताप विद्युत केन्द्र की विद्युत उत्पादन प्रक्रिया

ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादन प्रक्रिया का योजनाबद्ध आरेख नीचे चार्ट-1 में दिया गया है:-

चार्ट- 4.1: ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादन प्रक्रिया



ताप विद्युत केन्द्रों में, बाँयलर में उत्पादित भाप का उच्च दबाव जेनरेटर से जुड़े टर्बाइन को घुमाती है, जहाँ विद्युत उत्पन्न होती है।

4.7 परियोजना का निर्माण

मार्च 2012 में अंतिम रूप दी गयी परियोजना की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में परियोजना की लागत ₹ 6,499.93 करोड़ उल्लेखित थी, जिसे संशोधित (सितम्बर 2017) कर ₹ 7,738.00 करोड़⁶ कर दिया गया। म. प्र. शासन ने संशोधित लागत के लिए अपना अनुमोदन (मार्च 2019) दिया तथा म.प्र.वि.नि.आ. ने भी अंतिम उत्पादन टैरिफ आदेश दिनांक 18 मई 2021 द्वारा संशोधित परियोजना लागत को अनुमोदित किया।

30 सितंबर 2021 तक, कुल अनुमोदित परियोजना लागत के विरुद्ध, परियोजना पर किया गया कुल व्यय तथा इसके वित्त पोषण का स्रोत नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1: परियोजना व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल	म.प्र.शा. से अंशपूर्जी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ऋण
स्वीकृत परियोजना लागत	7,738.00	1,547.60	6,190.40
30 सितंबर 2021 तक व्यय	6,757.01	1,300.20	5,456.81
कुल लागत के साथ व्यय का प्रतिशत	87.32	84.01	88.15

लेखापरीक्षा परिणाम

परियोजना के निर्माण पर लेखापरीक्षा के परिणामों में मुख्य रूप से प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन के आलेख, आवश्यक अनुमति प्राप्त करने, ईंधन की व्यवस्था करने, एवं परियोजना की निविदा एवं निष्पादन, संयंत्र के प्रदर्शन गारंटी परीक्षण सहित मुद्दों को शामिल किया गया है।

परियोजना के संचालन तथा रखरखाव पर लेखापरीक्षा परिणामों में व्यापक रूप से विभिन्न संचालन मानकों के विरुद्ध संयंत्र के संचालन निष्पादन, मुख्य फोर्सर्ड आउटलेज के विश्लेषण एवं विभिन्न पर्यावरण तथा सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को शामिल किया गया है।

4.8 परियोजना की योजना

योजना एवं निष्पादन-पूर्व गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.8.1 परियोजना के विभिन्न चरणों में विलंब के कारण पूंजी पर प्रतिलाभ अप्राप्त रहा

म.प्र.वि.नि.आ. उत्पादन टैरिफ विनियम⁷ विद्युत उत्पादन कंपनियों को विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए प्रति वर्ष 15.5 प्रतिशत की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ (आर.ओ.ई.) की वसूली करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त यह 660 मेगावाट और उससे अधिक की उन विस्तार परियोजनाओं के लिए 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रतिलाभ की अनुमति देता है, जो उत्पादन कंपनी के बोर्ड द्वारा निवेश अनुमोदन की तारीख से 50 महीने के भीतर अपनी पहली इकाई एवं 56 महीने के भीतर दूसरी इकाई को पूरा करती है।

म.प्र. शासन ने जनवरी 2011 में परियोजना की स्थापना के लिए अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की तथा कंपनी के निदेशक मंडल ने, फर्म कोल लिंकेज⁸ की अनुपलब्धता के बावजूद, 14 दिसंबर 2011 को परियोजना के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

भारत सरकार ने अगस्त 2014 में परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी⁹ प्रदान की तथा कंपनी ने सितंबर 2014 में परियोजना हेतु कार्यादेश¹⁰ दिया, जो कि निदेशक मंडल द्वारा परियोजना के अनुमोदन

⁶ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफ.जी.डी.) उपकरण (नए पर्यावरण मानदंड 2015 के अनुसार आवश्यक) की स्थापना के कारण, जल शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का लागू होना, मूल्य भिन्नता (पी.वी.) और विनियम दर भिन्नता (ई.आर.वी.) में वृद्धि।

⁷ मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2015।

⁸ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, के परिपत्र (नवंबर 2010) के अनुसार एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी हेतु तब ही मान्य किया जाएगा जब उसके पास एक फर्म कोल लिंकेज हो।

⁹ सतपुड़ा ता.वि.के., सारणी की इकाइयों के लिए आवंटित 6.6 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयले को डायवर्ट करने के लिए कंपनी द्वारा दिए गए आश्वासन (जुलाई 2014) पर, जो जल्द ही चरणबद्ध तरीके से हटाये जाने वाले थे।

¹⁰ वहीं इकाई 3 व 4 के वाणिज्यिक संचालन तिथि की समय सीमा क्रमशः 43 व 47 माह थी।

के 32 माह बाद था। इकाई 3 एवं 4 को क्रमशः 18 नवंबर 2018 एवं 28 मार्च 2019 को पूरा किया गया था। दोनों इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा निवेश अनुमोदन की तिथि अर्थात् 14 दिसंबर 2011 से पूरा करने के लिए, म.प्र.वि.नि.आ. क्रमशः 50 माह एवं 56 माह के समय की अनुमति प्रदानकर्ता है। इस प्रकार निदेशक मंडल द्वारा निवेश अनुमोदन की तिथि से क्रमशः दोनों इकाइयों को पूरा करने में 33 माह 4 दिन एवं 31 माह 14 दिनों की देरी हुई थी।

कंपनी ने अपनी टैरिफ याचिका (2020 की संख्या-25) में 16 प्रतिशत की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ का दावा किया (फरवरी 2020)। म.प्र.वि.नि.आ. ने यद्यपि, अतिरिक्त (0.5 प्रतिशत) पूंजी पर प्रतिलाभ को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि परियोजना की दोनों इकाइयां (इकाई-3 और 4) निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी नहीं की जा सकीं।

इस प्रकार, कंपनी परियोजना अनुमोदन को रणनीतिक रूप से निर्धारित करने एवं कार्य को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना निष्पादन कार्यक्रम की निगरानी करने में विफल रही, ताकि पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ प्राप्त किया जा सके। फर्म कोल लिंकेज, साथ ही पर्यावरण मंजूरी और परियोजना निष्पादन में देरी के कारण, निर्धारित समयावधि से वाणिज्यिक संचालन तिथि (वा.सं.ति.) प्राप्त करने में देरी हुई एवं कंपनी ताप संयंत्र के जीवन काल (25 वर्ष) की अवधि में पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ के फायदे से ₹ 120.75 करोड़¹¹ की सीमा तक वंचित रही।

शासन ने कहा (मई 2022) कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, ने सूचित किया (सितंबर 2010) कि उसने श्री सिं.ता.वि.कें., वि.गू.-II के लिए कोल लिंकेज के आवंटन हेतु अपनी अनुशंसाएँ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दी थी। तदनुसार, म.प्र. शासन ने परियोजना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। आगे यह भी कहा गया कि म.प्र.वि.नि.आ. के विनियम 2009 (नियंत्रण अवधि 2010-12 के लिए) एवं विनियम 2012 (नियंत्रण अवधि 2014-16 के लिए) में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए "निवेश अनुमोदन" की तिथि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थी, इसलिए प्रभावी अनुबंध की तिथि को 'निवेश स्वीकृति तिथि' के रूप में माना गया।

उत्तर पुष्टि करता है कि अनुमोदन, कोल लिंकेज की प्रत्याशा में प्रदान किया गया था तथा अनुमोदन के समय तक कोई फर्म लिंकेज प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, शासन का दावा कि म.प्र.वि.नि.आ. विनियम 2009 एवं 2012 में निवेश स्वीकृति की तिथि को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि इन विनियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, "पूर्ण करने की समय-सीमा की गणना, बोर्ड (उत्पादन कंपनी) द्वारा निवेश अनुमोदन की तिथि से इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक की जाएगी।"

4.8.2 जल प्रभारों का परिहार्य भुगतान ₹ 67.80 करोड़

वि.गू.-I एवं II दोनों के संचालन और रखरखाव के लिए जल की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, कंपनी ने प्रति वर्ष 75.60 मिलियन घन मीटर (मि.घ.मी.)¹² की आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग से जल का आवंटन प्राप्त (अगस्त 2013) किया तथा वि.गू.-I एवं II दोनों के लिए जल की आपूर्ति हेतु जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन के साथ जल आपूर्ति अनुबंध निष्पादित (फरवरी 2015) किया। जल आपूर्ति अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कंपनी वार्षिक आवंटन की कुल मात्रा के 90 प्रतिशत या जल की वास्तविक मात्रा, जो भी अधिक हो, का भुगतान, ₹ 5.50 प्रति घन मीटर की दर से करने के लिए उत्तरदायी थी। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सिंचाई नियम, 1974¹³ के प्रावधानों के अनुसार, इकाई 3 एवं 4 के लिए जल प्रभार अगस्त 2015 से अर्थात् जल आपूर्ति अनुबंध करने की तारीख से छः माह के बाद से देय होगा।

¹¹ ₹ 149.85 करोड़ (म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा प्रति वर्ष 15.5 प्रतिशत की दर से पूंजी पर अनुमत प्रतिलाभ) * 0.5 प्रतिशत / 15.5 प्रतिशत = ₹ 4.83 करोड़ प्रति वर्ष * 25 वर्ष = ₹ 120.75 करोड़।

¹² इकाई 1 और 2: 18 मि. घ. मी. प्रत्येक और इकाई-3 एवं 4: 19.80 मि. घ. मी. प्रत्येक।

¹³ कंपनी अलग-अलग इकाइयों के लिए उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु भिन्न-भिन्न तारीखें तय कर सकती है लेकिन अंतर छह माह से अधिक नहीं हो सकता है।

जल संसाधन विभाग ने, वि.गृ.-II के दीर्घकालिक समय-सारणी¹⁴ पर विचार करते हुए, कंपनी को वि.गृ.-II हेतु पृथक जल आपूर्ति अनुबंध करने तथा जल प्रभार के भुगतान से बचने का सुझाव (मई 2016) दिया।

यद्यपि, कंपनी ने वि.गृ.-II के लिए पृथक जल आपूर्ति अनुबंध नहीं किया तथा इसे अगस्त 2015 से इकाई-3 हेतु नवंबर 2018 की अवधि तक तथा इकाई-4 हेतु मार्च 2019 तक बिना जल का उपयोग किए ₹ 67.80 करोड़ शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

शासन ने कहा (मई 2022) कि परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी के साथ-साथ कोल लिंकेज प्राप्त करने हेतु जल आवंटन अनिवार्य आवश्यकता थी एवं यदि द्वितीय-चरण के लिए जल आवंटन समर्पित कर दिया गया होता, तो जब जल की आवश्यकता होती, तब जल की अनुपलब्धता के कारण परियोजना के लिए संकट पैदा हो सकता था।

उत्तर पुष्टि करता है कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए केवल जल का आवंटन पर्याप्त था जिसे कंपनी ने अगस्त 2013 में पहले ही प्राप्त कर लिया था और अगस्त 2019¹⁵ जो कि, वि.गृ.-II के पूरा होने की सीमा के बाद तक वैध था। इस प्रकार, यदि कंपनी ने वि.गृ.-II हेतु पृथक जल आपूर्ति अनुबंध किया होता, तो वह जल प्रभार के लिए ₹ 67.80 करोड़ के निष्फल भुगतान से बच सकती थी।

4.8.3 स्वच्छ विकास तंत्र (स्व.वि.तं.) का लाभ नहीं लेना

व्यवहार्यता प्रतिवेदन के साथ-साथ डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाने पर स्वच्छ विकास तंत्र¹⁶ के लाभों की परिकल्पना की गई है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप संयंत्र की दक्षता में वृद्धि एवं कोयले की खपत में कमी होगी। 10 वर्षों में कार्बन क्रेडिट की बिक्री से अनुमानित राजस्व ₹ 2,289.07 करोड़ था।

कंपनी ने परियोजना को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंतर्गत स्व.वि.तं. परियोजना के रूप में पंजीकृत करने के लिए नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण¹⁷ से संपर्क नहीं किया। वर्ष 2009-10 के लिए सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में स्व.वि.तं. लाभों के लिए कंपनी की तत्कालीन परियोजनाओं के गैर-पंजीकरण का प्रकरण शामिल था। कंपनी ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2010) कि श्री सिं.ता.वि.कें. वि.गृ.-I सहित उनकी चल रही परियोजनाएं सब-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित थीं जो स्व.वि.तं. लाभ के पात्र नहीं थीं।

शासन ने कहा (मई 2022) कि, भारत में किसी भी सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह को संभवतः बेसलाइन उत्सर्जन की तुलना में, कुशल प्रौद्योगिकियों के कारण उत्सर्जन में कमी की वजह से स्व.वि.तं. लाभ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कार्बन क्रेडिट के बिक्री के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंतर्गत नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ परियोजना को पंजीकृत करना निरर्थक प्रयास होता। इसके अलावा, कार्बन क्रेडिट की कीमतों में कमी के कारण कंपनी को वर्ष 2013 से 2020 की अवधि में केवल ₹ 36.30 करोड़ के अनुमानित राजस्व का लाभ हुआ होता। आगे बताया (जून 2022) कि परियोजना का पंजीकरण केवल इसकी वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक किया जा सकता है।

उत्तर इंगित करता है कि कंपनी ने ₹ 36.30 करोड़ के राजस्व की वसूली की होती, अगर उसने परियोजना के वाणिज्यिक संचालन तिथि से पहले नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ परियोजना को पंजीकृत किया होता। इसके अलावा, यह उत्तर कि नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ परियोजना को

¹⁴ इकाई-3 के लिए जुलाई 2018 और इकाई-4 के लिए नवंबर 2018।

¹⁵ राजपत्र अधिसूचना दिनांक 22.06.2013 के उपवाक्य (घ) के अनुसार जल आवंटन आदेश उन मामलों में निरस्त समझा जायेगा जिनमें औद्योगिक इकाइयों ने जल आवंटन आदेश जारी करने की तिथि से 72 माह (अगस्त 2019) तक औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो (अगस्त 2013)।

¹⁶ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में परिभाषित स्व. वि. तं. क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन-कमी या उत्सर्जन-सीमा प्रतिबद्धता वाले देश को विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजना को लागू करने की अनुमति देता है। ऐसी परियोजनाएं बिक्री योग्य प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं, प्रत्येक एक टन कार्बनडाईऑक्साइड के बराबर है, जिसे क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गिना जा सकता है।

¹⁷ भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था।

पंजीकृत करना एक निरर्थक प्रयास होगा, केवल बाद का एक विचार है क्योंकि इस संबंध में प्रबंधन का कोई सुविचारित निर्णय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

4.9 संयंत्र के लिए अनुबंधों की निविदा एवं कार्यान्वयन

कंपनी ने पूर्ण इंजीनियरिंग, क्रय एवं निर्माण (ई.पी.सी.) के आधार पर परियोजना की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की (जुलाई 2012) तथा अगस्त 2013 में इसे अंतिम रूप दिया, जिसमें मैसर्स एलएण्डटी ई.पी.सी. पावर बड़ोदरा (ई.पी.सी. ठेकेदार) ₹ 5,134.75 करोड़ की कुल लागत के साथ एल-1 बोलीदाता के रूप में आया। कंपनी ने इसकी सूचना ई.पी.सी. ठेकेदार को यह कहते हुए दी (अक्टूबर 2013) कि कार्यावंटन आदेश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

4.9.1 ठेकेदार को अग्रिम भुगतान में देरी के कारण निर्माण के दौरान बकाया ब्याज (आईडीसी)/निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईडीसी) के अप्राप्त दावे

म.प्र.वि.नि.आ. का उत्पादन टैरिफ विनियम, उत्पादनकर्ता को विद्युत परियोजना के निर्माण की अवधि में क्रमशः निर्माण के दौरान ब्याज की लागत (आईडीसी) एवं निर्माण के दौरान के आकस्मिक व्यय (आईडीसी) को टैरिफ के माध्यम से वसूल करने की अनुमति देता है।

कंपनी ने निर्णय¹⁸ लिया था (31 अगस्त 2013) कि अनुबंध की प्रभावी तिथि (शून्य तिथि) कार्यावंटन आदेश जारी करने की तिथि होगी एवं अग्रिमों का भुगतान कार्यावंटन आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर किया जायेगा। यदि कंपनी की गलती के कारण भुगतान में 60 दिनों से अधिक देरी होती है, तो प्रभावी तिथि (शून्य तिथि) को तदनुसार बढ़ाया जायेगा।

कंपनी ने 04 सितंबर 2014 को कार्यावंटन आदेश जारी किया तथा दिसंबर 2014 से जून 2015 की अवधि के दौरान ठेकेदार को ₹ 375.07 करोड़ का प्रारम्भिक अग्रिम का भुगतान किया। चूंकि अग्रिम भुगतान में देरी 60 दिनों से अधिक समय के लिए थी, इसलिए पहले अग्रिम के भुगतान की तिथि अर्थात् 31 दिसंबर 2014 को प्रभावी तिथि के रूप में माना गया एवं तदनुसार दोनों इकाइयों की निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि¹⁹ को क्रमशः यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए 03 अप्रैल 2018 एवं 03 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2018 एवं 30 नवंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

चूंकि प्रारंभिक अग्रिमों के भुगतान में देरी याचिकाकर्ता (कंपनी) के कारण हुई थी अतः म.प्र.वि.नि.आ. ने इकाई 3 एवं 4 हेतु प्रथम उत्पादन टैरिफ निर्धारित करते हुए (मई 2021) 118 दिनों की विलंबित अवधि के लिए ₹ 185.47 करोड़ के आईडीसी एवं ₹ 29.56 करोड़ के आईडीसी को अस्वीकार कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- बजट (2014-15) में ₹ 360 करोड़ का प्रावधान होने के बावजूद, कंपनी ने निधि के संवितरण के संबंध में म.प्र. शासन को विलम्ब से (01 अक्टूबर 2014) संपर्क किया, जो कि 25 नवंबर 2014 को प्राप्त हुई जिसके कारण ठेकेदार को अग्रिम भुगतान में विलम्ब हुआ, परिणामस्वरूप निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि के स्थगन से परियोजना में विलंब हो रहा है, तथा
- कंपनी ने इसी तरह के उद्देश्य के लिए निधियों को आहरित करने की शक्ति होने पर भी प्रारंभिक अग्रिम राशि का भुगतान करने के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत (सितंबर 2011) ₹ 4,862.17 करोड़, ऋण से धन आहरित नहीं किया था।

इस प्रकार, कंपनी ने निधियों की उपलब्धता होने पर भी ठेकेदार को अग्रिम भुगतान में विलंब किया एवं टैरिफ के माध्यम से निर्माण की अवधि के दौरान ब्याज एवं निर्माण की अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय प्राप्त करने का अवसर खो दिया।

शासन ने कहा (मई 2022) कि ईपीसी ठेकेदार की संयुक्त उपक्रम भागीदारी कंपनियों का पुनर्गठन जून 2014 में किया गया था एवं ईपीसी ठेकेदार ने 08 सितंबर 2014 को कार्यावंटन आदेश जारी करने

¹⁸ यह 04 सितंबर 2014 को जारी कार्यावंटन आदेश की शर्तों के अनुसार था।

¹⁹ निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि, इकाई 3 एवं इकाई 4 के संबंध में प्रभावी दिनांक से क्रमशः 43 माह एवं 47 माह।

के पश्चात्, कंपनी को इसकी सूचना दी। इसके पश्चात् कंपनी ने महाधिवक्ता, म.प्र. शासन से विधिक राय मांगी, जो 15 नवंबर 2014 को पुनर्गठन के लिए सहमत हुए। कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा 25 नवंबर 2014 को अनुमोदन के पश्चात्, ईपीसी ठेकेदार को आगे के प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जो कि उसने 26 दिसंबर 2014 को किया। इसके पश्चात् अग्रिम जारी किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2013 में ईपीसी ठेकेदार (अर्थात् मैसर्स एलएण्डटी पावर) को एल-1 बोलीदाता के रूप में चुना गया था एवं इसकी सूचना भी अक्टूबर 2013 में ठेकेदार को दी गयी थी, ईपीसी ठेकेदार स्वयं अपनी भागीदार कंपनियों के पुनर्गठन (जून 2014) के विषय में उनके पुनर्गठन के समय कंपनी को सूचित करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने विलंब से सूचना देने के लिए ईपीसी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की एवं इसके स्थान पर कंपनी ने स्वयं ही समस्त उत्तरदायित्व लिया एवं म.प्र.वि.नि.आ. के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करते समय अग्रिम देने में विलंब के कारण आईडीसी एवं आईईडीसी की प्राप्ति का लाभ उठाने का अवसर खो दिया।

4.9.2 परिवर्तित विनिमय दर (ईआरवी) का अतिरिक्त भुगतान

कंपनी ने परियोजना की स्थापना के लिए ईपीसी ठेकेदार को पांच कार्यावंटन आदेश जारी (04 सितंबर 2014) किए। दो अनुबंधों में विदेशी मुद्राओं²⁰ में भुगतान सम्मिलित था। अनुबंधों के अनुसार, सामग्रियों की आपूर्ति परियोजनाओं की निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व की जानी थी एवं सामग्री की आपूर्ति के सापेक्ष विदेशी मुद्राओं में उद्धृत सामग्री के मूल्य का भुगतान संबंधित विदेशी मुद्रा में किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति थी एवं कंपनी ने निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि से परे विलंबित आपूर्ति हेतु विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में ऊर्ध्वगामी संशोधन के कारण अतिरिक्त भुगतान को सीमित करने के लिए, अनुबंधों में कोई खंड सम्मिलित नहीं किया गया था।

कंपनी को इकाई-4 (नवंबर 2018) की निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि के पश्चात्, विनिमय दरों में वृद्धि के कारण ₹ 57.28 करोड़ की विदेशी मुद्रा में उद्धृत सामग्री, जिसकी नवम्बर 2018 से जून 2021 की अवधि में आपूर्ति की गई थी, के सापेक्ष ₹ 3.38 करोड़²¹ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

शासन ने कहा (मई 2022) कि यदि ई.आर.वी. के भुगतान पर अधिकतम सीमा रखी गई होती, तो संभावना होती कि प्रतिकूल विदेशी मुद्रा दरों के कारण, अप्रत्याशित नुकसान को कवर करने के लिए ठेकेदारों ने उच्चतम मूल्य उद्धृत किए होते, जिसके परिणामस्वरूप बोली मूल्य उच्चतम होते।

उत्तर ठोस नहीं है क्योंकि एक सामान्य विवेक के रूप में, निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि तक मूल्य परिवर्तन स्वीकार होते एवं तत्पश्चात् विलंब हेतु ठेकेदारों को दंडित किया जाना था। ईआरवी के भुगतान को निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि तक सीमित न करने के परिणामस्वरूप जून 2021 तक ₹ 3.38 करोड़ का ईआरवी का परिहार्य भुगतान हुआ एवं ईआरवी का बोझ अतिरिक्त बढ़ जाएगा, जब शेष सामग्री की आपूर्ति बाद की तिथियों में प्राप्त होगी।

4.9.3 निर्धारित परियोजना में चूक

ईपीसी ठेकेदार के साथ अनुबंध के अनुसार, निर्धारित पूर्णता तिथि²² के पश्चात् एक सप्ताह अथवा उसके भाग हेतु विलंब के लिए ठेकेदार पर, अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत अधिकतम अनुबंध मूल्य²³ का 10 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) लगाई जानी थी।

²⁰ पहले अनुबंध में यूएस डॉलर 25.504 मिलियन, यूरो 8.706 मिलियन एवं जापानी येन 2339.046 मिलियन और तथा द्वितीय अनुबंध में यूएस डॉलर 58.453 मिलियन, यूरो 7.541 मिलियन, जापानी येन 2761.184 मिलियन और स्थानीय (भारतीय) आपूर्ति/सेवाएं ₹ 29,703,602 मिलियन।

²¹ निर्धारित सीओडी एवं वास्तविक आपूर्ति तिथि पर मुद्रा दर भिन्नता के कारण लागत में अंतर के रूप में गणना।

²² इकाई-3 और 4 को क्रमशः जुलाई 2018 और नवंबर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था।

²³ एल.डी. के उद्देश्य के लिए पहली इकाई (इकाई-3) का अनुबंध मूल्य कुल अनुबंध मूल्य का 60 प्रतिशत एवं दूसरी इकाई (इकाई-4) हेतु अनुबंध मूल्य का 40 प्रतिशत लिया जाना था।

कंपनी ने, वाणिज्यिक संचालन तिथि, 18 नवंबर 2018 को इकाई-3 की 110 दिनों के विलंब से एवं 28 मार्च 2019 को इकाई-4 की 118 दिनों के विलंब से प्राप्त की।

दोनों इकाइयों को चालू करने में विलंब के परिणामस्वरूप 3069.79 एमयू²⁴ (85 प्रतिशत संयंत्र भार घटक पर) ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई। इसने म.प्र. शासन को अन्य स्रोतों से मंहगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विवश किया तथा म.प्र. शासन पर ₹ 102.32 करोड़ का अतिरिक्त भार अधिरोपित किया।

कंपनी ने ठेकेदार के अनुरोध (जनवरी/ जून 2018) पर, अपने एल.डी. वसूल करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इकाई-3 को 30 नवंबर 2018 तक एवं इकाई-4 को 31 मार्च 2019 तक पूर्ण करने के लिए अनंतिम समय तक विस्तार दिया। तथापि, अब तक (अक्टूबर 2021) समय विस्तार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने में विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, ₹ 413.25 करोड़ (इकाई 3 के लिए ₹ 240.31 करोड़²⁵ एवं इकाई 4 के लिए ₹ 172.94 करोड़²⁶) की एल.डी. लगाई जानी एवं ठेकेदार से वसूल की जानी थी। तथापि, कंपनी ने वि.गृ.-II के चालू होने (मार्च 2019) से 31 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उसकी वसूली नहीं की। एल.डी. की अंतिम वसूली को देखने की आवश्यकता है।

शासन ने स्वीकार किया (मई 2022) कि वह 3069.79 एमयू ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, कहा कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, विलम्ब हेतु एल.डी. केवल ठेकेदार पर आरोप्य कारणों पर ही लगाया जाना था। कंपनी द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करने के लिए, एल. डी. के आरोपण के साथ विस्तार देने के लिए अपनी अनुशंसाएँ (3 जुलाई 2021) प्रस्तुत की थीं एवं यह सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय हेतु विचाराधीन थी।

तथ्य यह है कि कंपनी ठेकेदार को समय विस्तार देने के निर्णय को अंतिम रूप नहीं दे सकी एवं ठेकेदार पर आरोप्य कारणों से आज तक (अक्टूबर 2021) ठेकेदार को दंडित नहीं कर सकी।

निम्नलिखित सुविधाओं को पूर्ण करने में विलम्ब, मुख्य रूप से परियोजना के चालू होने में विलम्ब हेतु उत्तरदायी है।

4.9.3.1 कोल हैंडलिंग संयंत्र को पूरा करने में विलम्ब

ईपीसी अनुबंध में कोल हैंडलिंग संयंत्र (सी.एच.पी.) के निर्माण का कार्य शामिल था जिसमें रेलवे साइडिंग के निर्माण का कार्य भी शामिल था जिसे क्रमशः 15 दिसंबर 2017 (इकाई 3) एवं 15 अप्रैल 2018 (इकाई 4) तक पूर्ण किया जाना था।

यद्यपि, इकाई-3 के लिए रेल लाइन बिछाने का कार्य 23 जून 2018 को 190 दिनों के विलंब से एवं इकाई-4 को 25 जनवरी 2019 को 285 दिनों के विलंब से पूर्ण किया जा सका।

सरकार ने कहा (मई 2022) कि इकाई-3 एवं इकाई-4 की वाणिज्यिक संचालन तिथि में विलंब का एकमात्र कारण सी.एच.पी. के पूर्ण होने में विलंब नहीं था, क्योंकि सी.एच.पी. का प्रमुख भाग अर्थात वैगन टिपलर (वै.टि.) संख्या 4, वै.टि.-3 एवं ट्रैक हापर संख्या 2, दोनों संबंधित इकाइयों के वास्तविक वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व क्रमशः जून 2018, सितंबर 2018 एवं जनवरी 2019 में पूर्ण हो गया था।

उत्तर पुष्टि करता है कि सी.एच.पी. के प्रमुख भाग, अर्थात वै.टि. संख्या 4, वै.टि.-3 को मार्च 2018 की उसकी निर्धारित पूर्णता तिथि के सापेक्ष जून/ सितंबर 2018 में चालू किया गया था, तथा ट्रैक हापर संख्या 2 को जुलाई 2018 की निर्धारित पूर्णता तिथि के सापेक्ष जनवरी 2019 में पूर्ण किया गया था। इससे दोनों इकाइयों की वास्तविक वाणिज्यिक संचालन तिथि प्रभावित हुई।

²⁴ (1481.04 एम. यू. = 15.84 एम. यू. • 85 प्रतिशत • इकाई 3 के 110 दिन और 1588.75 एम. यू. = 15.84 एम. यू. • 85 प्रतिशत • इकाई 4 के 118 दिन)।

²⁵ ₹ 3080.85 करोड़ (अनुबंध मूल्य ₹ 5134.75 करोड़ का 60 प्रतिशत) X 7.8 प्रतिशत (सप्ताह की देरी संख्या = 110 दिन/7 = 15.71*0.5 एल.डी. - प्रति सप्ताह)।

²⁶ ₹ 2053.90 करोड़ (अनुबंध मूल्य ₹ 5134.75 करोड़ का 40 प्रतिशत) X 8.42 प्रतिशत (सप्ताह की देरी संख्या = 118 दिन/7 = 16.86*0.5 एल. डी. प्रति सप्ताह)।

4.9.3.2 ऐश हैंडलिंग संयंत्र (ए.एच.पी.) को चालू करने में विलंब

ईपीसी अनुबंध में ऐश हैंडलिंग संयंत्र (ए.एच.पी.)²⁷ के निर्माण का कार्य शामिल था। कार्य समापन निर्धारित समय के अनुसार ए.एच.पी. को चालू करने का कार्य अनुबंध की प्रभावी तिथि (31 दिसंबर 2014) से 36 माह की अवधि (अर्थात् 31 दिसंबर 2017 तक) के भीतर पूरा किया जाना था।

तथापि, पलाई ऐश हैंडलिंग प्रणाली के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में असामान्य विलम्ब हुआ एवं कंपनी ने पलाई ऐश हैंडलिंग प्रणाली के अंतिम रूप से चालू होने तक 100 प्रतिशत ऐश को बॉटम/वेट ऐश निराकरण प्रणाली के माध्यम से खाली करने का निर्णय किया।

बॉटम/वेट ऐश स्लरी निराकरण प्रणाली को भी जुलाई 2018 (इकाई 3) तथा जनवरी 2019 (इकाई 4) में क्रमशः सात एवं नौ माह के विलम्ब से पूरा किया गया था।

शासन ने कहा (मई 2022) कि ठेकेदार द्वारा सामग्री की आपूर्ति में देरी के कारण ड्राई पलाई ऐश प्रणाली को चालू करने में देरी हुई। तथापि, बॉटम/वेट ऐश स्लरी निराकरण प्रणाली जुलाई 2018 (इकाई-3 हेतु) एवं जनवरी 2019 (इकाई-4 हेतु) में वास्तविक वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने से बहुत पहले उपलब्ध था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाई-3 (31 जुलाई 2018) एवं इकाई-4 (30 नवंबर 2018) के लिए निश्चित वाणिज्यिक संचालन तिथि को प्राप्त करने हेतु, कोल फ्लेक्स/पूर्ण भार संचालन की प्रक्रिया क्रमशः मार्च 2018 एवं जुलाई 2018 से शुरू की गई थी। जिसके लिए बॉटम/वेट ऐश स्लरी निराकरण प्रणाली को चालू करने की आवश्यकता पहले थी। हालाँकि, इन सुविधाओं को जुलाई 2018 एवं जनवरी 2019 में चालू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप तीनों इकाइयों की वाणिज्यिक संचालन तिथि की प्रक्रिया में देरी हुई।

4.9.3.3 ऐश हैंडलिंग संयंत्र के पूर्ण निर्माण के बिना संयंत्र के संचालन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर की विफलता

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि दिसंबर 2019 तक बॉटम ऐश निराकरण प्रणाली/ऐश स्लरी निराकरण प्रणाली के माध्यम से 100 प्रतिशत ऐश की निकासी एवं बॉटम ऐश निराकरण प्रणाली/ऐश स्लरी निराकरण प्रणाली के आंशिक रूप से पूर्ण होने के कारण इकाई-3 एवं 4 की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ई.एस.पी.)²⁸ ने क्रमशः 10 जून 2019 तथा 14 जून 2019 को चोकिंग कारणों एवं डी-एशिंग में समस्या तथा ई.एस.पी. के हॉपर में ऐश के परिणामी जमाव के कारण कार्य करना बंद कर दिया। परिणामस्वरूप, दोनों इकाइयों क्रमशः 335.17 घंटे तथा 160.57 घंटे के लिए जबरन बंद (फोर्सड शटडाउन) में चली गई, जिससे 327.52 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई एवं बंद की अवधि में स्थायी लागत की वसूली न होने के कारण ₹ 47.56 करोड़²⁹ की परिणामी हानि हुई। तथापि, कंपनी ने घटिया कार्य एवं विलम्ब से कार्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2022) कि ठेकेदार ने ड्राई पलाई ऐश प्रणाली को चालू करने में देरी की और उत्पन्न हुई सम्पूर्ण ऐश की बॉटम/वेट ऐश स्लरी निराकरण प्रणाली से निकासी की गई, जिसके कारण चोकिंग हुई। इसके अतिरिक्त कंपनी ने ड्राई पलाई ऐश प्रणाली को चालू करने में विलम्ब हेतु ठेकेदार को दंडित करने का प्रस्ताव दिया था। तथापि, तथ्य यह

²⁷ ता.वि.के. से ऐश निकालने के लिए ए.एच.पी. की स्थापना की गई है। ता.वि.के. से दो तरह की ऐश पैदा होती है, यानी बॉटम ऐश और पलाई ऐश। ए.एच.पी. को सामान्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है—पलाई ऐश हैंडलिंग प्रणाली, बॉटम ऐश हैंडलिंग प्रणाली और ऐश स्लरी निराकरण प्रणाली।

²⁸ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ई.एस.पी.) एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरण है जो ता.वि.के. से निकलने वाली पलू गैसों की सफाई के लिए स्थापित किया गया है। पदार्थ अर्थात् धुएं, पलाई ऐश और पलू गैसों से एकत्रित गैस स्टीम से निकली गंदगी, ई.एस.पी. के साथ लगे हॉपर में जाती है जहां से इसे या तो पलाई ऐश साइलो में ले जाया जाता है या ऐश स्लरी के रूप में ऐश पॉण्ड में भेजा जाता है।

²⁹ वार्षिक उत्पादन 100 प्रतिशत पर एनएपीएफ-11,563.20 एम.यू., वार्षिक उत्पादन 85 प्रतिशत पर एनएपीएफ-9828.72 एम.यू., वार्षिक क्षमता (स्थायी) शुल्क 1427.20 करोड़, ईएसपी समस्या के कारण कुल उत्पादन हानि— 327.52 एम.यू. इस प्रकार ईएसपी समस्या के कारण क्षमता (स्थायी) शुल्क— 1427.20 करोड़ * 327.52 एम.यू. / 9828.72 एम.यू. = 47.56 करोड़।

शेष रहता है कि कंपनी को ए.एच.पी. की विलम्ब से स्थापना के कारण 327.52 एम.यू. की उत्पादन हानि एवं परिणामस्वरूप ₹ 47.56 करोड़ की हानि हुई थी तथा ठेकेदार को दंडित करने का प्रस्ताव अभी भी प्रक्रिया में है।

4.9.3.4 बायलर के सहायक उपकरणों को चालू करने में विलंब

बायलर³⁰ फार्म ईपीसी अनुबंध का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति और इकाई-4 के बायलर के सहायक उपकरणों को चालू करने में विलम्ब किया तथा इन बायलर सहायक उपकरणों को चार माह के विलम्ब से नवंबर 2018 में ही चालू किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप इकाई को अंतिम रूप से चालू करने/वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व किए जाने वाले परीक्षण के विभिन्न चरणों का स्थगन हुआ।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (मई 2022) कि ठेकेदार ने अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब किया, इसलिए बायलर सहायक उपकरणों के निर्माण/चालू करने में विलम्ब हुआ, एवं परिणामस्वरूप इकाई-4 की वाणिज्यिक संचालन तिथि में विलम्ब हुआ। सक्षम प्राधिकारी के पास समय विस्तार प्रदान करने का निर्णय विचाराधीन है एवं एल.डी. की राशि तदनुसार निर्धारित एवं आरोपित की जाएगी।

यह तथ्य शेष रहता है कि कम्पनी ने ठेकेदार का दोष मानने पर भी अब तक ठेकेदार पर कोई दंड आरोपित नहीं किया है।

4.9.4 अनिवार्य पुर्जों की आपूर्ति में कमियाँ

ई.पी.सी. ठेकेदार को पांच कार्यावंटन आदेशों में से दो कार्यावंटन आदेश ₹ 3,937.35 करोड़ (₹ 226.99 करोड़ के अनिवार्य पुर्जों सहित) के विदेशी एवं स्वदेशी सामग्री की आपूर्ति हेतु जारी किए गए थे। ठेकेदार को अनुबंध की प्रभावी तिथि (दिसंबर 2014) से इकाई-3 एवं 4 हेतु अनिवार्य³¹ पुर्जों सहित सभी सामग्रियों और उपकरणों की आपूर्ति क्रमशः 39 माह (अर्थात् मार्च 2018 तक) एवं 43 माह (अर्थात् जुलाई 2018 तक) में करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने मार्च 2022 तक विभिन्न पैकेजों के अन्तर्गत ₹ 4.40 करोड़ मूल्य के विदेशी एवं स्वदेशी आपूर्ति वाले अनिवार्य पुर्जों की आपूर्ति नहीं की। इसके अतिरिक्त, कंपनी को ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर ₹ 2.83 करोड़ मूल्य के अनिवार्य पुर्जे क्रय करने पड़े। ठेकेदार से परिकलित जोखिम एवं लागत राशि ₹ 2.24 करोड़, वसूल नहीं की गई थी।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (मई 2022) कहा कि भविष्य में यदि ठेकेदार पुर्जों की आपूर्ति नहीं करेगा तो कंपनी पुर्जों की खरीद में होने वाले जोखिम एवं लागत राशि की वसूली करेगी।

प्रति उत्तर, मार्च 2022 तक अनिवार्य पुर्जों के लंबित होने की पुष्टि करता है और यह कि कंपनी ने अभी तक (जून 2022) ठेकेदार से 'जोखिम एवं लागत' की राशि वसूल नहीं की थी।

³⁰ बायलर एक बंद प्रेशर वेसल है जिसमें किसी स्रोत (कोयला, तेल, गैस आदि) से गर्मी प्राप्त करके पानी को भाप में परिवर्तित किया जाता है। यह वाष्प का संचय करता है एवं टरबाइन में तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में व्यय करने हेतु दबाव बनाता है। बायलर में कई सहायक उपकरण शामिल होते हैं जैसे एयर-ग्री हीटर (ए.पी.एच.), इंज्यूस्ट ड्रापट फैन (आई.डी फैन), फोर्स ड्रापट फैन (एफ. डी फैन), पल्वराइजर मिल्स इत्यादि ता.वि.के. की, किसी भी इकाई को अंतिम रूप से चालू करने के लिए ट्रायल रन शुरू होने से पूर्व इन सहायक इकाइयों को चालू करना आवश्यक है।

³¹ आपातकालीन उपयोग के लिए रखे गए अतिरिक्त पुर्जे।

4.9.5 निष्पादन गारंटी परीक्षण संचालन नहीं करना

अनुबंध समझौते के अनुसार, वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने के तीन माह के अंतर्गत निष्पादन गारंटी (पी.जी.) परीक्षण³² किया जाना था। इसके अतिरिक्त, समझौते अनुबंध के परिशिष्ट 12 के अनुसार "यदि ठेकेदार निर्दिष्ट निष्पादन गारंटियों को 90 दिनों के अंतर्गत, चालू होने या सहमति के अनुसार उचित अवधि में पूर्ण करने में विफल रहता है, तो स्वामी अपने विवेक से उपकरण/प्रणाली को अस्वीकार कर सकता है और पहले से किए गए भुगतान की वसूली कर सकता है या परिनिर्धारित क्षति वसूलने के बाद ही उपकरण/ प्रणाली को स्वीकार कर सकता है।"

इकाई-3 को पी.जी. परीक्षण हेतु मई 2019 से जुलाई 2020 की अवधि में कुल 149.22 घंटे के लिए दो बार रोक दिया गया था, परन्तु किया नहीं जा सका, जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण उल्लेखित नहीं हैं एवं कंपनी ने 98.58 एम.यू. (₹ 41.12 करोड़ मूल्य) की उत्पादन तथा ₹ 14.06 करोड़ की स्थायी लागत हानि वहन की। इसी तरह, इकाई-4 को 12 मई 2021 से 13 मई 2021 तक 23 घंटे के लिए, प्रारंभिक कार्यों हेतु रोक दिया गया था एवं पी.जी. परीक्षण जुलाई-अगस्त 2021 में किया गया था। पी.जी. परीक्षण के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित (नवंबर 2021) हैं।

इकाई-4 के निष्पादन गारंटी परीक्षण परिणामों की अनुपस्थिति एवं इकाई-3 के लिए निष्पादन गारंटी परीक्षण न किए जाने के कारण, कंपनी समझौता अनुबंध में उल्लेखित गारंटीकृत मापदंडों को सत्यापित नहीं कर सकी।

शासन ने कहा (मई 2022) कि दोनों इकाइयों को उनकी समस्याओं को दूर करने एवं पी.जी. परीक्षण करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्यों की व्यवस्था करने हेतु बंद रखा गया था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत इकाई-4 के पी.जी. परीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही थी तथा इकाई-3 के लिए पीजी परीक्षण तब आयोजित किया जाएगा जबकि ठेकेदार द्वारा सिस्टम की मांग की जाएगी।

तथ्य यह शेष रह जाता है कि प्रमुख/ लघु दोषों को ठीक करने तथा इकाई-3 के पी.जी. परीक्षण हेतु प्रारंभिक कार्यों की व्यवस्था हेतु अनेकों बार बंद के पश्चात भी, इसको अब तक (मई 2022) नहीं किया जा सका एवं इकाई-4 के पी.जी. परीक्षण के प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

4.10 सिविल कार्यों का निष्पादन

04 सितंबर 2014 को ई.पी.सी. ठेकेदार को दिए गए पांच अनुबंधों के अतिरिक्त, 13 संबद्ध सिविल कार्य (भारतीय रेलवे द्वारा निष्पादित 2 जमा कार्य सहित) कंपनी द्वारा प्रदान किए गए थे। लेखापरीक्षा ने 11 कार्यों (भारतीय रेलवे द्वारा निष्पादित कार्यों को छोड़कर) की संवीक्षा की, जिनमें से चार कार्य ईपीसी के आधार पर दिए गए थे और शेष कार्य प्रतिशत दर अनुबंध³³ के आधार पर दिए गए थे।

4.10.1 कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब एवं ठेकेदार को अनुचित समय विस्तार प्रदान करना

विभिन्न सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए दिए गए ई.पी.सी. अनुबंध एवं प्रतिशत दर अनुबंध की शर्तों/खंडों के अनुसार, ठेकेदार अनुबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य पूर्ण न करने के लिए परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कंपनी ने निम्नलिखित दो प्रकरणों में बिना किसी दंड आरोपण के अनुचित आधार पर ठेकेदारों को समय विस्तार प्रदान किया: -

- कंपनी ने ₹ 104.40 करोड़ की लागत से ई.पी.सी.³⁴ आधार पर श्री सिं.ता.वि.के. के 2*660 मे.वा. का सामान्य सिविल कार्य का पैकेज प्रदान (फरवरी 2016) किया। कार्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से 599 आवास गृहों के निर्माण का कार्य एवं अन्य संबद्ध सिविल कार्य शामिल थे। अनुबंध की शर्तों (ई.पी.सी. अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 5.19) के अनुसार, ठेकेदार अनुबंध के पूर्ण होने में

³² प्रदर्शन गारंटी (पी.जी.) परीक्षण संयंत्र की वाणिज्यिक उत्पादन तिथि के कुछ समय पश्चात (अर्थात् मूल उपकरण निर्माता(ओ.ई.एम.) के साथ ठेका अनुबंध में निर्धारित समय) इसकी निष्पादन एवं दक्षता की जांच करने के लिए आयोजित किया जाता है। परीक्षण के अंतर्गत, ओ.ई.एम. के साथ ठेका अनुबंध में प्रकट किए गए सभी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण मापदंडों का निरीक्षण किया जाता है एवं संयंत्र को उसकी पूर्ण रेटेड क्षमता पर ले जाया जाता है। यदि ओ.ई.एम. गारंटीकृत मापदंडों को प्रदर्शित/प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वे दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

³³ प्रतिशत दर ठेकों में, ठेकेदारों को कुल अनुमानित लागत के ऊपर या नीचे समग्र प्रतिशत के रूप में दर उद्धृत करना आवश्यक है।

³⁴ कार्य शुरू करने से पहले स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच सहित साइट से संबंधित जांच करना शामिल है।

विलंब हेतु प्रति सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए के 0.5 प्रतिशत, अधिकतम समझौते मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एल.डी. का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था।

कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (फरवरी 2018) से, 16 माह के विलम्ब से (जुलाई 2019) पूर्ण हुआ। कंपनी ने एल.डी. वसूली के बिना विभिन्न कारणों³⁵ से 18 माह हेतु अंतिम समय विस्तार (मई 2019) दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त विस्तार अवधि में से, चार माह का समय विस्तार उन आधारों³⁶ पर था जो उचित नहीं थे। इस प्रकार, उपर्युक्त कारणों से समय विस्तार प्रदान करके, कंपनी ने एल.डी. आरोपण न करके ठेकेदार को ₹ 4.65 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया।

- कंपनी ने ₹ 22.42 करोड़ की लागत से 240 आवास गृहों (प्रतिशत दर पर) के निर्माण का कार्य (अगस्त 2018) प्रदान किया। अनुबंध की शर्तों {प्रतिशत दर अनुबंधों के खंड 2 (अ)(I)} के अनुसार, ठेकेदार अनुबंध पूर्ण होने में विलंब हेतु प्रति सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए 0.5 प्रतिशत, अधिकतम अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से एलडी का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था।

कार्य निर्धारित तिथि (31 मार्च 2020) से लगभग नौ माह के विलंब से (दिसंबर 2020) पूर्ण किया गया। कंपनी ने एल.डी. आरोपण के बिना विभिन्न आधारों पर आठ माह एवं 25 दिनों का कुल समय (फरवरी 2021) विस्तार दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ आधार³⁷ जिनके लिए समय विस्तार दिया गया था, उचित नहीं थे और ठेकेदार अनुबंध राशि के 10 प्रतिशत के एल.डी. आरोपण हेतु उत्तरदायी था। तथापि, कंपनी ने एल.डी. आरोपण न करके ठेकेदार को ₹ 2.24 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

शासन ने कहा (मई 2022) कि 599 आवास गृहों के निर्माण के अनुबंध के लिए ठेकेदार को दिया गया समय विस्तार उचित था क्योंकि मई 2017 में नर्मदा नदी से रेत की निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध था। इसलिए, नदी की रेत जिसे फर्श, प्लस्टर, चुनाई, वाटर प्रूफिंग आदि में प्रयोग किया जाता है, की आपूर्ति को तत्काल बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक चरणों में डिजाइन पद्धति, आवास गृह एवं सड़क के भूतल को पूर्ण करने इत्यादि के संबंध में कुछ मुद्दे भी थे, इसलिए कार्य कुछ समय के लिए बाधित रहा।

240 आवास गृह के निर्माण हेतु समय विस्तार के संबंध में आगे कहा गया कि अगस्त 2019 और जून 2020 में रेत खनन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण रेत की कमी हो गई। इसके अतिरिक्त, 2019 में मानसून की अवधि में अत्यधिक वर्षा एवं मंधाता के निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के कारण भी कार्य बाधित हुआ था। इसलिए, दिया गया समय विस्तार उचित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये कारण अप्रत्याशित घटना की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि अनुबंध में दी गई पूर्णता अवधि में वर्षा ऋतु शामिल था एवं मानसून आदि की अवधि में रेत खनन पर प्रतिबंध सामान्य घटना है।

4.11 संचालन प्रदर्शन

इकाई 3 और इकाई 4 ने क्रमशः 18 नवंबर 2018 और 28 मार्च 2019 को वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त की। कंपनी द्वारा दायर टैरिफ याचिका (फरवरी 2020) के जवाब में म.प्र.वि.नि.आ. ने वर्ष 2018-19 के लिए टैरिफ आदेश जारी (मई 2021)³⁸ किया। म.प्र.वि.नि.आ. ने आगे (19 मई 2021) कंपनी के थर्मल और हाइड्रल पावर स्टेशनों के लिए बहुवर्षीय टैरिफ जारी किया और वित्तीय वर्ष 2019-20 से

³⁵ विमुद्रीकरण के कारण, रेत के निष्कर्षण पर प्रतिबंध, जीएसटी का कार्यान्वयन, इंजीनियरिंग से संबंधित मुद्दे, साइट पर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए रिंग मेन यूनिट (आर.एम.यू.) की अनुपलब्धता और हरित पट्टी क्षेत्र के कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्थान को स्थानांतरित करना।

³⁶ रेत की निकासी पर रोक (दो माह), इंजीनियरिंग से संबंधित मुद्दे (दो माह)।

³⁷ रेत की कमी (4 माह 10 दिन), अत्यधिक वर्षा (1 माह) एवं उपचुनाव (15 दिन)।

³⁸ जिसमें कोयले के जीसीवी, प्लांट लोड फैक्टर, स्टेशन हीट रेट, ईंधन तेल (एचएफओ और एलडीओ) की खपत और सहायक खपत के लिए विभिन्न परिचालन मानदंड शामिल थे।

2023-24 की नियंत्रण अवधि के लिए विभिन्न संचालन मानदंड निर्धारित किए। वि.गू.-II के संचालन निष्पादन को म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित विभिन्न संचालन मानदंडों के साथ मापा गया है।

विद्युत गृह के संचालन प्रदर्शन, अर्थात् मापदंडों की चर्चा नीचे की गई है—

4.11.1 संयंत्र उपलब्धता घटक (पी.ए.एफ.)

म.प्र.वि.नि.आ. ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि में वि.गू.-II के लिए संयंत्र उपलब्धता घटक³⁹ हेतु 85 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2018-19 से 2021-22 की अवधि में लक्ष्य/वास्तविक पी.ए.एफ. और स्वीकृत/अर्जित स्थायी लागत का विवरण नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2: 2018-19 से 2021-22 के की अवधि में पी.ए.एफ. और स्थायी लागत का विवरण

वर्ष	पी.ए.एफ. (प्रतिशत)		स्थायी व्यय (करोड़ में)		
	म.प्र.वि.नि.आ. मानदंड	वास्तविक	म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा स्वीकृत स्थायी लागत	कंपनी द्वारा अर्जित	कमी
2018-19	85	85.29	274.08	274.08	शून्य
2019-20	85	71.64	1427.20	1202.89	224.31
2020-21	85	38.78	1392.44	632.30	760.14
2021-22 (अगस्त 2021)	85	46.59	569.25	312.07	257.18
			3,662.97	2,421.33	1,241.63

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान वि.गू.-II (इकाई-3 और 4) द्वारा प्राप्त समग्र पी.ए.एफ. 38.78 प्रतिशत और 85.29 प्रतिशत के बीच था। म.प्र.वि.नि.आ. के मानदंड के अनुसार संयंत्र पी.ए.एफ. को केवल वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त कर सका। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान म.प्र.वि.नि.आ. मानदंडों के अनुसार पी.ए.एफ. की गैर-प्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹ 1,241.63 करोड़⁴⁰ की स्थायी लागत की कम वसूली हुई। वि.गू.-II द्वारा लक्षित पी.ए.एफ. प्राप्त न करने का मुख्य कारण उक्त के दौरान अत्याधिक फोर्स एवं नियोजित आउटटेज था।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर सहमति व्यक्त की (मई 2022) और कहा कि कम पी.ए.एफ. का कारण विभिन्न कारणों में से कोयले की कमी और बंद/ट्रिपिंग है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि संयंत्र, बार-बार बंद/ट्रिपिंग के कारण अपेक्षित दक्षता के साथ नहीं चल रहा था जैसा कि ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा वचन दिया गया था, फिर भी सरकार निष्पादन गारंटी परीक्षण के प्रति उदासीन है (जैसा कि पैरा 10.5 में चर्चा की गई है) जो ई.पी.सी. ठेकेदार को जवाबदेह बनाता है तथा उसके बाद संयंत्र के घटिया निष्पादन के लिए नुकसान/जुर्माना, यदि कोई हो, लगाया और वसूल किया जा सकता है।

4.11.2 संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.)

इकाई-3 (13.39 और 84.87 प्रतिशत⁴¹ के बीच) और इकाई-4 (19.78 और 83.78 प्रतिशत⁴² के बीच) का पी.एल.एफ.⁴³ म.प्र.वि.नि.आ. (85 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित मानदंडों से कम रहा, जिससे 15,614.89 एम.यू. का उत्पादन कम हुआ।

पी.एल.एफ. का कम होने के प्रमुख कारण, संयंत्र की कम उपलब्धता के कारण अत्यधिक फोर्स आउटटेज, संरक्षित बंद की अवधि में संयंत्र का बैकिंग डाउन, कोयले की खराब गुणवत्ता और कोयले की कमी के परिणामस्वरूप थी।

³⁹ एक निश्चित अवधि में विद्युत उत्पादन करने के लिए एक उत्पादन इकाई की उपलब्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि वि.गू. II द्वारा प्राप्त वास्तविक पी.ए.एफ. लक्षित पी.ए.एफ. से कम था तो उस वर्ष के लिए स्थायी लागत की वास्तविक वसूली आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।

⁴⁰ इसमें कंडिका संख्या 10.3.3, 10.5, 13.1 और 14 तथा अन्य लघु आउटटेज में उल्लिखित राशि शामिल है जो इस प्रतिवेदन में परिमाणित नहीं थे।

⁴¹ फरवरी 2019, मार्च 2019 और जनवरी 2020 के माहों को छोड़कर।

⁴² जनवरी 2020 और जुलाई 2021 के माहों को छोड़कर।

⁴³ पी.एल.एफ. का अर्थ है अवधि के दौरान निश्चित उत्पादन के अनुरूप कुल भेजी गई ऊर्जा, जो स्थापित क्षमता के अनुरूप भेजी गई ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों के साथ सहमति व्यक्त की (मई 2022) और कहा कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में शुरुआती मुद्दे देखे गए थे। तथापि, तथ्य यह है कि कंपनी म.प्र.वि.नि.आ. के मानदंडों का पालन करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप कम विद्युत उत्पादन हुआ।

4.11.3 सकल स्टेशन ऊष्मा दर (जी.एस.एच.आर.)

सकल स्टेशन ऊष्मा दर से तात्पर्य ऊष्मा शक्ति से है, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा की एक इकाई (किलो वॉट अवर) उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसे किलो कैलोरी में मापा जाता है।

स्थापना के बाद से वि.गृ.-II द्वारा प्राप्त औसत जी.एस.एच.आर. हमेशा म.प्र.वि.नि.आ. के मानदंडों से अधिक था। 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में औसत जी.एस.एच.आर. क्रमशः 2,441, 2,404 और 2,339 किलो कैलोरी/किलो वॉट अवर (इकाई) था, जो वर्ष 2018-19 के लिए 2,175.28 किलो कैलोरी/किलो वॉट अवर और बहु-वर्ष (2019-20 से 2023-24) के लिए 2,185.69 किलो कैलोरी/किलो वॉट अवर के निर्धारित मानदंडों के विपरीत था।

जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया, उच्च जी.एस.एच.आर. का कारण बार-बार ट्रिपिंग; कोयले की कमी एवं एस.एल.डी.सी. के निर्देशानुसार इकाइयों के बैक डाउन के कारण कम लोड पर संचालन था। इस प्रकार, इकाइयों के अकुशल संचालन के परिणामस्वरूप ₹ 189.98 करोड़ मूल्य के 4,58,187.69 मीट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमति व्यक्त की (मई 2022) और कहा कि एच.पी. हीटर-6 की खराब कार्यक्षमता, कालिख हटाने हेतु औक्सिलियरी प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी-सुपरहीटिंग सिस्टम (ए.पी.आर.डी. एस.) हेतु वांछित ताप को न प्राप्त कर पाना एवं विभिन्न स्थानों पर इन्सुलेशन न होना, इत्यादि के कारण जी.एस.एच.आर. उच्च रहा। ऊष्मा हानि के स्थानों पर इन्सुलेशन करके, भाप रिसाव की निगरानी, ट्रिपिंग विश्लेषण और अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करके जी.एस.एच.आर. को कम करने के लिए कार्रवाई की गई है। तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि कंपनी म.प्र.वि.नि.आ. के निर्धारित मानदंडों के भीतर स्टेशन ताप दर को सीमित रखने में विफल रही।

4.11.4 सहायक खपत

विद्युत गृह द्वारा वास्तविक सहायक खपत⁴⁴, म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित मानदंडों (5.25 से 5.75 प्रतिशत) की तुलना में हमेशा अधिक (6.71 से 12.54 प्रतिशत) रही।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आंशिक भार पर इकाइयों के संचालन के मुख्य कारण कोयले की कमी, ट्रिपिंग और थर्मल बैंकिंग थे जिन्हें कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, मानक से अधिक सहायक ऊर्जा खपत के परिणामस्वरूप ₹ 46.79 करोड़ मूल्य के 168.234 एम.यू. की हानि हुई, जैसा कि परिशिष्ट-4.1 में दर्शाया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमति व्यक्त की (मई 2022) और कहा कि 1-2 वर्ष की स्थिरीकरण अवधि तक बार-बार ट्रिपिंग होती रही। अब बार-बार ट्रिपिंग के कारणों का समाधान कर दोनों इकाइयों को स्थिर कर दिया गया है। इसके अलावा⁴⁵ सहायक ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। तथापि, तथ्य यह है कि कंपनी, म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित सीमा/मानदंडों के भीतर सहायक खपत को सीमित रखने में विफल रही।

4.11.5 ईंधन तेल की खपत

म.प्र.वि.नि.आ. ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए 0.50 मि.ली./किलो वॉट अवर सेकेंडरी फ्यूल⁴⁶ ऑयल की खपत के लिए मानदंड निर्धारित किए। दोनों इकाइयों में ईंधन तेल की वास्तविक खपत अधिक (0.59 मि.ली./किलो वॉट अवर और 27.01 मि.ली./किलो वॉट अवर के बीच) रही, दो महीनों (जनवरी और मार्च 2020) को छोड़कर, जिसमें यह क्रमशः 0.36 और 0.02 मि.ली./किलो वॉट

⁴⁴ उत्पादन केंद्र के सहायक उपकरण द्वारा खपत ऊर्जा की मात्रा।

⁴⁵ ऐश संयंत्र में निष्क्रिय घंटों के दौरान ट्रांसपोर्ट एयर कंप्रेसर को स्टैंड बाई के रूप में रखकर, तीन के स्थान पर केवल दो कूलिंग पंप चलाकर, एयर वॉशर लोडिंग में कमी करके और सर्वोत्तम ओ एंड एम कार्यप्रणाली को अपनाकर।

⁴⁶ फर्नेस ऑयल (एफ. ओ.) और लाइट डीजल ऑयल (एल.डी.ओ.) शामिल हैं।

अवर थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आंशिक भार पर इकाइयों का संचालन, विभिन्न कारणों से ट्रिपिंग और थर्मल बैंकिंग, ईंधन तेल की अधिक खपत के मुख्य कारण थे।

इस प्रकार, इकाइयों के अकुशल संचालन के कारण 2018-19 से 2021-22 (अगस्त 2021 तक) की अवधि में ₹ 66.07 करोड़ मूल्य के 15,522.41 किलोलीटर ईंधन तेल की अधिक खपत हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमति व्यक्त की (मई 2022) और कहा कि इकाइयां प्रारंभिक सिंक्रोनाइजेशन और कमीशनिंग तथा उसके बाद स्थिरीकरण अवधि के तहत थीं, जिसमें अनेकों बार बंद हुई, जो सामान्य प्रथा है। इसके अलावा, इकाइयां अब स्थिर हो गयी है और अतिरिक्त तेल खपत से बचने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। तथापि, तथ्य यह है कि कंपनी म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित सीमा/मानदंडों के भीतर ईंधन तेल की खपत को सीमित करने में विफल रही तथा ₹ 66.07 करोड़ की अतिरिक्त तेल खपत की।

4.12 विद्युत गृह के संचालन हेतु ईंधन प्रबंधन

संयंत्र के संचालन की अवधि में ईंधन के प्रबंधन में कमियों पर चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

4.12.1 खदानों पर लोडिंग छोर तथा ताप विद्युत केंद्र पर अनलोडिंग छोर के बीच ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू (जी.सी.वी.) में कमी

कोयले के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता मापदण्ड इसका ताप मूल्य है जिसे ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू (जी.सी.वी.) कहा जाता है। विद्युत उत्पादन के संबंध में जी.सी.वी. को म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा जारी (दिसंबर 2015 और फरवरी 2020) उत्पादन टैरिफ विनियमों⁴⁷ में "एक किलोग्राम ठोस ईंधन के पूर्ण दहन से किलो कैलोरी में उत्पादित ऊष्मा" के रूप में परिभाषित किया गया है।

कंपनी ने, श्री सिं.ता.वि.के., खंडवा, विद्युत गृह-II (इकाई-3 और 4) के लिए 1.79 मिलियन टन प्रति वर्ष⁴⁸ की वार्षिक अनुबंधित मात्रा (ए.सी.क्यू.) के लिए, अक्टूबर 2018 में नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) के साथ एवं 2.083 मिलियन टन प्रति वर्ष⁴⁹ की वार्षिक अनुबंधित मात्रा के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(एस.ई.सी.एल.) के साथ मई 2019 में ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ.एस.ए.) किया। प्रत्येक वर्ष कोयला कंपनियां संबंधित कोयला-खदान की जी.सी.वी. को ध्यान में रखते हुए, खदान के अनुसार कोयले के ग्रेड की घोषणा करती हैं। कोयले की आपूर्ति के बिल कोयला कंपनियों द्वारा लोडिंग छोर पर कोयले की जी.सी.वी. के अनुसार निर्गत किए जाते हैं और कंपनी अनलोडिंग छोर पर प्राप्त जी.सी.वी. के अनुसार, विद्युत प्रभार दर (ई.सी.आर.) / परिवर्तनीय लागत का दावा करती है। कंपनी ने, सी.आई.एम.एफ.आर.⁵⁰ को खदानों में लोडिंग छोर के साथ-साथ ताप विद्युत केंद्र पर अनलोडिंग छोर पर कोयले के नमूने और विश्लेषण के लिए लगाया था।

चूंकि जी.सी.वी. ऊर्जा बिलिंग हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है, लेखापरीक्षा ने कोयला कंपनियों द्वारा खदानों के छोर पर वैगनों पर लोड किए गए कोयले की 'बिल की गई' जी.सी.वी. एवं ताप विद्युत केंद्र के अनलोडिंग छोर पर कोयले की 'प्राप्त की गई' जी.सी.वी. की तुलना की। लेखापरीक्षा ने पाया कि कोयले की जी.सी.वी. 'बिल की गई' अवस्था से 'प्राप्त की गई' अवस्था तक घट गयी थी, यद्यपि के.वि.प्रा. के अनुसार, जी.सी.वी. वैल्यू, अर्थात् जी.सी.वी. 'बिल की गई', 'प्राप्त की गई' लगभग समान होना चाहिए। वर्ष 2018-19 से 2021-22 (अगस्त 2021) की अवधि में, जी.सी.वी. में 2913 किलो कैलोरी / कि.ग्रा. तक की गिरावट आई, जिसका मूल्य ₹ 71.54 करोड़⁵¹ था।

चूंकि, कोयले की एक विशेष श्रेणी (300 किलो कैलोरी / कि.ग्रा. की श्रेणी विस्तार वाले) अपने परिवहन की अवधि में भिन्न श्रेणी में परिवर्तित नहीं हो सकती है, उपर्युक्त स्थिति में जी.सी.वी. में भारी गिरावट

⁴⁷ म.प्र.वि.नि.आ. (उत्पादन शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें), विनियम।

⁴⁸ 1.54 मिलियन टन प्रति वर्ष से 1.79 मिलियन टन प्रति वर्ष संशोधित।

⁴⁹ 1.79 मिलियन टन प्रति वर्ष से 2.083 मिलियन टन प्रति वर्ष संशोधित।

⁵⁰ केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी. आई. एम. एफ.आर.) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की एक घटक प्रयोगशाला है और भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है।

⁵¹ जी.सी.वी. में 300 किलो कैलोरी / कि. ग्रा. तक के अंतर वाले मामलों को छोड़कर गणना की जाती है।

के कारणों के गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एक ही फर्म, सी.आई. एम.एफ.आर. को लोडिंग छोर के साथ-साथ अनलोडिंग छोर पर नियुक्त करने के बावजूद, कंपनी में यह विषय लंबे समय से बना हुआ था, कंपनी ने इस कमी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप, यह विषय नवंबर 2018 से अगस्त 2021⁵² की पूरी अवधि में बना रहा।

शासन/प्रबंधन ने (जून 2022) सूचित किया कि कोयले की श्रेणी में भिन्नता दोनों दिशाओं में तथा कभी-कभी कंपनी के पक्ष में थी।

प्रबंधन का उत्तर इस समस्या के प्रति उदासीन दृष्टिकोण को इंगित करता है, यद्यपि जी.सी.वी. में गिरावट 2913 किलो कैलोरी/ प्रति किलोग्राम तक थी, जिसका मूल्य ₹ 71.54 करोड़ रुपये (2018-19 से अगस्त 2021 की अवधि में) था।

4.12.2 कोयले की कमी के परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि एवं स्थायी लागत के दावे में कमी

म.प्र.वि.नि.आ. के विनियमन और परियोजना की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, संयंत्र को मानक संयंत्र उपलब्धता (अर्थात् के.वि.प्रा. के मानदंडों के अनुसार 85 प्रतिशत) के अनुरूप 30 दिनों के लिए कोयला भंडार रखना आवश्यक था। इसके अलावा, चूंकि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई. सी.एल.), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) और नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.) की खदानें⁵³ श्री सिं.ता.वि.के. से लगभग 500 किमी. से 900 किमी. की दूरी पर स्थित थीं, इसलिए कंपनी को के.वि.प्रा. द्वारा तैयार की गई क्रियाविधि⁵⁴ के अनुसार कम से कम 25 दिनों के लिए कोयले का भंडार बनाए रखने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी, कोयले की निरंतर और पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करने में विफल रही जिसके कारण कोयले की कमी हुई और आंशिक भार पर संयंत्र का संचालन हुआ, जिससे दिसंबर 2018, अप्रैल 2019 से जून 2019 की अवधि में एवं पुनः अप्रैल एवं मई 2021 में उत्पादन की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे कोयले की कमी के कारणों का विश्लेषण किया और पाया कि:

- कंपनी समय पर, कंपनी, रेलवे और कोयला कंपनियों के बीच समन्वय हेतु समन्वयक ठेकेदार नियुक्त करने में विफल रही। समन्वयक ठेकेदार को अगस्त 2019 में एन.सी.एल. से कोयले की आपूर्ति के लिए और अक्टूबर 2019 में डब्ल्यू.सी.एल. एवं एस.ई.सी.एल. से कोयले की आपूर्ति के लिए नियुक्त किया गया था। इसलिए, समन्वयक की नियुक्ति पूर्व अवधि अर्थात् दिसंबर 2018 से जून 2019 तक कोयले की आपूर्ति प्रभावित रही, यद्यपि, उक्त अवधि में कोयले के भुगतान के संबंध में कंपनी की ओर से कोई समस्या नहीं थी।
- अप्रैल 2021 और जून 2021 की अवधि में, कोयले की कमी का मुख्य कारण, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मै.कं.लि.) से विद्युत की बिक्री के सापेक्ष भारी अप्राप्य देयको⁵⁵ के कारण कोषों में कमी उत्पन्न होने से, कोयला कंपनियों के अधिक बकाया/लंबित बिलों⁵⁶ के कारण, कम/ विनियमित आपूर्ति थी। तथापि, कंपनी ने कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कोयला कंपनियों की बकाया देय राशि के भुगतान हेतु निधियों के किसी वैकल्पिक स्रोत को नहीं खोजा।

परिणामस्वरूप, कंपनी को उपर्युक्त महीनों की अवधि में न केवल 724.59 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई, बल्कि ₹ 90.92 करोड़ की स्थायी लागत का दावा करने में भी विफल रही।

⁵² चार महीने यानी दिसंबर 2018 और अप्रैल 2019 से जून 2019 को छोड़कर।

⁵³ श्री सिं.ता.वि.के. के वि.ग्र.-II को कोयले के आवंटन के अनुसार।

⁵⁴ यह निर्धारित करता है कि खदानों से 1000 किमी दूर स्थित ताप विद्युत केंद्र को न्यूनतम 25 दिनों के लिए कोयले का स्टॉक रखना आवश्यक था और कोयला खदानों से 1500 किमी दूर तक स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए, कोयले के स्टॉक की सात दिनों से कम उपलब्धता को "चिंताजनक स्टॉक स्थिति" माना जाता था और चार दिनों से कम के लिए "अति चिंताजनक स्टॉक स्थिति" के रूप में माना जाता था।

⁵⁵ नवंबर 2018 में ₹ 1,192 करोड़, जून 2021 में बढ़कर ₹ 7,708 करोड़ हो गया।

⁵⁶ ₹ 180.45 करोड़ जून 2019 के अंत में, जून 2021 तक बढ़कर ₹ 817.93 करोड़ और जुलाई 2021 के अंत में ₹ 957.65 करोड़ हो गया।

शासन ने उत्पादन हानि को माना (मई 2022) और कहा कि कोयले की कमी 'घोषित क्षमता'⁵⁷ की घोषणा को प्रतिबंधित करती है जिसके परिणामस्वरूप कम पी.ए.एफ. के कारण स्थायी लागत की कम वसूली हुई।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कंपनी ने कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समन्वयक ठेकेदारों को समय पर नियुक्त नहीं किया और कोयला कंपनियों के देयकों को चुकाने के लिए निधियों के वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था करने में भी विफल रही।

4.12.3 बॉटम ऐश एवं फ्लायैश में बिना जले हुए कोयले की अधिकता

ता.वि.के. में, बॉयलर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए कोयले की आवश्यक उत्कृष्टता को बनाए रखना पड़ता है, अन्यथा इसके परिणामस्वरूप अनुचित दहन होगा जिसके कारण बॉटम ऐश एवं फ्लायैश में बिना जले कोयले के अतिरिक्त कण अवमुक्त होंगे, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की अतिरिक्त खपत होगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐश में निर्धारित सीमा⁵⁸ से अधिक⁵⁹ बिना जले कोयले की उपस्थिति थी, जिस कारण नवंबर 2018 से मार्च 2021 की अवधि में, ₹ 2.79 करोड़ मूल्य के 6,728.15 मिलियन टन कोयले की परिहार्य हानि हुई। मुख्य रूप से, कोयले की अनुपयुक्त उत्कृष्टता, अनुचित दहन के लिए उत्तरदायी थी, जिसके परिणामस्वरूप बिना जले हुए कोयले की मात्रा अधिक थी।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2022) कि पहले कोयला मिल की उत्कृष्टता की नमूनाकरण विधि पारंपरिक पद्धति से की जाती थी; इसलिए, मापन उचित नहीं था। कंपनी ने नवंबर 2021 में, कोल फाइननेस टेस्ट करने के लिए आइसो-किनेमेटिक सैम्पलर स्थापित किया है और अब बॉटम एवं फ्लायैश में बिना जला हुआ कोयला दो प्रतिशत से नीचे है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बॉटम ऐश में जला हुआ कोयला अभी भी नवंबर और दिसंबर 2021 के महीने में निर्धारित मानदंड 0.95 प्रतिशत के सापेक्ष क्रमशः 1.47 प्रतिशत से 1.52 प्रतिशत के बीच था।

4.13 विद्युत गृह के प्रमुख आउटेज

4.13.1 विद्युत गृह में स्थापित टर्बाइनों की विफलता के कारण अप्राप्त स्थायी लागत की वसूली की हानि

इकाई-3 और इकाई-4 को क्रमशः 07 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2020 को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ किया गया। 05 अगस्त 2020 को इकाई, हाथ से ट्रिप की गई थी और निरीक्षण के समय, टरबाइन ब्लेड में संक्षारक की भारी जमावट और क्षति देखी गई थी। इसी तरह, 22 सितंबर 2020 को इकाई-4 को बंद कर दिया गया और टर्बाइन में लघु क्षति के साथ भारी पैमाने पर जमावट देखी गई। ठेकेदार ने दोनों इकाइयों के क्षतिग्रस्त टर्बाइनों की मरम्मत कंपनी को निःशुल्क की और इकाई-3 को 31 जुलाई 2021 को 8627.72 घंटे के बंद के बाद शुरू किया गया तथा इकाई-4 को 4567.78 घंटे के बंद के बाद 31 मार्च 2021 को शुरू किया गया।

टर्बाइन की विफलता के कारणों के विश्लेषण के लिए लगी तीन एजेंसियों⁶⁰ ने अपने प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्नलिखित कारणों को पाया:

⁵⁷ घोषित क्षमता (डी.सी.) का अर्थ ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिन की किसी भी अवधि या सम्पूर्ण दिन के संबंध में ऐसे उत्पादन केंद्र द्वारा घोषित एम.डब्ल्यू. में एक्स-बस विद्युत देने के लिए उत्पादन स्टेशन की क्षमता है।

⁵⁸ ओएंडएम मैनुअल, जो अन्य बातों के साथ-साथ बॉयलर दक्षता के विभिन्न मानकों को इंगित करता है, तल में 0.95 प्रतिशत बिना जले कोयले के कणों और फ्लायैश में 0.68 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करता है।

⁵⁹ बॉटम ऐश में 0.95 प्रतिशत से 3.90 प्रतिशत एवं फ्लायैश में 0.68 प्रतिशत से 1.90 प्रतिशत।

⁶⁰ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) और मैसर्स ट्रैक्टबेल एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में तथा साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन (30 सितंबर 2020) किया, जिसमें इसके उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल थे।

- बिना क्लोराइड एनालाइजर के, एस.डब्ल्यू.ए.एस.⁶¹ के आंशिक रूप से चालू होने के कारण टर्बाइन में “निम्न श्रेणी की वाष्प एवं जल रसायन”, संक्षारक जमाव (सोडियम, फॉस्फेट, सिलिका घटक और क्लोराइड का जमाव) का प्राथमिक कारण था;
- प्रयोगशाला सुविधा की स्थापना में देरी के कारण, एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से जल एवं वाष्प का परीक्षण;
- सी.पी.यू.⁶² प्रणाली में सोडियम और क्लोराइड निगरानी (ऑनलाइन और ऑफलाइन) उपकरणों की अनुपलब्धता; तथा
- टर्बाइनों के संरक्षण के लिए आवश्यक डी-ह्यूमिडिफायर प्रणाली को चालू न करना।

इस प्रकार, जल एवं वाष्प रसायन की निगरानी हेतु आवश्यक पर्याप्त सुविधाओं के बिना, इकाइयों का संचालन प्रारम्भ होने के कारण टर्बाइन की विफलता और लंबी अवधि के लिए इकाइयों के आउटेज के कारण, बंद की अवधि में स्थायी लागत की गैर-वसूली के रूप में ₹ 1,044.38 करोड़ की हानि हुई।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2022) कि दोनों इकाइयों के बंद होने की पूरी अवधि के लिए, स्थायी लागत की वसूली न होने के रूप में वास्तविक वित्तीय हानि ₹ 1,007.98 करोड़ होगी। आगे यह भी कहा गया कि, कंपनी ने, दोनों इकाइयों की वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने के बाद, ठेकेदार को नियमित रूप से समय समय पर अनुसरण किया कि वो यह देखे कि एस.डब्ल्यू.ए.एस. एवं सी.पी.यू. प्रणाली में कमियां, महत्वपूर्ण भाग शुद्धता मापदंडों की निगरानी, सोडियम और क्लोराइड एनालाइजर आदि को चालू करने एवं संरक्षण प्रणाली तथा इस सुपर क्रिटिकल यूनिट को संचालित करने के लिए रखरखाव मैनुअल की आपूर्ति सहित, शेष सुविधा पूरी हो। तथापि, ठेकेदार इन कार्यों को समय पर पूरा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप दोनों टर्बाइन विफल हो गए। आगे यह भी कहा गया कि ठेकेदार ने दोनों टर्बाइनों की निःशुल्क मरम्मत की थी और इकाइयां सुचारू रूप से चल रही हैं।

उत्तर पुष्टि करता है कि यद्यपि कंपनी को दोनों इकाइयों के लंबे समय तक बंद रहने की वजह से स्थायी लागत की वसूली न होने की हानि हुई है और महत्वपूर्ण रूप से कंपनी ने अपूर्ण/अपर्याप्त सुविधाओं के कारण हुई हानि के लिए ई.पी.सी. ठेकेदार को उत्तरदायी नहीं ठहराया था।

4.14 पर्यावरण अनुपालन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (कें.प्र.नि.बो.)/ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) ने ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले विभिन्न पर्यावरणीय मानदंड जारी किए हैं। विद्युत गृह, नवनिर्मित ताप विद्युत संयंत्र होते हुए भी, पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है—

4.14.1 स्टैक उत्सर्जन की अधिकता

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 01 जनवरी 2017 से स्थापित होने वाले ताप विद्युत केंद्र की इकाइयों के लिए, स्टैक उत्सर्जन मानक (07 दिसंबर 2015) निर्धारित किए हैं। उत्सर्जन मानक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के लिए निर्धारित किए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानदंडों के विरुद्ध वास्तविक उत्सर्जन का विवरण नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है:

⁶¹ स्टीम एंड वॉटर एनालिसिस सिस्टम (एस.डब्ल्यू.ए.एस.) एक ऐसी प्रणाली है जो भाप में महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी में मदद करती है। इन मापदंडों में पीएच, चालकता, सिलिका, सोडियम, घुलित ऑक्सीजन, फॉस्फेट और क्लोराइड शामिल हैं। एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए एस.डब्ल्यू.ए.एस. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नमूना विश्लेषण के बिंदु तक का प्रतिरूप है।

⁶² कंडेनसेट पॉलिशिंग यूनिट (सी.पी.यू.) में आमतौर पर ट्रेस डिजॉल्व्ड खनिजों और निष्काशित पदार्थ को हटाने के लिए आयन एक्सचेंज तकनीक शामिल होती है। बिजली संयंत्रों में भाप उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान, भाप टंडी और घनीभूत हो जाती है। कंडेनसेट एकत्र किया जाता है और फिर बॉयलर फीड पानी के रूप में उपयोग किया जाता है।

तालिका 4.3: वाणिज्यिक संचालन तिथि से जुलाई 2021 तक श्री सिं.ता.वि.के. के वि.ग्र.-II में स्टैक उत्सर्जन की स्थिति

क्र. सं.	पैरामीटर	मानदंड एम.जी./ एन.एम. ³ मे	इकाई संख्या	वास्तविक उत्सर्जन एमजी/एनएम ³ में	अभ्युक्ति
1	सल्फर डाइऑक्साइड	100	3	417.83 – 1577.90	हमेशा मानदंडों से अधिक रहा
			4	428.00 – 1540.18	—वही—
2	नाइट्रोजन के ऑक्साइड	100	3	178.83 – 552.10	—वही—
			4	228.72 – 617.06	—वही—
3	पर्टिकुलेट मैटर	30	3	42.01–559.50	जनवरी 2019 को छोड़कर, जब यह 18.48 एम.जी./एन.एम. ³ था
			4	33.43 – 739.25	मार्च 2019 और सितंबर 2020 को छोड़कर जब यह 26.65 और 28.59 एम.जी./ एन.एम. ³ रहा

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, कंपनी, ऊपर दिखाए गए सभी मापदंडों के संबंध में, पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करने में विफल रही और वातावरण में भारी मात्रा में हानिकारक ऑक्साइड का उत्सर्जन करके पर्यावरण के लिए खतरा बनी हुई है।

शासन ने कहा (मई 2022) कि कंपनी, वैधानिक मानदंडों अर्थात् <100 एम.जी./एन.एम.³ के भीतर, सल्फर डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए गीली फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफ.जी.डी.) प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के नियंत्रण या कमी के लिए, सेलेक्टिव नॉन-कैटेलिटिक रिडक्शन (एस.एन.सी.आर.)/सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एस.सी.आर.) की स्थापना की कार्रवाई, एनटीपीसी की पायलट परियोजनाओं से एस.सी.आर./एस.एन.सी.आर. की स्थापना की प्रतिपुष्टी के बाद ही की जाएगी।

उत्तर पुष्टि करता है कि संयंत्र के नवीनतम तकनीक के साथ सुपर क्रिटिकल होने के बावजूद, इसने उत्सर्जन मानदंडों का पालन नहीं किया और स्टैक उत्सर्जन स्तरों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए थे।

4.14.2 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऐश उपयोग मानदंडों का गैर-अनुपालन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचित किया (25 जनवरी 2016) कि कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केंद्र 31 दिसंबर 2017 से पहले उनके द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग के प्रावधान का पालन करेंगे। इसलिए, श्री सिं.ता.वि.के., वि.ग्र.-II को इसके वाणिज्यिक संचालन तिथि से 100 प्रतिशत ऐश का उपयोग करने की आवश्यकता थी। श्री सिं.ता.वि.के. के वि.ग्र.-II में वर्ष वार ऐश का उपयोग नीचे तालिका 4.4 में दिया गया है:

तालिका 4.4: वर्ष वार ऐश उत्पादन और उसका उपयोग

वर्ष	अवधि	कुल उत्पादित ऐश (मीट्रिक टन में)	उपयोग की गई ऐश (मीट्रिक टन में)	उपयोग (प्रतिशत में)
2018-19	नवम्बर 2018 से 31 मार्च 2019	555313.59	0	0
2019-20	अप्रैल 2019 से मार्च 2020	1163835.55	204479.172	17.57
2020-21	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	188327.218	100005.69	53.10
2021-22	अप्रैल 2021 से अगस्त 2021	447854.434	189478.63	42.31

ऐश का कम उपयोग स्पष्ट रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने में कंपनी की अक्षमता को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सी.पी.सी.बी. ने श्री सिं.ता.वि.के. पर कंपनी द्वारा फ्लाई ऐश उपयोग शत-प्रतिशत न

करने हेतु ₹ 15.83 करोड़⁶³ (2018-19 के लिए ₹ 7.00 करोड़ और 2019-20 के लिए ₹ 8.83 करोड़) का 'पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति' नामक अर्धदण्ड (जुलाई 2020) भी लगाया।

शासन ने कहा (मई 2022) कि रियल इस्टेट और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मंदी तथा कोविड-19 महामारी का प्रभाव, फ्लॉई ऐश की कम मांग/ उपयोग के कारण थे।

तथ्य यह है कि कंपनी ने संयंत्र से ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई अपेक्षित कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसके अलावा, कंपनी के अन्य संयंत्र जैसे, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बिरसिंहपुर (2019-20: 99.59 प्रतिशत, 2020-21: 100.10 प्रतिशत और 2021-22: 71.50 प्रतिशत) और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सारणी (2019-20: 63.72 प्रतिशत, 2020-21: 94.20 प्रतिशत और 2021-22: 99.82 प्रतिशत) ने इसी अवधि में श्री सिं.ता.वि.के., विद्युत गृह-II की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि कंपनी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऐश उपयोग संबंधी मानदंडों का अनुपालन करने में विफल रही।

4.14.3 विशिष्ट जल की अतिरिक्त खपत

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 01 जनवरी 2017 के बाद स्थापित ताप विद्युत गृहों के लिए जल की खपत की सीमा⁶⁴ निर्धारित (28 जून 2018) की थी तथा इन संयंत्रों को शून्य अपशिष्ट जल निकासी भी प्राप्त करना होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वि.गृ.-II की इकाइयों के लिए जल की खपत का मासिक औसत (वास्तविक मेगावाट ऑवर उत्पादन पर) वाणिज्यिक संचालन तिथि से अगस्त 2021 तक की अवधि में, ₹ 5.50 प्रति घन.मी. की दर से ₹ 4.78 करोड़ मूल्य के 86,96,175 घन.मी. की सीमा तक उच्च⁶⁵ रहा।

जल की अधिक खपत के कारणों में ऐश वाटर रिकवरी सिस्टम को चालू करने में देरी, ऐश पॉण्ड में पंप करने के लिए सूखी ऐश को गीली ऐश में बदलना⁶⁶, खराब कारीगरी के कारण ऐश डाइक में रिसाव, शट डाउन/ट्रिपिंग और रिजर्व शट डाउन के बाद इकाइयों को प्रज्वलित करना (जिसमें सिस्टम की सफाई के लिए भारी पानी की आवश्यकता होती है), इकाइयों को आंशिक भार पर चलाना और सूट ब्लोअर हेडर का वांछित तापमान प्राप्त करने के लिए पानी का उपयोग करना था।

शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित अतिरिक्त जल खपत के कारणों से सहमत (मई 2022) हुई तथा अन्य कारणों को भी बताया, अर्थात्, ऐश वाटर रिकवरी सिस्टम का चालू न होना, पुनः उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में अपशिष्ट जल की अनुपलब्धता भी जिम्मेदार थी। इसमें आगे कहा गया कि ऐश वाटर रिकवरी सिस्टम के जल्द ही चालू होने की उम्मीद है; जिसके परिणामस्वरूप जल की खपत में कमी आएगी। तथापि, तथ्य यह शेष रह जाता है कि जल की खपत मानदंडों से अधिक रही।

4.15 निष्कर्ष

पिछली कंडिकाओं में टिप्पणियों के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है:

- कंपनी ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। कंपनी ने समय पर अपेक्षित फ्यूल लिकेज और मंजूरी प्राप्त नहीं की तथा अतिरिक्त पूंजी पर प्रतिलाभ ₹ 120.75 करोड़ को छोड़ना पड़ा। इसने ठेकेदार को अग्रिमों के भुगतान में देरी की, जिसके परिणाम में निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा एवं म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा

⁶³ कंपनी की परियोजना के चरण I के फ्लॉई ऐश का उपयोग न करने सहित।

⁶⁴ अधिसूचना दिनांक 7 दिसंबर 2015 (28 जून 2018 को संशोधित) के अनुसार, विशिष्ट जल की खपत नए संयंत्रों के लिए अधिकतम 3.0 घन मीटर/मेगावाट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

⁶⁵ मानदंड के अनुसार 23210250 घन मीटर विशिष्ट जल की आवश्यक मात्रा के सापेक्ष 31906425 घन मीटर।

⁶⁶ ड्राई फ्लॉई ऐश सिस्टम दिसंबर 2019 में देरी के साथ पूरा नहीं हुआ था; इसलिए गीली राख को राख तालाब में प्रवाहित किया जा रहा था जिसके लिए अधिक पानी की खपत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, शुष्क राख प्रणाली के पूरा होने के बाद, जब भी राख के परिवहन के लिए अपर्याप्त बल्कर्स के कारण यूनिट नंबर 3 और 4 के ऐश साइलो भर जाते थे, तो गीली राख को तालाब में स्थानांतरित कर दिया जाता था जिसके परिणामस्वरूप पानी की खपत अधिक होती थी।

निर्माणावधि का ब्याज तथा निर्माणावधि के आकस्मिक व्यय की राशि ₹ 215.03 करोड़ को अस्वीकृत कर दिया गया;

- कंपनी ने, इकाइयों के निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि से काफी पहले जल आपूर्ति अनुबंध कर लिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.80 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ;
- कंपनी, निर्धारित तिथियों पर परियोजना को पूरा नहीं कर सकी और देरी की अवधि में, विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए महंगी दरों पर विद्युत का क्रय करना पड़ा, जिससे ₹ 102.32 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा;
- कंपनी ने संयंत्र के संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाओं को पूरा करना सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मेजर आउटेटों के कारण 9,036.55 एम.यू. की उत्पादन हानि हुई और ₹ 1,055.54 करोड़ की स्थायी लागत की वसूली नहीं हुई;
- संयंत्र म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्धारित परिचालन मापदण्डों को पूरा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की हानि, ईंधन की अधिक खपत एवं स्थायी लागत की कम वसूली/ गैर वसूली हुई; तथा
- कंपनी स्टैक उत्सर्जन, ऐश के निपटान और जल की खपत के संबंध में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं कर सकी जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4.16 अनुशंसायें

हम अनुशंसा करते हैं कि:

- कंपनी को सभी इनपुट की योजना बनानी चाहिए और उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए तथा भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके तथा परियोजना के लिए सभी उपलब्ध रियायतें/ लाभ प्राप्त किए जा सकें तथा विद्युत को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा सके, जैसा कि परिकल्पित है;
- कंपनी को संचालन की अवधि में आउटेट से बचने के लिए इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व संयंत्र के संचालन हेतु आवश्यक सभी सुविधाओं की पूर्णता सुनिश्चित करना चाहिए;
- कंपनी को, इकाई 3 के निष्पादन गारंटी परीक्षण में शीघ्रता एवं इकाई 4 के निष्पादन गारंटी परीक्षण के प्रतिवेदन का अंतिमीकरण करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ई.पी.सी. ठेकेदार परियोजना के निष्पादन में कमियां, यदि कोई हो, हेतु अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करता है;
- कंपनी को उत्पादन की लागत को वांछित स्तर पर रखने के लिए नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत विद्युत गृह को संचालित करने का प्रयास करना चाहिए; तथा
- कंपनी को पर्यावरणीय मानदंडों एवं विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय 5

वन विभाग

अध्याय 5 वन विभाग

'मध्य प्रदेश में वन भूमि के व्यपवर्तन और प्रतिपूरक वनीकरण निधियों का प्रबंधन' पर अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

लेखापरीक्षा ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान वन भूमि के व्यपवर्तन और प्रतिपूरक वनीकरण निधि के व्यय से संबंधित अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने 100 वनमंडलों में से 17 वनमंडलों तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) के कार्यालय में अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा की। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- वन भूमि व्यपवर्तन के लिए निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन न करना, व्यपवर्तित वन भूमि के हस्तांतरण और उपयोग में अनियमितता, प्राधिकार के बिना वन भूमि का अनियमित व्यपवर्तन, व्यपवर्तित वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि का हस्तांतरण नहीं/कम होना, संरक्षित/आरक्षित वन अधिसूचित नहीं होना, स्वीकृति की शर्तों का पालन न होना, वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले शुल्क की वसूली नहीं/कम करना इत्यादि।
- प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन में अनियमितताएं, कैम्पा के अंतर्गत वनीकरण के लिए त्रुटिपूर्ण स्थल का चयन, इत्यादि।
- लक्ष्य के विरुद्ध वृक्षारोपण में कमी, प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण की विफलता।
- खरपतवार उन्मूलन पर अनुचित व्यय, कैम्पा के तहत अपात्र गतिविधियों पर व्यय, कैम्पा निधि का उपयोग कर वृक्षारोपण पर अनियमित व्यय।
- प्रतिपूरक वनीकरण पर संदिग्ध व्यय, निधि प्रबंधन और क्रय में अनियमितताएं, कैम्पा निधियों के प्रबंधन के लिए पृथक् बैंक खाते का संधारण न करना, अभिलेखों का संधारण/अद्यतन न करना।

कमियों के इन प्रकरणों में, कुल ₹ 364.83 करोड़ का समग्र प्रभाव शामिल है।

5.1 प्रस्तावना

वन तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र सभी समुदायों की सेवा करते हैं और वन संसाधन लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। वनों के पास रहने वालों, ग्रामीणों और अन्य लोगों का कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास पूर्णतः या आंशतः वनों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, वनों की कटाई, और वन भूमि के व्यपवर्तन (गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु) के परिणामस्वरूप उजड़े वनों का लोगों और समुदायों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वन-भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु व्यपवर्तन केवल भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफ.सी.ए.) के प्रावधानों के तहत वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए परियोजनाओं/ प्रस्तावों को मंजूरी देता है। वन-भूमि पर परियोजनाओं को मंजूरी देते समय, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. सामान्य, मानक और विशिष्ट शर्तों जैसे कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) लगाना, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) बढ़ाने के लिए निधि, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सी.ए.टी.), खानों का सुधार, परियोजना लागत पर जैव विविधता और वन्य जीवन सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां, के रूप में शर्तें/प्रतिबंध लगाता है। इस उद्देश्य हेतु चिन्हित गैर-वन भूमि/उजड़े वन (कैनोपी घनत्व¹ 0.4 से कम) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना है। राज्य वन

¹ कैनोपी घनत्व, वनस्पतियों द्वारा अवरुद्ध धूप तथा वन पर पड़ने वाली संपूर्ण धूप के अनुपात के रूप में परिभाषित है।

प्रतिवेदन, 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज वनक्षेत्र के अंदर खुला वन² 28,223 वर्ग किमी (वनक्षेत्र का 43.59 प्रतिशत) था, जबकि 2017 की रिपोर्ट के अनुसार यह 27,904 वर्ग किमी (वन क्षेत्र का 43.28 प्रतिशत) था। इस प्रकार, 2017 और 2019 के बीच राज्य में खुले वन में 1.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों³ के तहत प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्यजीवन के प्रबंधन, क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, और अन्य संबद्ध कार्यों के विकास की गतिविधियों में तेजी लाने हेतु एक साधन के रूप में तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) (मई 2006) बनाया गया। एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने तदर्थ कैम्पा के पास पड़ी निधियों के उपयोग हेतु राज्यों के लिए दिशानिर्देश (जुलाई 2009) तैयार किए।

राष्ट्रीय कैम्पा और राज्य कैम्पा का निर्माण (अगस्त 2009) प्रतिपूरक निधियों के प्रबंधन और शमन गतिविधियों के लिए किया गया था। इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सी.ए.एफ.), 3 अगस्त 2016 को अधिनियमित किया गया था। राज्य कैम्पा शमन गतिविधियों के कारण आरोपित प्रतिपूरक निधि के एक सामूहिक कोष के रूप में कार्य करता है।

5.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर मध्य प्रदेश वन विभाग, के प्रमुख अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन होते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.), वन बल प्रमुख विभागाध्यक्ष होते हैं। मुख्यालय स्तर पर कैम्पा का प्रबंधन पी.सी.सी.एफ., कैम्पा के पर्यवेक्षण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन) (ए.पी.सी.सी.एफ., एल.एम.) गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों को देखते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि का प्रबंधन एवं वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों का प्रसंस्करण मण्डल स्तर पर वनमण्डल अधिकारी (डी.एफ.ओ.) द्वारा किया जाता है।

चार्ट 5.1: संगठनात्मक संरचना



² कैनोपी घनत्व, 0.1 से 0.4 तक के वन आवरण वाले क्षेत्र।

³ टी एन गोडावर्मन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ तथा अन्य, {1995 की रिट याचिका (सिविल) क्र. 202}।

प्रत्येक वनमण्डल को आगे विभिन्न परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है और सी.एफ./डी.एफ.ओ. को उप-वनमण्डल अधिकारी (एस.डी.ओ.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसे परिक्षेत्र स्तर पर परिक्षेत्र अधिकारियों (आर.ओ.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आर.ओ. की सहायता उप-परिक्षेत्र अधिकारी, वनपालों और वन रक्षकों द्वारा की जाती है।

5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा मानदण्ड

लेखापरीक्षा जुलाई 2020 से मार्च 2021 के मध्य यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसमें निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है;
- गतिविधियों को राज्य कैम्पा के उद्देश्यों के अनुसार और एम.ओ.ई.एफ.सी.सी./राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार समिति द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित किया गया था; तथा
- निगरानी और मूल्यांकन तंत्र मौजूद था और परिकल्पना के अनुसार काम कर रहा था।

अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्न से प्राप्त किए गए :

- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और वन (संरक्षण) नियम, 2003,
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 और प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018,
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006,
- मध्य प्रदेश कोष संहिता,
- मध्य प्रदेश वित्त संहिता,
- राज्य कैम्पा एवं एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के दिशानिर्देश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश।

5.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि को शामिल किया गया और पी.सी.सी.एफ. (कैम्पा) और 100 वनमण्डलों में से 17 वनमण्डलों के कार्यालयों में वन भूमि के व्यपवर्तन और प्रतिपूरक वनीकरण निधि से व्यय से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

नवंबर 2020 में प्रमुख सचिव (वन) के साथ प्रवेश सम्मेलन हुई थी और निकास सम्मेलन मई 2022 में पी.सी.सी.एफ. (कैम्पा और भू-प्रबंधन) के साथ की गई थी।

5.5 आवंटन और व्यय

वन भूमि का उपयोग करने वाली एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण (सी.ए.), शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.), कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सी.ए.टी.), इत्यादि के लिए प्राप्त राशि से प्रतिपूरक वनीकरण निधि बनाई जाती है। वर्ष 2017-20 के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण, सुरक्षा और संरक्षण कार्य के लिए निधियों का आवंटन तालिका 5.1 में दिखाया गया है।

⁴ अनूपपुर, पूर्वी छिंदवाड़ा, खरगोन, खंडवा, इंदौर, रतलाम, भोपाल, सिंगरौली, दक्षिणी शहडोल, उत्तरी सागर, दक्षिणी सागर, नौरादेही, होशंगाबाद, ग्वालियर, छतरपुर, उत्तरी बैतूल, और प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड।

तालिका 5.1: अवधि 2017–20 के दौरान आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय ⁵
1	2017–18	234.82	228.55
2	2018–19	170.29	269.33
3	2019–20	318.28	342.00
योग		723.39	839.88

(स्रोत: वन विभाग के अभिलेख)

5.6 वन भूमि के व्यपवर्तन का विवरण

गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए 2017–20 के दौरान वन भूमि के व्यपवर्तन और कुल व्यपवर्तित वन भूमि से जुड़े प्रकरणों का विवरण नीचे तालिका 5.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: वर्ष 2017–20 के दौरान वन भूमि के व्यपवर्तन एवं कुल व्यपवर्तित वन भूमि के प्रकरण

क्र.सं.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	कुल व्यपवर्तित भूमि (हेक्टेयर में ⁶)
1	2017–18	34	4,430.693
2	2018–19	30	5,890.522
3	2019–20	29	1,945.462
योग		93	12,266.677

(स्रोत: वन विभाग के अभिलेख)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.7 वन भूमि का व्यपवर्तन

वन भूमि के व्यपवर्तन में कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है:

5.7.1 वन भूमि व्यपवर्तन के लिए निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन न करना

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने निर्देश दिया (नवंबर 2010) कि एक हेक्टेयर⁷ (हे.) तक की भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में, डीएफओ व्यपवर्तन को मंजूरी दे सकते हैं बशर्ते कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए) के तहत वन अधिकारों की पहचान और निस्तारण को पूरा करने के संबंध में संबंधित ग्राम सभा और जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। एफ.आर.ए. की धारा 3 (2) के अनुसार, 13 सामाजिक उपयोगिताओं⁸ के लिए भूमि व्यपवर्तन को एफसीए, 1980 के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गई है, जिसका अर्थ है कि

⁵ संस्था ने 2016–17 से 2019–20 के दौरान ब्याज के रूप में ₹ 123.66 करोड़ प्राप्त किये थे।

⁶ एक हेक्टेयर में 10000 वर्ग मी. होते हैं।

⁷ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पांच हेक्टेयर तक की शक्ति दी गई है।

⁸ स्कूल, औषधालय या अस्पताल, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, बिजली और दूरसंचार लाइनें, टैंक और अन्य लघु जल निकास, पेयजल आपूर्ति और पानी की पाइपलाइन, पानी या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, सड़कें और सामुदायिक केंद्र।

व्यपवर्तन हेतु भुगतान जैसे एनपीवी, सीए हेतु निधि, औषधीय वृक्षारोपण, इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, एक हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में, व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा डी.एफ.ओ. को प्रस्तुत किया जाता है जो उसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच के उपरांत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदित करता है और प्रस्ताव को राज्य शासन को भेज देता है। राज्य शासन तथ्यों की जांच करता है और प्रस्ताव को अनुशंसा के साथ अनुमोदन हेतु एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. को भेज देता है।

वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक की अवधि के 17 वनमण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं :

- पांच वनमण्डलों⁹ में वन भूमि के व्यपवर्तन के 122 प्रकरणों में (संबंधित वनमण्डलों में 678 प्रकरणों में से) हमने देखा कि 60.01 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु जिसमें प्रत्येक प्रकरण में वन भूमि के एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र का व्यपवर्तन शामिल था, संबंधित डीएफओ द्वारा ग्राम सभाओं और जिला कलेक्टरों के प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना अनुमोदन दिया गया, यद्यपि व्यपवर्तन का अनुमोदन एफआरए के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए किया गया था।
- सिंगरौली, दक्षिण सागर और ग्वालियर वनमण्डलों (प्रत्येक एक हेक्टेयर से अधिक) में 272.77 हेक्टेयर के अन्य सात प्रकरणों में अनुमोदन एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. से प्राप्त किये गये थे। अनुमोदन प्रदान करते समय, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. की स्वीकृतियों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संबंधित जिला कलेक्टरों से इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना था कि एफआरए के तहत अधिकारों का निस्तारण¹⁰ पूरा हो गया है। तथापि, संबंधित डीएफओ ने एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के आदेशों का उल्लंघन करते हुए प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए। इस प्रकार, वनमण्डलों द्वारा उक्त वन भूमि पर वनवासियों के अधिकारों की स्थिति सुनिश्चित नहीं की गई थी। विवरण परिशिष्ट 5.1 में दिया गया है।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि एफआरए 2006 और एफसीए 1980 के तहत केवल संबंधित ग्राम सभा और जिला कलेक्टर का अनुमोदन ही पर्याप्त है और प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसी तरह के अन्य मामलों में ग्राम सभा और कलेक्टरों ने व्यपवर्तन स्वीकृत होने से पहले एफआरए प्रमाणपत्र जारी किए थे। इसके अलावा, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी., सभी मामलों में, व्यपवर्तन को मंजूरी देते समय, संबंधित राज्य शासन को ग्राम सभा/कलेक्टरों से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करके एफआरए, 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश देता है। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि प्रमाण-पत्र अत्यावश्यक हैं, और निहित एफआरए प्रावधानों का पालन किए बिना किसी व्यपवर्तन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

- डीएफओ, होशंगाबाद ने जबलपुर-इटारसी रेलवे लाइन के विद्युतीकरण हेतु मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में हाई टेंशन विद्युत लाइन हेतु एफआरए के तहत 0.567 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन को मंजूरी दी (फरवरी 2016)। चूंकि हाई-टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन का निर्माण एक वाणिज्यिक गतिविधि थी और एफआरए के तहत कवर नहीं था, भूमि के व्यपवर्तन का अनुमोदन एफसीए, 1980 के प्रावधानों के तहत आवश्यक था। इस प्रकार, एफसीए, 1980 को लागू न किये जाने के परिणामस्वरूप भुगतान में एनपीवी, सीए, औषधीय वृक्षारोपण, इत्यादि के लिए छूट दी गई।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (कैम्पा और एलएम) ने बताया (मई 2022) कि प्रकरण की जांच की जाएगी और विस्तृत उत्तर दिया जाएगा।

⁹ अनूपपुर, सिंगरौली, दक्षिणी शहडोल, दक्षिणी सागर और होशंगाबाद।

¹⁰ अधिकारों के निस्तारण से तात्पर्य है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों और पारंपरिक वनवासी के अधिकार जैसे वन भूमि का स्वामित्व और निवास, गौण वन उत्पादों को एकत्र करने, उपयोग करने और उनका निपटान करने से संबंधित अधिकारों के दावे लंबित नहीं हैं।

तथापि, शासन ने उपर्युक्त पर उत्तर (जनवरी 2023) नहीं दिया।

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण नियम, 2003 (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा मई 2004 में जारी) के लिए दिशानिर्देशों की पुस्तिका निर्धारित करती है कि गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव पर विचार करते समय विस्थापित लोगों को होने वाले पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय नुकसान और आर्थिक विपत्ति को आर्थिक और सामाजिक लाभ के विरुद्ध आंका जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार वन मण्डलों¹¹ में 658.53 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन वाले पांच प्रकरणों (678 प्रकरणों में से) के संबंध में लागत-लाभ का विश्लेषण नहीं किया गया था। 336.33 हेक्टेयर से जुड़े अन्य चार प्रकरणों¹² में, विश्लेषण गलत तरीके से किया गया था क्योंकि कई लागत कारकों जैसे कि कुल क्षेत्रफल और चारे का सही मूल्य (₹ 1.02 करोड़ का अनुमानित मूल्य) का या तो शामिल नहीं किया गया था या गलत गणना की गई थी और परियोजनाओं को लाभकारी दर्शाया गया था जैसा कि परिशिष्ट 5.2 में वर्णित है।

इस प्रकार, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय खतरों के अलावा, इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप तुलनीय संपत्ति निर्माण के बिना आश्रित लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.7.2 व्यपवर्तित वन भूमि के हस्तांतरण और उपयोग में अनियमितताएं

वन (संरक्षण) नियम, 2003 के नियम 6 के तहत निर्धारित प्रपत्र 'ए' के भाग-II के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन की मांग करते समय डीएफओ की जिम्मेदारी है कि वन भूमि की आवश्यकता की जाँच करे और पुष्टि करे कि यह परियोजना के लिए अपरिहार्य और अत्यंत न्यूनतम है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 1987 में विभाग ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए नर्मदा घाटी विकास निगम (एनवीडीसी) के पक्ष में 2,731 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तित किया। हालांकि, परियोजना के तहत 2,809.943 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो गई थी। मुख्य वन संरक्षक (एलएम) ने महानिरीक्षक (वन संरक्षण), एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. को इसकी सूचना दी (जनवरी 2008) और इस संबंध में भारत सरकार की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। हालांकि, 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुसरण में शिथिलता के कारण, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. की संशोधित मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी और 78.943 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग एफसीए, 1980 के उल्लंघन में गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।

शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2022) कि उपरोक्त के संबंध में आयोजित बैठक (जून 2017) में प्रयोक्ता एजेंसी को एफआरए¹³ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था और अतिरिक्त भूमि के व्यपवर्तन के लिए प्रयोक्ता एजेंसी को एक आन-लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है। उक्त प्रतीक्षित है (जनवरी 2023)।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन वनमण्डलों¹⁴ से जुड़े 10 प्रकरणों में, चार प्रयोक्ता एजेंसियों¹⁵ ने सड़कों के निर्माण के लिए 32 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए आवेदन किया था। यह आवश्यकता सड़कों की चौड़ाई जो 8.9 मीटर से 18.08 मीटर तक थी, पर आधारित थी। हालांकि, डीएफओ ने व्यपवर्तन को मंजूरी देते हुए, सड़कों की चौड़ाई चार से आठ मीटर के बीच विचारित किया था और तदनुसार, प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा मांगे गए 32 हेक्टेयर के स्थान पर 20.23 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन को स्वीकृति प्रदान की थी।

¹¹ अनूपपुर, नौरादेही, दक्षिणी शहडोल, और भोपाल।

¹² एन एच-69 का उन्नयन, बथूरा ओपन कास्ट माइन, मीथेन गैस निष्कर्षण परियोजना, शहडोल, और सूरजपूरा टैंक।

¹³ अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006।

¹⁴ अनूपपुर, दक्षिण शहडोल और दक्षिण सागर।

¹⁵ मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.), ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एम.पी.आर.डी.सी.) तथा लोक निर्माण विभाग।

वन भूमि, 11.77 हेक्टेयर के कम व्यपवर्तन के कारण एन.पी.वी. की प्राप्ति योग्य राशि ₹ 1.21 करोड़ प्राप्त नहीं की जा सकी। विवरण **परिशिष्ट 5.3** में दिया गया है।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि मांग के अनुसार भूमि का व्यपवर्तन किया गया था तथा प्रयोक्ता एजेंसी को व्यपवर्तन के लिए अनुमोदित भूमि से अधिक वन भूमि पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति नहीं थी।

उत्तर गलत है क्योंकि विभागीय अभिलेखों की जाँच ने प्रकट किया कि दो प्रयोक्ता एजेंसियों¹⁶ के संबंध में वास्तविक व्यपवर्तन स्वीकृत व्यपवर्तन से अधिक है। संबंधित डीएफओ¹⁷ ने तदनुसार इस संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी (एमपीआरआरडीए) से स्पष्टीकरण मांगा था। इस प्रकार, अन्य प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा भी अवैध व्यपवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

5.7.3 प्राधिकार के बिना वन भूमि का अनियमित व्यपवर्तन

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने (अप्रैल 2018) सिंगरौली वनमण्डल¹⁸ में 16.392 हेक्टेयर वन भूमि को ओपन कास्ट कोयला खदान के लिए एक प्रयोक्ता एजेंसी (मैसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) को व्यपवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यपवर्तन के लिए स्वीकृत 16.392 हेक्टेयर वन भूमि के विरुद्ध विभाग ने 35.972 हेक्टेयर प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित कर दी। हस्तांतरण दो चरणों में किया गया था— अक्टूबर 2018 में 19.58 हेक्टेयर और उसके बाद सितंबर 2020 में अतिरिक्त 16.392 हेक्टेयर स्थानांतरित की गई थी। अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण को सही ठहराने के लिए न तो कोई अभिलेखबद्ध कारण थे और न ही यह एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा अधिकृत था। इसके परिणामस्वरूप एफसीए, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 19.58 हेक्टेयर वन भूमि का अनियमित हस्तांतरण हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि उपरोक्त घटना डीएफओ की गलती के कारण हुई थी।

प्राधिकार के बिना वन भूमि के अनियमित व्यपवर्तन के माध्यम से एफसीए, 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित मण्डल/ अधिकारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई पर उत्तर मौन है।

अनुशंसा की जाती है कि अनियमित व्यपवर्तन के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जावे।

5.7.4 व्यपवर्तित वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि का हस्तांतरण नहीं/ कम होना

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा जारी (मई 2004) दिशानिर्देशों की पुस्तिका की कंडिका 3.2 में प्रावधान है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत पर, व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के बराबर उपयुक्त गैर-वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना है। पूर्वोक्त दिशानिर्देशों की कंडिका 3.4 के अनुसार, हस्तांतरण (व्यपवर्तित वन भूमि के बदले भूमि का) परियोजना के प्रारंभ होने से पहले हो जाना चाहिए।

5.7.4.1 लेखापरीक्षा में तीन वनमण्डलों¹⁹ के तीन प्रकरणों में पाया गया कि गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित वन भूमि के विरुद्ध प्रयोक्ता एजेंसी से 140.95 हेक्टेयर समतुल्य राजस्व भूमि प्राप्त की जानी थी। हालांकि, 69.32 हेक्टेयर गैर-वन भूमि एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के अनुमोदन के पश्चात् 22 महीने से 52 महीने के अंतराल के बाद भी प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त नहीं की जा सकी, जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में वर्णित है। तथापि, विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसियों से भूमि लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, विभाग ने प्रयोक्ता एजेंसियों से समतुल्य भूमि प्राप्त किये बिना वन भूमि का हस्तान्तरण कर दिया।

¹⁶ एम.पी.आर.आर.डी.ए. और एम.पी.आर.डी.सी.।

¹⁷ डीएफओ (सामान्य), अनूपपुर।

¹⁸ कक्षा क्रमांक पी-266।

¹⁹ अनूपपुर, सिंगरौली तथा दक्षिण शहडोल।

निकास सम्मेलन में, पी.सी.सी.एफ. (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि प्रकरणों की जांच की जाएगी।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.7.4.2 एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने एमबी पावर (एमपी) लिमिटेड को अनूपपुर जिले में एक बैराज के निर्माण के लिए 35.44 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए मंजूरी दी (मई 2014)। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रयोक्ता एजेंसी ने उक्त अनुमोदन के बदले 37.11 हेक्टेयर गैर-वन भूमि प्रदान की थी। हालांकि, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान की गई भूमि में 4.33 हेक्टेयर में सड़क और हाई-टेंशन लाइनें शामिल हैं। इस प्रकार, 32.78 हेक्टेयर प्रभावी भूमि का प्रदाय हुआ, परिणामतः 2.66 हेक्टेयर भूमि की कम प्राप्ति हुई जिसने सी.ए. की गतिविधियों को प्रभावित किया।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि प्राप्त भूमि प्रयोक्ता एजेंसियों को आवंटित भूमि के समतुल्य है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राप्त की गई भूमि समतुल्य नहीं थी, इसमें सड़क का हिस्सा और हाई-टेंशन लाइनें थीं, जिसने वनीकरण के लिए उपलब्ध वास्तविक क्षेत्र को प्रभावी रूप से कम कर दिया।

5.7.5 संरक्षित/आरक्षित वन अधिसूचित नहीं होना

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा वन भूमि के व्यपवर्तन के अनुमोदन की सामान्य शर्तों में प्रावधान है कि प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित गैर-वन भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (भा.व.अ.) की धारा 4 के अंतर्गत सुरक्षित वन (आरएफ) या धारा 29 के तहत संरक्षित वन (पी.एफ.) के रूप में घोषित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ वनमण्डलों²⁰ से जुड़े 15 प्रकरणों में व्यपवर्तित वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 563.79 हेक्टेयर गैर-वन भूमि प्राप्त हुई थी लेकिन उसे एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के अनुमोदन के 13 महीने से लेकर 70 महीने तक की देरी के बाद भी भा.व.अ. की सुसंगत धाराओं के तहत आरएफ या पीएफ के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में विवरण दिया गया है। गैर-वन भूमि को पीएफ/आरएफ के रूप में अधिसूचित करने में देरी के कारण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। गैर-वन भूमि को आरएफ या पीएफ के रूप में अधिसूचित न करने के कारण, भूमि को भा.व.अ. में परिकल्पित कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा के दायरे में नहीं लाया जा सका।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि गैर-वन भूमि की अधिसूचना की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। आगे की कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई (जनवरी 2023)।

5.7.6 स्वीकृति की शर्तों का पालन न होना

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु स्वीकृतियों में परियोजना-विशिष्ट शर्तों को निर्धारित करता है। ये शर्तें एनपीवी के संग्रह और सीए के कार्यान्वयन के अतिरिक्त हैं। पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने और पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए इन शर्तों का अनुपालन महत्वपूर्ण है।

5.7.6.1 लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 वनमंडलों²¹ से जुड़े 28 प्रकरणों में, भूमि व्यपवर्तन के अनुमोदन के बाद एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. की स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। अनुपालन में विलंब चार माह से 84 माह के बीच था (विवरण **परिशिष्ट 5.5** में दिया गया है)। गैर-अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर नीचे **तालिका 5.3** में चर्चा की गई है:

²⁰ अनूपपुर, सिंगरौली, होशंगाबाद, दक्षिण शहडोल, पूर्वी छिंदवाड़ा, ग्वालियर, छतरपुर, खण्डवा और रतलाम।

²¹ अनूपपुर, सिंगरौली, नौरादेही, होशंगाबाद, उत्तरी सागर, दक्षिण शहडोल, दक्षिण सागर, पूर्वी छिंदवाड़ा, ग्वालियर, छतरपुर तथा उत्तरी बैतूल।

तालिका 5.3: स्वीकृति की शर्तों का पालन न करने का विवरण

क्र.स.	वनमण्डलों/व्यपवर्तन प्रकरणों की संख्या	स्वीकृति आदेश में विशेष शर्तें	अभ्युक्तियां (विलंब अवधि)
1	05/04	खदानों के आस-पास के वन क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए गैप वृक्षारोपण किया जाना था।	अनुपालन नहीं किया गया। (चार माह से 56 माह तक)
2	09/07	मृदा और नमी संरक्षण गतिविधियां की जानी थी	अनुपालन नहीं किया गया। (चार माह से 70 माह तक)
3	24/10	व्यपवर्तित वन भूमि को खंभे लगा कर, चारदीवारी या बाउंड्री चिन्ह से स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाना था।	अनुपालन नहीं किया गया। (चार माह से 84 माह तक)
4	04/03	मलबा निस्तारण योजना तैयार की जानी थी।	अनुपालन नहीं किया गया। (18 माह से 70 माह तक)
5	03/02	कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाना था।	अनुपालन नहीं किया गया। (10 माह से 69 माह तक)
6	02/02	खनन गतिविधियों के समाप्त होने के बाद बंद खदानों के लिए सुधार योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना था।	अनुपालन नहीं किया गया। (56 माह से 68 माह तक)

5.7.6.2 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक प्रारंभिक दस्तावेज है जिसे वृक्षारोपण से संबंधित सभी कार्यों आदि के अनुमानों सहित वृक्षारोपण और संबद्ध गतिविधियों को करने से पहले संबंधित वनमण्डलों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए (और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए)। डीपीआर के अनुमोदन के बाद ही प्रयोक्ता एजेंसियों से परियोजना लागत की वसूली की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 40 गतिविधियों (28 परियोजनाओं से संबंधित) में से केवल 10 गतिविधियों के लिए डीपीआर तैयार और स्वीकृत किए गए थे। और, नौ डीपीआर के लिए ₹ 1.68 करोड़ की परियोजना लागत की वसूली की गई थी जबकि ₹ 52.86 लाख की परियोजना लागत संबंधित प्रयोक्ता एजेंसी से अभी प्राप्त की जानी थी। इस प्रकार, डीपीआर तैयार नहीं करने के कारण वृक्षारोपण गतिविधियां नहीं की जा सकीं।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आगे की कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई (जनवरी 2023)।

5.7.7 वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले शुल्क की वसूली न करना/कम करना

वन संरक्षण (नियम), 2003 के नियम 8 के अनुसार, सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने पर, डीएफओ प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिपूरक वसूली का एक डिमांड नोट तैयार करेगा और सैद्धांतिक अनुमोदन की एक प्रति की प्राप्ति के दस दिवस के भीतर इसकी सूचना देगा। प्रयोक्ता एजेंसी, डिमांड नोट की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्रतिपूरक वसूली का भुगतान करेगी। अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वनों के वर्ग और श्रेणी के आधार पर वनों की शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी),
- डीपीआर के आधार पर प्रतिपूरक वनीकरण लागत,
- प्रतिपूरक वनीकरण की कुल परियोजना लागत का 12 प्रतिशत, तीन प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से क्रमशः एंट्री प्वाइंट एक्टिविटीज, मानव संसाधन विकास एवं निगरानी और मूल्यांकन हेतु शुल्क,
- प्रतिपूरक वनीकरण की परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क (एंट्री प्वाइंट एक्टिविटीज, मानव संसाधन विकास एवं निगरानी और मूल्यांकन शुल्क सहित), और
- परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए शुल्क (व्यपवर्तित वन भूमि में गतिविधियों के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन की गई लागत)।

उपरोक्त शुल्कों का आरोपण न करने/कम करने से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

5.7.7.1 एनपीवी की वसूली न करना

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने एन.पी.वी. की राशि ₹ 5.80 लाख प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम दर पर वसूल करने के लिए अनंतिम रूप से निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2003)। मध्य प्रदेश शासन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (मार्च एवं मई 2008) को ध्यान में रखते हुए विहित (सितम्बर 2008) किया कि वन के ईको वैल्यू और घनत्व के अनुसार ₹ 4.38 लाख से ₹ 10.43 लाख तक प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीवी की वसूली की जाएगी। निर्धारित की गई एनपीवी दरें (सितम्बर 2008) तीन वर्ष की अवधि के लिए थीं और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (मार्च 2008) के अनुसार संशोधन के अधीन थीं।

लेखापरीक्षा में खरगौन और रतलाम वनमण्डलों के दो प्रकरणों में देखा गया कि 12.835 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण ₹ 30.27 लाख²² की एनपीवी राशि वनमण्डल द्वारा वसूल नहीं की गई थी।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि प्रकरणवार विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रकरण में उत्तर/ आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.7.7.2 प्रतिपूरक वनीकरण लागत की कम वसूली

मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) ने डीपीआर तैयार करने के लिए निदेश जारी (फरवरी 2002) किये तथा कहा कि वनमण्डलों के द्वारा स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार डीपीआर तैयार किया जायेगा तथा उसके अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से धनराशि की माँग की जायेगी।

तीन वनमण्डलों²³ की चार परियोजनाओं में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- प्रतिपूरक वनीकरण की दो परियोजनाओं की डीपीआर में प्रचलित बाजार दरों से कम श्रम दरों को माना गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ की सीए के लागत की कम वसूली हुई।
- दो परियोजनाओं में, संशोधित निर्देशों (सितम्बर 2013) के मद्देनजर डीपीआर को संशोधित किया जाना था जिसमें सीए के लिए ₹ 2.90 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क की वसूली आवश्यक थी। लेकिन, इसे प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, प्रयोक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनीकरण लागतों की वसूली में वनमण्डल की शिथिलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.05 करोड़ की कम वसूली हुई। विवरण परिशिष्ट 5.6 में दिया गया है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.7.7.3 गलत डीपीआर अनुमानों के कारण इंट्री प्वाइंट एक्टिविटीज, मानव संसाधन विकास एवं निगरानी और मूल्यांकन के लिए निधियों की वसूली न होना/कम वसूली

मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) ने इंट्री प्वाइंट एक्टिविटीज (ईपीए), मानव संसाधन विकास (एचआरडी) तथा निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) हेतु सीए के कुल परियोजना लागत का क्रमशः 12 प्रतिशत, तीन प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर का प्रावधान करने का निर्देश जारी किया (फरवरी 2002 तथा फरवरी 2004)।

लेखापरीक्षा ने चार वनमण्डलों में भूमि व्यपवर्तन के पांच प्रकरणों (678 प्रकरणों में से) में पाया कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार डीपीआर में ईपीए, एचआरडी और एमई गतिविधियों²⁴ के लिए

²² 11 के.वी. धरमपुरी से पलाशखुट तक विद्युत लाइन कनेरी जलाशय परियोजना
 योग
 ₹ 17.75 लाख (2.835 हे. X ₹ 6.26 लाख प्रति हे.)
 ₹ 12.52 लाख (10 हे. X ₹ 1.252 लाख प्रति हे.)
12.835 हे. हेतु ₹ 30.27 लाख

²³ खण्डवा, छतरपुर और उत्तरी बैतूल

²⁴ डीपीआर के 12 प्रतिशत की दर से ईपीए : ₹ 0.83 करोड़
 डीपीआर के 3 प्रतिशत की दर से एचआरडी : ₹ 0.21 करोड़
 डीपीआर के 20 प्रतिशत की दर से एम एवं ई : ₹ 1.38 करोड़

₹ 2.42 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जाना था। लेकिन विभाग ने ₹ 0.53 करोड़ के रूप में लागत की गलत गणना की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा कि परिशिष्ट 5.7 में वर्णित है।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि प्रकरणों की जांच के बाद विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.7.7.4 अन्य शुल्कों की कम वसूली

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने उन परियोजनाओं को छोड़कर जिनमें सरकारी विभाग शामिल हैं, सीए की परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल करने के निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2004)। इस प्रकार वसूल की गई राशि राज्य शासन के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा की जायेगी। वन्यजीव अभयारण्य से वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रत्येक प्रकरण में, पीसीसीएफ (वन्यजीव) वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण के बदले शुल्क लगाता है।

उपरोक्त प्रभारों की कम वसूली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नीचे की गई है:

क्र.स.	अनियमितता	विवरण
1	पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली न करना/ कम वसूली करना	अनूपपुर एवं ग्वालियर वनमण्डल के अंतर्गत पांच प्रकरणों में विभाग ने पर्यवेक्षण प्रभारों की राशि की गणना करते समय ईपीए, एचआरडी, एमई, चेन-लिक फेंसिंग इत्यादि पर व्यय को छोड़ दिया, जो डीपीआर का हिस्सा थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.58 लाख के पर्यवेक्षण प्रभार की कम वसूली हुई, जैसा कि परिशिष्ट 5.8 में वर्णित है।
2	वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण की कम वसूली/ वसूली न करना	<ul style="list-style-type: none"> एक सड़क कार्य²⁵ में, नौरादेही वनमण्डल ने गलती से ₹ 13.94 लाख की तुलना में ₹ 8.18 लाख एकत्र किये, जो कि परियोजना लागत का पांच प्रतिशत है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.76 लाख के वन्यजीव संरक्षण शुल्क की कम वसूली हुई। एक अन्य सड़क कार्य²⁶ में, नौरादेही वनमण्डल ने परियोजना लागत निकालते समय ₹ 5.66 करोड़ की राशि के 'परियोजना विकास एवं अन्य प्रभार' को अनियमित रूप से हटा दिया। फलस्वरूप, वनमण्डल ने ₹ 1.42 करोड़ के बजाय ₹ 1.13 करोड़ की राशि के वन्यजीव संरक्षण शुल्क की गणना की और वसूल किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.56 लाख की कम वसूली हुई।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि प्रकरणों की जांच के बाद विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रकरण में उत्तर/ आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.8 संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन

5.8.1 प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ

गैर-वानिकी उपयोगों के लिए वन भूमि के अनारक्षण या व्यपवर्तन के प्रस्तावों को मंजूरी देते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से सीए एक है। यह आवश्यक है कि ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए सीए हेतु एक व्यापक योजना तैयार की जाए और भारत सरकार को प्रस्तुत की जाए।

²⁵ सोमखेड़ा-सुहेला पहुँच मार्ग (₹ 2.79 करोड़)।

²⁶ रेहली-तेंदुखेड़ा सड़क का उन्नयन (₹ 283.13 करोड़)।

सीए का उद्देश्य भूमि के नुकसान की 'भूमि द्वारा' और वृक्षों के नुकसान की 'वृक्षों द्वारा'²⁷ प्रतिपूर्ति करना है।

सीए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है:

5.8.1.1 त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

विभाग सीए के उद्देश्य से दस वर्ष की अवधि के लिए डीपीआर तैयार करता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन) ने निर्देश जारी किया (सितम्बर 2013) कि भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दो वर्ष बाद किसी सीए की डीपीआर निष्पादन के लिए तैयार की जा सकती है, क्योंकि भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति और सीए के लिए निधि जारी करने में आमतौर पर दो वर्ष लगते हैं और तदनुसार कीमतें समायोजित की जा सकती हैं। बाद के वर्षों के लिए श्रम दर सालाना 10 प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए।

आठ वनमण्डलों²⁸ में 12 सीए परियोजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीसरे वर्ष (चालू वर्ष के बाद) को आधार वर्ष के रूप में रखने के बजाय चालू वर्ष को आधार वर्ष मानकर डीपीआर तैयार किए गए।
- श्रम दरों में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। तथापि, डीपीआर में श्रम के मूल्य वृद्धि के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और डीपीआर में पूरी अवधि के लिए श्रम लागत एक जैसी थी।

इस प्रकार, डीपीआर में लागत के गलत प्रावधान के कारण, ₹ 14.64 करोड़ की राशि प्रयोक्ता एजेंसियों से कम वसूल की गई जैसा कि परिशिष्ट 5.9 में वर्णित है।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि प्रकरणवार उत्तर प्रदान किया जाएगा।

प्रकरण में उत्तर/ आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.8.1.2 कैम्पा के तहत वनीकरण के लिए त्रुटिपूर्ण स्थल चयन

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा जारी (मई 2004) दिशानिर्देशों की पुस्तिका की कंडिका 2.4 में प्रावधान है कि सीए के प्रयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा चुनी गई किसी बिगड़े वन भूमि को एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा तभी स्वीकार किया जा सकता है जब क्षेत्र का कैनोपी घनत्व 40 प्रतिशत से कम हो। इसके अलावा, ट्रांसमिशन लाईनें बिछाने के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु मानक शर्तों के अनुसार, प्रयोक्ता एजेंसी ट्रांसमिशन लाईनों के नीचे 'राइट ऑफ वे' में बौने प्रजातियों (विशेषतः औषधीय पौधों) के रोपण के लिये एक विस्तृत योजना तैयार करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- चार वनमण्डलों²⁹ के अंतर्गत 11 परियोजनाओं में, वनमण्डलों द्वारा 18 विभिन्न स्थलों पर सीए वृक्षारोपण के लिए 875 हेक्टेयर वन भूमि का चयन किया गया था। अभिलेखों के प्रति सत्यापन में प्रकट हुआ कि इन स्थलों में कैनोपी घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक था। इस प्रकार, उसे अमान्य किया जाना था और किसी अन्य बिगड़े वन भूमि का चयन किया जाना था। संबंधित डीएफओ की ओर से वन की गुणवत्ता के सत्यापन में चूक के परिणामस्वरूप गलत स्थल का चयन हुआ। विवरण परिशिष्ट 5.10 में दिया गया है।

शासन ने उत्तर में कहा कि कुछ प्रकरणों में, 2016 से पहले 40 प्रतिशत से अधिक कैनोपी घनत्व वाले स्थलों का चयन किया गया था क्योंकि उस समय भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा

²⁷ कैम्पा के दिशा-निर्देशों की हैंडबुक।

²⁸ सिंगरौली, दक्षिण शहडोल, दक्षिण सागर, ग्वालियर, खण्डवा, छतरपुर, इंदौर, और रतलाम।

²⁹ अनूपपुर, सिंगरौली, होशंगाबाद और दक्षिण शहडोल।

सर्वेक्षण की प्रणाली मौजूद नहीं थी। हालाँकि, 2016 के बाद, ऐसे मामलों पर ध्यान दिया गया था क्योंकि वृक्षारोपण से पहले उचित सर्वेक्षण किया जाता है।

उत्तर गलत है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित त्रुटिपूर्ण स्थल चयन के सभी प्रकरण 2016 के बाद की अवधि से संबंधित हैं, जब पूर्व सर्वेक्षण की प्रणाली प्रचलन में थी।

- सिंगरौली वनमण्डल में, सीसीएफ, रीवा ने कुल ₹ 16.40 करोड़ की लागत से 300 हेक्टेयर क्षेत्र में आठ स्थलों पर सीए वृक्षारोपण को स्वीकृति दी (मई 2017)। फरवरी 2020 में, सीसीएफ, रीवा द्वारा स्वीकृति को रद्द कर दिया गया क्योंकि चयनित स्थलों पर या तो घने जंगल थे या अन्य योजनाओं के तहत वृक्षारोपण किया गया था। इसके बाद, सीसीएफ ने 200 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करने वाले पांच नए स्थलों पर सीए वृक्षारोपण को स्वीकृति दी (फरवरी 2020)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वनमण्डलों ने पहले ही तीन स्थलों पर वृक्षारोपण करने के लिए ₹ 1.51 करोड़ का व्यय किया था, जिसे रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, सीए वृक्षारोपण के लिए स्थलों का चयन करने से पहले उनकी गुणवत्ता/स्थिति को सत्यापित करने में वनमण्डलों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ की राशि का निष्फल व्यय हुआ।

उत्तर में शासन ने कहा (अक्टूबर 2022) कि पूर्व में चयनित स्थलों पर या तो घने वन थे या भूमि को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया गया था या भूमि को पहले से ही कुछ अन्य वृक्षारोपण योजनाओं में शामिल कर लिया गया था, इसलिए स्थलों को बदल दिया गया था। शासन ने आगे बताया कि इन स्थलों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गये अभिलेखों से यह प्रकट हुआ कि इन स्थलों पर ₹ 1.51 करोड़ का व्यय किया गया था।

- ग्वालियर वनमण्डल के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाईनें बिछाने की तीन परियोजनाओं में एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के स्वीकृत आदेश तथा वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति की मानक शर्तों का उल्लंघन करते हुए 'राइट ऑफ वे' पर ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे बौनी प्रजातियों का रोपण नहीं किया गया था। इस प्रकार, 'राइट ऑफ वे' पर हरित आवरण प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि प्रस्तावित स्थलों पर वृक्षारोपण किया जा चुका है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के उत्तर के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

5.9 प्रतिपूरक वनीकरण में किए गए वृक्षारोपण से संबंधित मुद्दे

5.9.1 लक्ष्य के विरुद्ध वृक्षारोपण में कमी

सीसीएफ (भू-सर्वेक्षण) ने सीए परियोजना के डीपीआर में प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 1600 पौधे लगाने के निर्देश (फरवरी 2002) जारी किए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वनमण्डलों में पांच सीए परियोजनाओं में, 201.08 हेक्टेयर (नौ स्थलों पर) के क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए डीपीआर तैयार किए गए थे। मानकों के अनुसार न्यूनतम 3,02,363 पौधे रोपे जाने थे, जबकि वनमण्डलों ने केवल 2,31,090 पौधे रोपे। इस प्रकार, 71,273 पौधों की कम रोपाई की गई जो इन स्थलों पर सीए परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन को बाधित कर सकता है। विवरण नीचे तालिका 5.4 में दिया गया है:

तालिका 5.4: वृक्षारोपण लक्ष्यों की कम प्राप्ति

परियोजना स्थल (वनमण्डल)	प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत क्षेत्र	पौधे लगाए जाने थे	वास्तव में लगाए गए पौधे
सिरसौद (ग्वालियर)	3.24	5,189	2,011
सिरसौद (ग्वालियर)	1	1,600	400
कसेरा (छतरपुर)	49.64	60,067 ³⁰	40,000
पी-1611 तथा पी -1612 (उत्तरी बैतूल)	49	78,400	54,439
टार-121, 158, 222 और 400 (उत्तरी बैतूल)	98.19	1,57,107	1,34,240
योग	201.08	3,02,363	2,31,090

(स्रोत: वन विभाग के अभिलेख)

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि कम पौधे रोपे गए क्योंकि वृक्षारोपण स्थल पहले ही रूट स्टॉक³¹ हो चुके हैं। ऐसे में प्रति हेक्टेयर 1600 पौधे लगाना संभव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रूटस्टॉक का मुद्दा केवल कसेरा परियोजना में था, जिसे वृक्षारोपण के लिए वार्षिक लक्ष्य की गणना करते समय लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही संज्ञान में लिया गया था।

5.9.2 प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण की विफलता

माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सितम्बर 2000) के आदेशों का ध्यान रखते हुए, सीसीएफ (भू- सर्वेक्षण) मध्य प्रदेश ने, सीए वृक्षारोपण के अंतर्गत न्यूनतम 75 प्रतिशत सर्वाइवल प्रतिशतता प्राप्त करने के लिए वनमण्डलों को निर्देश जारी किया था (फरवरी 2004)। निर्देश में यह भी कहा गया है कि 75 प्रतिशत से कम सर्वाइवल दर वाले वृक्षारोपण के मामले में नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी और तदनुसार गलती करने वाले अधिकारियों से यथानुपात आधार पर वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनूपपुर, उत्तरी सागर और ग्वालियर वनमण्डलों में प्रतिपूरक वनीकरण की पांच परियोजनाओं/वृक्षारोपण स्थलों को 2010-11 से 2014-15 के बीच शुरू किया गया था। रोपे गए 2,79,790 पौधों में से केवल 1,02,320 ही बच पाए। सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों की कमी के कारण इन परियोजनाओं में जीवित रहने की दर छह प्रतिशत से 61.90 प्रतिशत के बीच रही। इस प्रकार, वृक्षारोपण की निगरानी करने और उनके सफल प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में वनमण्डलों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 86.77 लाख की राशि का निष्फल व्यय हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि अनूपपुर में अत्यधिक ठंड के कारण पौधे प्रभावित हुए हैं। उत्तरी सागर में एक स्थल पर शेष राशि से पुनरीक्षित परियोजना द्वारा सुधार कार्य प्रारंभ किया गया है तथा अन्य स्थल पर अत्यधिक गर्मी के कारण औषधीय पौधे जीवित नहीं बच पाए। ग्वालियर वनमण्डल में एक स्थल पर आग लगने से वृक्षारोपण विफल हो गया था तथा अन्य स्थलों पर पौधों के जीवित रहने का प्रतिशत संतोषजनक था। शासन ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

की गई कार्रवाई का विवरण सूचित नहीं किया गया था (जनवरी 2023)।

³⁰ मापदंड के अनुसार 49.642 हेक्टेयर x 1600 पौधे = 79,427 पौधे लगाए जाने थे। हालांकि, कट बैक ऑपरेशन से प्रति हेक्टेयर 390 पौधे प्राप्त किए गए थे यानी 49.642 हे x 390=19,360 पौधे। इस प्रकार, वर्ष के लिए लक्ष्य 79,427-19,360=60,067 था।

³¹ रूटस्टॉक पौधे का एक हिस्सा होता है, जो प्रायः एक भूमिगत हिस्सा होता है, जिससे जमीन के ऊपर नए पौधे पैदा किये जा सकते हैं।

5.10 कैम्पा निधियों से अनियमित व्यय

5.10.1 खरपतवार उन्मूलन पर अनुचित व्यय

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की प्रबंधन योजना की कंडिका 6.3.2 में अन्य बातों के साथ-साथ पुर्नस्थापित गांवों में खरपतवारों के निवारण के लिए प्रावधान किया गया है। योजना में प्रावधानित था कि खरपतवारों का उन्मूलन तभी किया जाना चाहिए जब वे वन्यजीवों के रहवास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हों, अन्यथा नहीं। बाद के वर्षों में पुनरुत्थान की स्थिति निर्मित होने पर एक से दो वर्षों के लिए खरपतवार उन्मूलन को दोहराया जाना था।

लेखापरीक्षा ने नौरादेही वन्यजीव वनमण्डल में पाया कि आठ पुर्नस्थापित गांवों में घास के मैदानों के विकास और चीतल के लिए बाड़ हेतु डीपीआर तैयार किए गए थे (दिसंबर 2019 और जनवरी 2020)। डीपीआर में इन चयनित स्थलों पर खरपतवार उन्मूलन का एक ही कार्य प्रावधानित किया गया था। वनमण्डल ने प्रबंधन योजनाओं का उल्लंघन करते हुए एक वर्ष के भीतर कई बार खरपतवार उन्मूलन कार्य निष्पादित किया जैसा कि नीचे तालिका 5.5 में वर्णित है:

तालिका 5.5: निष्पादित किए गए विभिन्न कार्यों का कालक्रम

(₹ लाख में)

कार्य की प्रकृति	निष्पादन की अवधि	राशि
'उच्च घनत्व वाले खरपतवार' का उन्मूलन	दिसंबर 2019	9,43,704
'मध्यम घनत्व वाले खरपतवार' का उन्मूलन	जनवरी 2020	5,72,220
'कम घनत्व वाले खरपतवार' का उन्मूलन	फरवरी 2020	4,05,450
'लैंटाना और ब्रशवुड' का उन्मूलन	दिसंबर 2019 तथा जून 2020	17,20,485

चूंकि 'उच्च घनत्व खरपतवार उन्मूलन' कार्य में लैंटाना और ब्रशवुड सहित सभी प्रकार के खरपतवार शामिल थे, इसलिए मध्यम और निम्न घनत्व वाले खरपतवारों के साथ-साथ लैंटाना और ब्रशवुड के उन्मूलन पर किया गया व्यय अनावश्यक था और इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.98 लाख का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि उच्च घनत्व वाले खरपतवारों के उन्मूलन के बाद कुछ माह के भीतर ही उगे हुए/आंशिक रूप से उगने वाले खरपतवार दिखाई देने लगते हैं। इस कारण फिर से उन्मूलन की आवश्यकता पड़ती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसी स्थान को दिसंबर 2019 में 'उच्च घनत्व खरपतवार' से मुक्त किया गया था और उसके तुरंत बाद जनवरी 2020 और फरवरी 2020 में उसी प्रकार के कार्य के निष्पादन का अर्थ है कि 'उच्च घनत्व खरपतवार' उन्मूलन को अनुचित तरीके से निष्पादित किया गया था।

5.10.2 कैम्पा के तहत अपात्र गतिविधियों पर व्यय

राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (जनवरी 2015) की 5वीं बैठक की कार्यवाही के अनुसार, राज्य में सामान्य वन गतिविधि राज्य की अपनी योजना निधि से की जानी चाहिए तथा कार्यों की ऐसी मदों के संबंध में दायित्व को कैम्पा को स्थानांतरित करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। कैम्पा निधि से वाहन की खरीद, भवनों के निर्माण इत्यादि पर व्यय की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, राज्य कैम्पा दिशानिर्देश, 2009 की कण्डिका 12(3) के अनुसार, एनपीवी का उपयोग प्राकृतिक सहायता से पुनर्जनन, वन प्रबंधन, संरक्षण, बुनियादी संरचना के विकास, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, लकड़ी की आपूर्ति और अन्य वन उपज बचत उपकरणों तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सीईओ (कैम्पा) के अभिलेखों में पाया कि ₹ 167.83 करोड़ की धनराशि विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें से ₹ 53.29 करोड़ की राशि अप्रैल 2017 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान कैम्पा खाते से जारी की गई थी, जैसा कि नीचे तालिका 5.6 में वर्णित है:

तालिका 5.6: कैम्पा के तहत अपात्र गतिविधियों पर व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	गतिविधि	अवधि	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	किसको संवितरित की गई
1	वन भवन का निर्माण	फरवरी 2018	20.88	10	डीएफओ, भोपाल
2	वनों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम "अनुभूति"	नवम्बर 2017	6.08	5.88	71 वनमण्डल
3	नए भर्ती हुए परिक्षेत्र अधिकारियों और एसीएफ का प्रशिक्षण	2017-18	7.13	5.94	डीएफओ, भोपाल
4	कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना	2017-18 से 2018-19	120.30	20.20	विभिन्न वनमण्डल
5	वन स्टाफ का प्रशिक्षण	फरवरी 2019	5.00	4.87	विभिन्न वनमण्डल
6	एसफआरआई के अनुसंधान गतिविधि हेतु	2017-18 से 2019-20	6.47	4.59	एसएफआरआई, जबलपुर
7	बुनियादी संरचनाओं का विकास	2018-19 से 2019-20	1.97	1.81	एनडी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय
योग			167.83	53.29	

इस प्रकार, विभाग ने अपात्र गतिविधियों पर अनियमित रूप से ₹ 53.29 करोड़ का व्यय किया, जिसे सीए के लिए परिकल्पित किसी भी गतिविधि से जोड़ा नहीं जा सका और इसलिए कैम्पा निधि से नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.29 करोड़ की कैम्पा निधियों का दुरुपयोग और अनियमित व्यय हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि उक्त व्यय इस संबंध में जारी निदेशों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त गतिविधियों पर किया गया व्यय ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।

5.10.3 कैम्पा निधि का उपयोग कर वृक्षारोपण पर अनियमित व्यय

राष्ट्रीय कैम्पा ने संचालन की वार्षिक योजना का अनुमोदन करते हुए दोहराया (जून 2019) कि यदि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.व.वि.नि.) के प्रबंधन नियंत्रण के तहत वन को कैम्पा निधि के एनपीवी घटक से पुनर्जीवित किया जाना है, तो इसका प्रबंधन पारिस्थितिक बहाली के लिए किया जाना चाहिए न कि स्थानीय प्रजातियों का रोपण कर जंगल के व्यावसायिक दोहन के लिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (जनवरी 2015) की 5वीं बैठक की कार्यवाही के अनुसार, राज्य में सामान्य वन गतिविधि राज्य की अपनी योजना निधि द्वारा की जानी चाहिए और ऐसी मदों के संबंध में दायित्व को कैम्पा को स्थानांतरित करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने सी.ई.ओ (कैम्पा) और प्रबंध निदेशक, म.प्र.रा.व.वि.नि. के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया कि 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान, सी.ई.ओ (कैम्पा) ने पूर्व-नियोजित सागौन वृक्षारोपण के लिए म.प्र.रा.व.वि.नि. को एनपीवी निधि से ₹ 29.58 करोड़ प्रदान किया।

चूंकि सागौन का वृक्षारोपण एक व्यावसायिक गतिविधि थी और इस तरह के व्यावसायिक वृक्षारोपण पूरी तरह से सागौन उगाने के लिए किए गए थे, जिसे बाद में नीलामी के लिए कटवाया जाना था; सागौन के बागान उगाने के लिए कैम्पा निधियों का उपयोग अनियमित था।

यह भी पाया गया कि म.प्र.रा.व.वि.नि. को पांच वनमण्डलों³² के तहत 1,378.23 हेक्टेयर वन भूमि का प्रबंधन सौंपा गया था (जून 2019)। म.प्र.रा.व.वि.नि. ने वृक्षारोपण के लिए डीपीआर तैयार या प्रस्तुत नहीं किया (जून 2019), तथापि, सीईओ (कैम्पा) ने इन भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए एनपीवी निधि से

³² खण्डवा, इंदौर, देवास, विदिशा तथा रायसेन।

₹ 21.36 करोड़ स्थानांतरित किए (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक)। इस प्रकार, सीईओ (कैम्पा) द्वारा वृक्षारोपण के तौर-तरीकों को सुनिश्चित किए बिना निधियों का हस्तांतरण अनियमित था।

शासन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2022) कि सात वर्षों की परियोजना के लिए आरडीएफ³³ स्थलों पर सागौन के रोपण के लिए एनपीवी मद से म.प्र.रा.व.वि.नि. को धनराशि प्रदान की गई थी और उसके बाद वृक्षारोपण स्थलों को वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। म.प्र.रा.व.वि.नि. केवल पौधारोपण कार्य करने वाली एजेंसी है।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कैम्पा के विभिन्न दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कैम्पा निधि से सागौन रोपण पर अनियमित रूप से व्यय किया गया था।

5.11 निगरानी एवं मूल्यांकन

5.11.1 प्रतिपूरक वनीकरण पर संदिग्ध व्यय

वित्तीय औचित्य का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन से होने वाले व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतेगा, जितनी सामान्य विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतता है और व्यय प्रथम दृष्टया परिस्थिति की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

दक्षिण और उत्तरी सागर मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने कार्यों के निष्पादन के ऐसे दृष्टांत देखे, जिन्हें सामान्य विवेक से उचित नहीं ठहराया जा सकता था तथा विभागीय अधिकारियों की ओर से पर्याप्त निगरानी की कमी भी इंगित हुई थी। उदाहरणों पर चर्चा नीचे की गई है:

5.11.1.1 वृक्षारोपण पर संदेहास्पद व्यय

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने जल संसाधन विभाग के पक्ष में बीना संयुक्त सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए दक्षिण सागर में 1,024.44 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन को स्वीकृति दी (जुलाई 2018)। ₹ 18.61 करोड़ की परियोजना लागत से 257.26 हेक्टेयर बिगड़े वन भूमि पर (इस भूमि व्यपवर्तन के विरुद्ध) सीए का कार्य किया गया (सितंबर 2014)।

दक्षिण सागर वनमण्डल की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि डीपीआर में दो स्थलों (54-मुंडेरी और 111-सिंगपुर) पर 1,66,685 पौधे लगाने का प्रावधान था और उक्त को रोपित (अभिलेखों में) दिखाया गया था। हालांकि, उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2020) के दौरान, केवल 1,20,321 वृक्ष/पौधे (1,11,298 जीवित और 9,023 मृत पौधे) पाए गए। शेष 46,364 पौधे उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, वनमण्डल ने दावा किया कि बाद के वर्षों में मृत पौधों के स्थान पर 16,668 पौधे लगाए गए थे, जो सही नहीं था क्योंकि केवल 9,023 मृत पौधों के लिए प्रतिस्थापन प्रदान किया जाना था। इस प्रकार, 46,364 वृक्षारोपण और 7,645 वृक्षों/पौधों के प्रतिस्थापन पर किया गया व्यय ₹ 6.42 लाख संदिग्ध था।

इसके अलावा, वृक्षारोपण के तहत आने वाले क्षेत्र को 9,700 मीटर की परिधि से घेरा जाना था। तथापि, उपर्युक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (दिसंबर 2020), यह देखा गया कि बाड़ की माप 7,661 मीटर थी। चूंकि कार्य को 'पूर्ण रूप से निष्पादित' के रूप में दिखाया गया था, इसलिए अतिरिक्त 2,039 मीटर पर किए गए ₹ 11.60 लाख का व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

डीएफओ ने कहा (जनवरी 2021) कि वृक्षारोपण से संबंधित अनियमितताओं की जांच ए.पी.सी.सी.एफ. (संरक्षण) द्वारा की गई थी और रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी।

इस संबंध में आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (जनवरी 2023)।

³³ बिगड़े वनों का पुनरुद्धार।

5.11.1.2 विभिन्न कार्यों के लिए दोहरा भुगतान

उत्तरी सागर मण्डल के 12 प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 5.53 लाख की राशि मजदूरों को विभिन्न कार्यों, जैसे गड्ढे खोदने, पौधों के परिवहन, पौधों की सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति और सुरक्षा कार्य के लिए भुगतान की गई थी। गड्ढा खोदने की कार्य दर प्रति गड्ढा तीन के स्थान पर 3.8 मानव दिवस लगाया गया, पौधों के परिवहन में 1.8 के स्थान पर दो मानव दिवस लगाया गया, जलापूर्ति कार्य में डीपीआर में प्रावधानित 2,60,000 लीटर के विरुद्ध 9,24,000 लीटर पानी का परिवहन दिखाया गया एवं सुरक्षा कार्य में 45 मानव दिवस के स्थान पर 54 मानव दिवस का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.36 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 प्रकरणों में मजदूरों को गड्ढे खोदने, सीमेंट के खम्भे लगाने तथा वृक्षारोपण के लिए ₹ 4.85 लाख की राशि का भुगतान किया गया था (दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक)। वाउचर्स की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि 79 मजदूर दो अलग-अलग जगहों पर एक साथ काम कर रहे थे। इस प्रकार, कार्य का निष्पादन तथा भुगतान संदिग्ध थे और जवाबदेही तय करने के लिए जांच की आवश्यकता है।

शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.11.1.3 उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना भुगतान

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमावली, 2015 के अनुसार ₹ एक लाख से ₹ पाँच लाख तक मूल्य की वस्तुएँ सीमित निविदा आमंत्रण के माध्यम से क्रय की जानी आवश्यक है तथा ₹ पाँच लाख से अधिक की सामग्री हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जानी आवश्यक है। वित्तीय शक्तियों की पुस्तक, 1995 डीएफओ को ₹ 5 लाख और सी.सी.एफ. को ₹ 25 लाख तक तक के क्रय की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति तथा पीसीसीएफ को पूर्ण अधिकार प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने उत्तरी सागर मण्डल में पाया कि 308 प्रकरणों में 29,992.329 घन मी. खाद के क्रय के लिए ₹ 1.74 करोड़ का भुगतान किया गया और 584 प्रकरणों में 78,119.87 घन मी. मिट्टी के क्रय के लिए ₹ 3.53 करोड़ का भुगतान किया गया। वाउचर्स की जांच से निम्नलिखित प्रकट हुये:

- इन क्रयों के लिए निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं। मिट्टी क्रय से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा मिट्टी का क्रय मूल्य ₹ 200 प्रति घन मी. निर्धारित किया गया था। उप-वनमण्डल अधिकारियों ने डीएफओ को सूचित किया (नवंबर 2019) कि ₹ 200 प्रति घन मी. की दर से मिट्टी उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय, वनमण्डल ने क्रय दर को तदर्थ आधार पर ₹ 445 प्रति घन मी. तक बढ़ा दिया/संशोधित कर दिया। तथापि, मिट्टी का क्रय ₹ 451.72 प्रति घन मी. की औसत दर तथा ₹ 42.70 प्रति घन मी. से ₹ 1,000 प्रति घन मी. तक के बीच विभिन्न दरों पर किया गया।
- क्रय की मात्रा की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि आपूर्तिकर्ता के बिलों के साथ वाउचर नहीं थे। इसके अलावा, वनमण्डल ने न तो रोपण स्थल और न ही क्रय की गई मिट्टी का परीक्षण किया। इस प्रकार, खाद और मिट्टी के क्रय की आवश्यकता तथा गुणवत्ता वैज्ञानिक रूप से सुनिश्चित नहीं की गई थी।
- उपरोक्त 584 प्रकरणों में से चार में (मिट्टी क्रय से संबंधित), वाउचर्स में दिखाए गए वाहन नंबर दोपहिया वाहनों के थे। इस प्रकार 549 घन मी. मिट्टी (₹ 2.30 लाख³⁴ के व्यय पर) का क्रय संदेहास्पद था तथा विभाग द्वारा इसकी और जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- भुगतान की गई राशि के समर्थन में किए गए कार्य के बिल किसी भी वाउचर के साथ संलग्न नहीं थे, इस प्रकार, वास्तविक आपूर्तिकर्ता को भुगतान की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। 264 प्रकरणों में, मिट्टी और खाद की आपूर्ति, पौधों को पानी देना तथा ट्रैक्टरों से पौधों के परिवहन जैसे कार्य में लगे विभिन्न व्यक्तियों को ₹ 1.48 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया

³⁴ ₹ 190 प्रति घन मी. की दर से 25 घन मी. तथा ₹ 430 घन मी. की दर से 524 घन मी.।

था। भुगतान के वाउचर्स में स्पष्ट दर्शाया गया था कि काम, वेंडर ने अपने ट्रैक्टर का उपयोग करके ही किया था। हालाँकि, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, ये वाहन क्रमांक (वेंडर्स के द्वारा उपयोग करना दर्शाया गया) वास्तव में अन्य व्यक्तियों के थे। इस प्रकार, विक्रेताओं ने परिवहन के अपने दावे के समर्थन में गलत वाहन के विवरण का उपयोग किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वास्तविक आपूर्ति सत्यापित नहीं की गई थी और भुगतान अनियमित रूप से जारी किया गया था।

डी.एफ.ओ. ने उत्तर में कहा (मार्च 2021) कि डी.एफ.ओ. द्वारा स्वीकृत निविदा दरों के आधार पर स्थानीय बाजार से खाद का क्रय किया गया था और मिट्टी का क्रय 'कार्य अध्ययन' के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग खुली निविदा का सहारा नहीं लेने का उचित कारण नहीं बता सका। इसके अलावा, नियमों में दरों को तय करने के 'कार्य अध्ययन' जैसी कोई विधि निर्धारित नहीं की गई है। क्रय प्रक्रिया में अन्य प्रक्रियात्मक चूकों पर भी उत्तर मौन था।

5.11.2 निधि प्रबंधन और क्रय में अनियमितताएँ

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता, खण्ड-1 की संहिता 9 एवं 10 के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह जनता के धन से होने वाले व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतेगा, जितनी सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्बन्ध में बरतता है। हमने विभिन्न अनियमितताओं को देखा जो नीचे वर्णित हैं:

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 में प्रावधान है कि, केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम को सरकार (अर्थात् राज्य और केंद्र सरकार) को देय किसी भी राशि से किसी भी व्यक्ति द्वारा कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

सीईओ, कैम्पा की लेखापरीक्षा के दौरान, सात प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने पाया कि, बैंकों ने कैम्पा खातों से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में ₹ 25.57 लाख की कटौती की और विभाग द्वारा इसका दावा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप सीए निधि में कमी हुई।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि बैंक के साथ पत्र-व्यवहार प्रक्रियाधीन है।

हालांकि, शासन ने इसका उत्तर नहीं दिया (जनवरी 2023)।

- राज्य से, 21 जनवरी 2019 तक, कुल ₹ 4,998.01 करोड़ राष्ट्रीय कैम्पा को हस्तांतरित किए गए थे। हालांकि, दिसंबर 2018 तक, राज्य कैम्पा द्वारा राष्ट्रीय कैम्पा के अभिलेखों के साथ किए गए पुनर्मिलान के दौरान ₹ 425.56 करोड़ की विसंगति मिली थी। राष्ट्रीय कैम्पा को धन हस्तांतरित करने के बाद समय पर पुनर्मिलान का अभाव, निधि प्रबंधन के प्रति राज्य कैम्पा प्रबंधन के लापरवाह रवैये को दर्शाता है।

सीईओ (कैम्पा) ने कहा (सितंबर 2021) कि दिसंबर 2020 में पुनर्मिलान कर लिया गया था। पुनर्मिलान के आधार पर, ₹ 83.38 करोड़ का अंतर अभी भी बना हुआ है।

निकास सम्मेलन में पीसीसीएफ (कैम्पा तथा भू-प्रबंधन) ने बताया (मई 2022) कि राष्ट्रीय कैम्पा से पुनर्मिलान चल रहा है।

इस संबंध में अग्रेत्तर प्रगति से अवगत नहीं करवाया गया है (जनवरी 2023)।

- अनूपपुर एवं दक्षिण सागर वनमण्डलों में 2017-20 के दौरान 32 बाँधों एवं 13 भवनों के निर्माण के प्राक्कलन तैयार कर विभागीय रूप से निष्पादित किये गये थे। ये प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार तैयार किए गए थे। हालांकि, दरों में 10 प्रतिशत की कटौती वांछित थी क्योंकि लो.नि.वि. ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण एस.ओ.आर. की सभी मदों की दरों में 10 प्रतिशत की कमी (अगस्त 2017)

की थी। इसे प्राक्कलनों में शामिल नहीं किया गया था और कार्यों को पूर्व-संशोधित लागतों पर निष्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.05 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

डीएफओ ने उत्तर में कहा (दिसंबर 2020 और जनवरी 2021) कि लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के आधार पर तैयार किए गए प्राक्कलन अनुमोदित किए गए थे और उनके आधार पर कार्य निष्पादित किए गए थे।

पीडब्ल्यूडी के निर्देशों में बताई गई कटौती न करने पर उत्तर मौन है (अगस्त 2017)।

- मध्य प्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमावली, 2015 के अनुसार ₹ एक लाख से ₹ पाँच लाख तक मूल्य की वस्तुएँ सीमित निविदा आमंत्रण द्वारा एवं ₹ पाँच लाख से अधिक मूल्य की वस्तुओं हेतु खुली निविदा आमंत्रित करना आवश्यक है। वित्तीय अधिकार पुस्तिका, 1995 डीएफओ को ₹ 5 लाख तक के क्रय और सीसीएफ को ₹ 25 लाख तक के क्रय की स्वीकृति प्रदान करने तथा पीसीसीएफ को पूर्ण अधिकार प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा ने पांच वनमण्डलों में पाया कि कैम्पा के अंतर्गत गतिविधियों के लिए ₹ 11.70 लाख से ₹ 5.31 करोड़ तक की राशि से वस्तुओं जैसे सीमेंट, गिट, बालू, कंप्यूटर, इत्यादि का क्रय किया गया था। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी। साथ ही, ₹ 11.70 लाख से ₹ 2.35 करोड़ तक के मूल्य के आठ क्रय आदेशों के लिए भी निविदाएं आमंत्रित नहीं की गईं। विवरण परिशिष्ट 5.11 में दिया गया है।

इसके अलावा, दो प्रकरणों में ₹ 13.13 लाख और ₹ 38.56 लाख का क्रय क्रमशः आठ और 13 आदेशों में विभाजित कर किया गया था। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति को टाला गया था।

डीएफओ ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2020 से जनवरी 2021) कहा कि सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और भविष्य में प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

प्रकरण में आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (जनवरी 2023)।

5.11.3 कैम्पा निधियों के प्रबंधन के लिए पृथक् बैंक खाते का संधारण न करना

एम.ओ.एफ.सी.सी. के द्वारा जारी (मई 2004) दिशानिर्देशों की पुस्तिका की कण्डिका 3.5 के अनुसार, वन विभाग, या कोई अन्य तकनीकी रूप से सक्षम एजेंसी जिसे सीए का काम सौंपा गया है, को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए राशि का पूरा उपयोग करना चाहिए और इसका पृथक् से और त्रुटिहीन खाता रखना चाहिए। पीसीसीएफ (कैम्पा) ने म.प्र.रा.व.वि.नि. को सीए निधि से लेनदेन के लिए एक पृथक् सिस्टर अकाउंट खोलने का निर्देश दिया (जून 2017 और मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा ने म.प्र.रा.व.वि.नि. की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि वन विभाग ने जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक कैम्पा के तहत प्राप्त धन से म.प्र.रा.व.वि.नि. को ₹ 23.22 करोड़ की राशि प्रदान की। हालांकि, म.प्र.रा.व.वि.नि. ने पृथक् खाता अगस्त 2019 में खोला। इस प्रकार, जुलाई 2017 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान यह राशि म.प्र.रा.व.वि.नि. के कॉमन अकाउंट में जमा की गई थी। चूंकि कैम्पा निधियों पर ब्याज का उपयोग उसके तहत आने वाली गतिविधियों के लिए किया जाना था, पृथक् खाते के अभाव में, अर्जित ब्याज की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी और इसलिए उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

शासन का उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2023)।

5.11.4 अभिलेखों का अद्यतन/संधारण न करना

गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की निगरानी तथा पर्यावरण और वन की पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किए गए शमन उपायों की प्रगति की निगरानी के लिए भौतिक या डिजिटल प्रारूप में अभिलेखों का संधारण आवश्यक है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

5.11.4.1 संचालन की वार्षिक योजना प्रस्तुत न करना

कैम्पा के दिशानिर्देशों, 2009 की कण्डिका 10(3) के अनुसार अनुमोदित वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) के अनुसार कार्य किये जायेंगे तथा कैम्पा नियमावली, 2018 के नियम 33 के अनुसार शासी निकाय द्वारा तैयार और अनुमोदित एपीओ के आधार पर राज्य प्राधिकरण अगले वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट तैयार करेंगे।

लेखापरीक्षा ने सीईओ (कैम्पा) के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया कि संचालन की वार्षिक योजना, कैम्पा नियमावली, 2018 में परिकल्पित अनुसार तैयार नहीं की गई थी। स्वीकृत कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए तंत्र भी मौजूद नहीं था। इस प्रकार निष्पादित कार्यों पर शासी निकाय की निगरानी प्रणाली का अभाव था।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि दिशानिर्देशों के अनुसार एपीओ तैयार किए जा रहे हैं।

हालांकि, लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे (जनवरी 2023)।

5.11.4.2 वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन न करना

राज्य कैम्पा दिशानिर्देश, 2009, शासी निकाय, संचालन समिति और राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के लिए विभिन्न कर्तव्यों का प्रावधान करते हैं जैसे कि व्यापक नीतिगत संरचना तैयार करना, निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी करना और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन तथा कार्यान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

लेखापरीक्षा ने सीईओ (कैम्पा) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया कि कार्यान्वयन एजेंसी स्तर पर खाते के संधारण के लिए संहिता तैयार नहीं की गई थी। वार्षिक प्रतिवेदन अवधारणा अनुसार तैयार नहीं किए गए थे। सीए निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विनियमन और प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया गया था। कैम्पा के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को 2016-17³⁵ से शासी निकाय को प्रस्तुत नहीं किया गया था। वार्षिक विवरण, 2016-17 सीईओ (कैम्पा) द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।

सीईओ (कैम्पा) ने उत्तर में कहा (जुलाई 2021) कि सीएएफ अधिनियम, 2016 के अनुसार 2019-20 तक की वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे।

तथ्य यह है कि लेखाओं के संधारण और लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के लिए संहिता तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। देरी के कारणों को दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था 2016-17 के पश्चात् कोई वार्षिक विवरण अनुमोदित नहीं किया गया था।

³⁵

वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार और लेखापरीक्षित किए गए थे तथा सितंबर 2018 में प्रस्तुत किए गए थे।

5.11.4.3 सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्राप्त न होना

एम.ओ.एफ.सी.सी. द्वारा जारी दिशानिर्देशों (जनवरी 2014) के अनुसार, प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी जिसके पक्ष में वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित किया गया है, एफसीए, 1980 के तहत दिए गए प्रत्येक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी में एक वार्षिक सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करेगी। नोडल अधिकारी, एफसीए, 1980 सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्ट उस वर्ष की जुलाई तक टिप्पणियों के साथ एम.ओ.एफ.सी.सी. को अग्रेषित करेगा।

लेखापरीक्षा ने 13 वनमण्डलों में पाया कि गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के 678 प्रकरणों में प्रयोक्ता एजेंसियों से वनमण्डलों द्वारा सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी। संबंधित नोडल अधिकारी ने अनुपालन न करने पर डीएफओ या प्रयोक्ता एजेंसियों के विरुद्ध इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। यह वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हुए नुकसान की बहाली के प्रति अकुशल निगरानी और उदासीनता को दर्शाता है।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि सभी संबंधितों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

इस संबंध में अग्रेत्तर प्रगति से अवगत नहीं करवाया गया (जनवरी 2023)।

5.11.4.4 ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर आंकड़ों का अद्यतन न करना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (जुलाई 2009) के तहत एम.ओ.एफ.सी.सी. द्वारा जारी (जुलाई 2009) राज्य कैम्पा दिशानिर्देशों की कण्डिका 17(1) के अनुपालन में एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली 'ई-ग्रीन वॉच' विकसित की गई थी जो वास्तविक समय में डेटा प्रस्तुत करता है, जो बड़े पैमाने पर सभी हितधारकों और जनता के लिए सुलभ है। यह स्वतंत्र संगठनों के शोधकर्ताओं और जनता द्वारा निगरानी, मूल्यांकन, सामाजिक एवं पारिस्थितिक लेखापरीक्षा की अनुमति देता है।

लेखापरीक्षा ने छः वनमण्डलों में पाया कि वन भूमि के व्यपवर्तन के 311 प्रकरण थे जिनमें से केवल 77 प्रकरणों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया गया था। हांलाकि, किसी भी प्रकरण में पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किया गया था और ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अनुपलब्ध थी।

इसके अतिरिक्त, 2017-20 के दौरान विभिन्न कार्यों (425 कार्यों) के लिए सात वनमण्डलों को प्रतिपूरक वनीकरण निधि से ₹ 172.67 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके विरुद्ध वनमण्डलों द्वारा ई-ग्रीन वॉच पर मात्र 243 कार्यों के संबंध में प्रविष्टियां अपलोड की गई थीं। इन प्रविष्टियों में पोर्टल पर पूरा विवरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार, वनमण्डल कैम्पा के माध्यम से क्रियान्वित कार्यों के समवर्ती निगरानी एवं मूल्यांकन को समर्थ बनाने के लिए डाटा प्रदान करने में विफल रहे, जिससे इस प्रणाली की उपयोगिता वस्तुतः कम हो गई। विवरण **परिशिष्ट 5.12** में दिया गया है।

निकास सम्मेलन में, पीसीसीएफ (एलएम और कैम्पा) ने कहा (मई 2022) कि सभी आवश्यक डेटा भरने में तकनीकी समस्याएं थीं। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से भी इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का अनुरोध किया गया था। विभाग ने आगे कहा कि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल का दूसरा संस्करण लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें सभी कमियों को दूर किया जाएगा।


इस संबंध में अग्रेत्तर प्रगति से अवगत नहीं करवाया गया (जनवरी 2023)।

5.12 निष्कर्ष

कैम्पा निधियों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मुद्दों/ कमियों का पता चला:


- गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित कमियां जैसे प्रक्रियाओं का पालन न करना, और व्यपवर्तित वन भूमि के बदले में भूमि की प्राप्ति न होना, शुद्ध वर्तमान मूल्य की निधि की कम वसूली, प्रतिपूरक वनीकरण, इत्यादि।
- कैम्पा निधि से क्रियान्वित गतिविधियों में विसंगतियों के परिणामस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण में विलम्ब/गैर-निष्पादन, त्रुटिपूर्ण डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, गलत स्थल चयन, वृक्षारोपण में कमियां, वृक्षारोपण की विफलता, अनुचित और अपात्र गतिविधियों पर व्यय, निधियों का कम/उपयोग न करना, इत्यादि।
- विभाग की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण प्रणाली शिथिल थी, जिसके परिणामस्वरूप संदिग्ध व्यय, निधि प्रबंधन और क्रय, इत्यादि में अनियमितताएं हुईं।

भोपाल
दिनांक: 28 मार्च 2023


(प्रिया पारिख)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-द्वितीय)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 31 मार्च 2023


(गिरीश चन्द्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(कांडिका 1.6.4 में संदर्भित)
लोक लेखा समिति द्वारा जारी सिफारिश प्रतिवेदनों की सूची जिनके संबंध में विभाग द्वारा कार्यान्वयन लंबित है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कांडिका क्रमांक	कुल कांडिकाएँ	
वित्त विभाग						
2006-07	चतुर्दश	2015-16	70	7.2	01	
					कुल	01
लोक निर्माण विभाग						
2003-04	चतुर्दश	2015-16	49	4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3	04	
2004-05	चतुर्दश	2015-16	52	3.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.5.3	04	
2005-06	चतुर्दश	2016-17	360	3.7, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7	04	
2006-07	चतुर्दश	2016-17	366	4.2.8, 4.2.9, 4.5.4	03	
2007-08	चतुर्दश	2017-18	435	4.5.4	01	
2008-09	चतुर्दश	2017-18	1	1.2, 2.2.6, 2.2.7	03	
2010-11	चतुर्दश	2016-17	375	3.4.3	01	
2011-12	चतुर्दश	2017-18	466	2.1	01	
					कुल	21
वन विभाग						
2006-07	चतुर्दश	2016-17	365	3.2	01	
2010-11	चतुर्दश	2015-16	83	9.6	01	
					कुल	02
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग						
2005-06	चतुर्दश	—	364	4.1.3, 4.2.3, 4.3.4, 4.6.4	04	
2006-07	चतुर्दश	2016-17	367	4.1.1	01	

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कंडिका क्रमांक	कुल कंडिकाएं
2012-13	चतुर्दश	-	454	201	01
कुल 06					
नगरीय विकास और आवास विभाग					
2008-09	चतुर्दश	2017-18	438	2.2.10	01
2009-10	चतुर्दश	2017-18	442	2.1.7	01
2013-14	चतुर्दश	-	457	2.1, 3.2.1	02
कुल 04					
संस्कृति विभाग					
2011-12	चतुर्दश	2017-18	449	3.2 (3.2.6.1, 3.2.7.1, 3.2.7.3, 3.2.7.6, 3.2.7.7, 3.2.7.8, 3.2.8.1, 3.2.8.2, 3.2.8.3, 3.2.8.4, 3.2.8.5, 3.2.8.6, 3.2.8.7, 3.2.8.9, 3.2.8.10, 3.2.8.11, 3.2.8.12)	01
कुल 01					
महायोग 35					

परिशिष्ट 1.2
(कड़िका 1.6.5 में संदर्भित)

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा जारी सिफारिश प्रतिवेदनों की सूची जिनके संबंध में विभागों द्वारा कार्यान्वयन लंबित है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कड़िका क्रमांक
1999-00	त्रयोदश	51	13, 17, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 67, 70, 74, 78, 82, 86, 89, 101, 105, 108, 111, 114		25
2003-04	चतुर्दश	91	4, 8, 12, 16		4
2004-05	त्रयोदश	133	41, 53		2
2004-05	चतुर्दश	107	7, 10, 22, 37, 49, 56		6
2004-05	चतुर्दश	105	7, 22, 30, 37, 53, 65, 73, 91, 102		9
2004-05	चतुर्दश	106	10, 24, 45, 61, 77, 91, 99		7
2005-06	त्रयोदश	150	4		1
2005-06	चतुर्दश	34	12, 16		2
2007-08	चतुर्दश	4	18, 36, 58		3
2010-11	चतुर्दश	68	4		1
2010-11	चतुर्दश	67	4		1
2012-13	चतुर्दश	157	4		1
2012-13	चतुर्दश	156	4, 8		2
2013-14	पंचदश	6	4		1
2013-14	पंचदश	18	34, 38, 42, 45		4
2015-16	पंचदश	8	4		1
				कुल	70
ऊर्जा विभाग					
2000-01	चतुर्दश	48	62		1
2001-02	चतुर्दश	102	13, 25, 39, 47, 51, 55, 59, 70, 74, 86		10
2009-10	चतुर्दश	113	4		1

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा सभिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कड़िका क्रमांक
2009-10	चतुर्दश	127	4	1
2009-10	चतुर्दश	145	4	1
2010-11	चतुर्दश	146	12, 32, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 84, 88	10
2010-11	चतुर्दश	154	16, 32, 40, 47, 51, 58, 62, 66, 77, 89, 105, 109	12
2010-11	चतुर्दश	114	4	1
2011-12	चतुर्दश	133	4	1
2011-12	चतुर्दश	155	14, 18, 25, 29, 36, 40, 44, 48, 59, 69, 76, 83, 96, 122	14
कुल				52
वित्त विभाग				
1973-74	पंचम	8	2, 8	2
1986-87	एकादश	2	31, 35, 55, 66, 79	5
1987-88	एकादश	109	10, 16, 21	3
2005-06	चतुर्दश	110	25, 29, 33, 37, 41, 53, 60, 64, 76, 80, 84, 88, 100, 115	14
2010-11	चतुर्दश	128	27, 34, 42, 46, 72, 76, 88, 92	8
कुल				32
नगरीय विकास और आवास विभाग				
2010-11	चतुर्दश	81	4	1
कुल				1
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
2014-15	पंचदश	7	4, 8	2
कुल				2
महायोग				157

परिशिष्ट 2.1
(कांडिका 2.5.1 में संदर्भित)
एन.डी.बी. कार्यों हेतु निधियों के आवंटन में कमी

स. क्र.	संभाग का नाम	पैकेज संख्या	अनुबंध राशि	बाज्यर सं./दिनांक	आर.ए बिल राशि	निधियों की कमी के कारण सेकी गई राशि	सेकी गई राशि का प्रतिशत	विमुक्त राशि	संवधी	भुगतान में विलंब (माह में)	फ्लट दर से तीन प्रतिशत अधिक की दर पर वित्तीय शुल्क (₹ लाख में)
1	कायं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., उज्जैन	1	15,168.37	66/21.01.20 18/09.03.20 07/28.04.20 36/21.05.20 122/31.07.20 28/24.08.20 57/07.11.20 115/29.01.21 123/28.03.21 145/31.03.21 27/29.04.21 74/28.05.21 120/28.06.21	7,76,68,546 8,89,08,561 7,48,69,757 4,16,46,624 4,94,81,826 0 6,40,11,258 9,21,84,546 6,23,95,938 6,26,40,228 12,58,39,509 8,61,06,947 13,68,96,561 8,24,03,684	4,66,07,900 4,95,28,881 4,95,69,757 1,33,06,057 4,08,95,879 0 3,93,66,924 35,85,041 2,21,95,938 0 9,20,39,504 0 9,76,27,843 0	60 52 66 32 82 0 61 47 36 0 73 0 71 0	0 0 0 0 0 3,11,21,764 0 0 0 1,29,74,772 0 8,59,50,000 5,82,62,635 6,67,70,562 8,93,99,326 0 1,30,05,215 0 0 0 1,01,12,000 2,28,99,536 1,94,67,086 0 0 0	6 4 3 2 0 6 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 3 1 0 0 0	18,28,451 12,87,036 9,62,969 1,71,774 0 12,20,922 7,64,763 23,066 0 1,67,497 0 5,53,005 11,31,842 0 3,20,398 0 83,676 0 12,49,988 46,901 1,17,110 0 0 0	
2	कायं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., खरगौन	6	20,732.32	10/07.03.20 11/28.04.20 43/21.05.20 120/31.07.20 22/24.08.20 83/31.08.20 —/28.10.20 59/22.11.20 106/23.01.21 /24.02.21 /10.05.21 /01.06.21	13,68,96,561 8,24,03,684 -3,88,98,325 5,81,10,098 8,61,50,316 6,80,06,155 5,91,67,459 5,32,57,264 4,76,07,324 5,68,52,643 17,73,218 0	9,76,27,843 0 4,97,97,399 0 1,30,05,215 0 0 3,18,62,662 24,14,253 1,82,01,707 0 0	71 0 0 15 60 5 32 0 0 0	0 6,67,70,562 8,93,99,326 -87,44,646 -87,44,646 0 1,30,05,215 0 0 0 1,01,12,000 2,28,99,536 1,94,67,086 0 0 0	0 0 1 0 0 1 0 6 3 1 0 0	0 0 3,20,398 0 0 83,676 0 12,49,988 46,901 1,17,110 0 0	
3	कायं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., ग्वालियर	9	16,053.99	121/23.06.21 62/21.01.2020 112/20.03.2020 38/30.04.2020	10,00,08,415 1,87,90,654 0 0	6,00,05,415 36,70,654 0 0	60 19.53 0 0	0 0 0 1,53,00,000	0 0 0 4,83,76,069	0 0 0 2	0 0 3,78,178 7,74,637 1,97,515

स. क्र.	संभागा का नाम	पैकेज संख्या	अनुबंध राशि	बाज्यर सं. /दिनांक	आर.ए बिल राशि	निधियों की कमी के कारण सेकी गई राशि	सेकी गई राशि का प्रतिशत	विमुक्त राशि	संचयी	भुगतान में विलंब (माह में)	छूट दर से तीन प्रतिशत अधिक की दर पर वित्तीय शुल्क (₹ लाख में)	
4	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., विदिशा	12	13,924.74	40 / 21.05.2020	7,02,00,902	5,11,00,902	72.79				0	
				115 / 31.07.2020	10,90,51,205	0	0	71,02,739	9,23,74,232	0	0	
				27 / 24.08.2020	0	0	0	7,02,96,791	2,20,77,441	0	0	
				84 / 31.08.2020	8,30,23,745	0	0	0	2,20,77,441	0	0	
				17 / 16.09.2020	3,56,58,935	0	0	0	0	0	0	
				54 / 29.10.2020	7,15,61,495	3,57,80,747	50			0	0	
				55 / 07.11.2020	18,25,74,281	9,85,07,594	53.95					0
				121 / 29.01.2021	18,01,25,528	0	0	2,73,37,875	10,69,50,466	3	5,31,081	
				128 / 28.03.2021	18,12,73,626	6,77,47,226	37.37					4,35,888
				1 / 04.05.2021	5,80,60,572	0	0	1,84,24,942	15,62,72,750	0	0	
				81 / 28.05.2021	13,34,92,240	0	0	3,86,09,760	11,76,62,990	0	0	
				130 / 29.06.2021	0	0	0	11,76,62,991	-1	3	0	
				63 / 21.01.2020	6,11,38,121	3,66,80,495	60					14,38,994
80 / 24.01.2020	11,32,20,660	6,79,32,660	60					26,65,031				
16 / 9.03.2020	5,58,91,022	1,06,44,622	19					68,488				
10 / 28.04.2020	5,42,66,400	2,92,66,400	54					0				
50 / 21.05.2020	0	0	0					1,44,122				
124 / 31.07.2020	8,48,71,976	0	0	2,24,00,000	12,21,24,177	1	0					
24 / 24.08.2020	0	0	0	3,93,28,024	8,27,96,153	0	0					
75 / 11.11.2020	5,25,69,622	2,66,17,336	51					28,93,128				
123 / 29.01.2021	11,83,85,392	90,76,552	8					6,91,667				
126 / 28.03.2021	18,35,35,152	11,80,14,062	64					1,17,173				
29.04.2021	0	0	0					0				
83 / 28.05.2021	0	0	0	3,34,20,000	22,49,48,207	0	0					
21.01.2020	10,94,87,266	6,73,48,626	61.51					27,20,476				
13.03.2020	12,83,21,386	10,45,84,776	81.5					13,08,351				
28.04.2020	9,99,26,770	3,90,65,340	39.09					6,72,902				
21.05.2020	0	0	0					0				
31.07.2020	8,93,10,859	0	0	3,92,36,861	17,17,61,881	1	2,52,451					
24.08.2020	0	0	0	9,50,05,453	7,67,56,428	0	0					
16.09.2020	5,62,06,299	0	0	6,23,94,577	1,43,61,851	0	0					
09.11.2020	16,23,87,411	9,48,88,969	58.43					0				
28.01.2021	14,19,44,469	0	0	3,43,80,528	6,05,08,441	3	6,67,895					
30.01.2021	0	98,97,246	—					1,27,768				
28.03.2021	14,44,51,876	10,08,87,773	69.84					0				
29.04.2021	0	0	0	3,96,04,032	13,16,89,428	0	0					
27.05.2021	8,84,35,786	3,14,36,318	35.55					0				

स. क्र.	संभाप का नाम	पैकेज संख्या	अनुबंध राशि	बादकर सं. /दिनांक	आर.ए बिल राशि	निधियों की कमी के कारण रोकी गई राशि	रोकी गई राशि का प्रतिशत	विमुक्त राशि	सचयी	भुगतान में विलंब (माह में)	छूट दर से तीन प्रतिशत अधिक की दर पर वित्तीय शुल्क (₹ लाख में)
				28.05.2021	0	0	0	7,48,20,000	8,83,05,746	0	0
				29.06.2021	6,57,67,568	0	0	8,83,05,746	0	0	0
6	का.सं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., छिंदवाड़ा	18	19,688.69	64/21.01.20	12,27,88,318	7,35,38,630	60	0	0	2	9,49,344
				12/09.03.20	12,08,39,560	8,12,28,821	67	0	0	0	0
				34/30.04.20	1,56,80,261	0	0	4,05,00,000	11,42,67,451	2	5,22,833
				56/21.05.20	15,26,79,589	12,08,94,890	79	0	0	1	7,77,841
				113/31.07.20	18,80,23,407	0	0	10,62,00,493	12,89,61,848	0	0
				19/24.08.20	-4,79,76,962	0	0	9,84,42,521	3,05,19,327	0	0
				82/31.08.20	2,52,462	0	0	3,05,19,327	0	0	0
				20/19.09.20	2,25,93,160	0	0	0	0	0	0
				—/19.10.20	12,36,33,593	6,59,34,513	53	0	0	6	25,86,643
				122/19.01.21	15,92,83,426	64,04,823	4	0	0	3	1,24,424
				132/28.03.21	12,04,01,537	6,55,63,573	54	0	0	1	4,21,838
				08/05.05.21	6,59,67,127	0	0	6,56,44,751	7,22,58,158	0	0
				61/27.05.21	2,88,28,079	38,03,341	14	0	0	0	0
				72/28.05.21	82,87,679	0	0	3,46,12,000	4,14,49,499	0	0
				128/29.06.21	6,60,19,226	0	0	4,14,49,499	0	0	0
7	का.सं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., उमरिया	19	5,630.57	71/21.01.2020	3,40,01,877	1,96,24,339	57.72	0	0	2	2,53,340
				13/09.03.2020	4,35,05,585	2,54,26,892	58.45	0	0	0	0
				35/30.04.2020	0	0	0	1,18,00,000	3,32,51,231	0	0
				41/21.05.2020	3,12,65,677	2,09,20,465	66.91	0	0	1	1,34,603
				108/31.07.2020	4,09,31,961	0	0	69,91,091	4,71,80,605	0	0
				23/20.08.2020	0	0	0	3,59,04,440	1,12,76,165	0	0
				45/30.09.2020	98,60,890	0	0	1,12,76,165	0	0	0
				116/29.01.2021	5,14,65,636	1,46,19,647	28.41	0	0	3	2,84,009
				131/28.03.2021	13,82,49,612	7,27,41,818	52.62	0	0	1	4,68,023
				26/29.04.2021	5,20,98,771	5,20,98,771 ¹	100	0	0	0	0
				62/27.05.2021	1,38,38,347	0	0	2,80,89,653	12,33,47,816	0	0
				70/28.05.2021	0	0	0	5,65,75,000	6,67,72,816	0	0
				117/28.06.2021	4,02,93,627	0	0	6,67,72,816	0	0	0
	योग		1,06,559.49		6,07,38,32,215	2,25,59,59,196		2,05,13,02,135			3,31,48,559

¹ वास्तव में रोकी गई राशि ₹ 6,40,76,004 थी, जिसमें से ₹ 1,19,77,233 पिछले बिलों से संबंधित थी।

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.6.2 में संदर्भित)

बैंकफिलिंग के निष्पादन और प्रावधान में अनियमितता

स. क्र.	संभाग का नाम	पैकेज स.	निष्पादित मात्रा	दर	राशि (₹ लाख में)
1	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., उमरिया	19	6,081.99	792	48.17
2	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., डिंडोरी	17	21,197.14	400	84.79
3	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., खरगौन	6	18,121.56	700	126.85
4	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., ग्वालियर	9	6,947.77	930	64.61
5	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., छिंदवाड़ा	18	6,588.01	510	33.60
	योग		58,936.47		358.02

परिशिष्ट 2.3

(कांडिका 2.7.2 में संदर्भित)

डेंस बिटुमिनस मैकेडम का स्पेसीफिकेशन से निम्नस्तरीय कार्य

सं. क्र.	संभाग का नाम	सड़क का नाम	निष्पादित डी.बी. एम. की मात्रा	डी.बी.एम. की दिनांक	बी.सी. के साथ किया गया डी.बी.एम.	बी.सी. की दिनांक	विलंब	अनकवर्ड डी.बी.एम.	विलंब	डी.बी. एम. की दर	कुल डी.बी. एम. लागत
1	का.यं. लो.नि. वि. (भवन/सड़क) सं., विदिशा	देवपुर मुगलसराय रोड उदयपुर से बीना नदी रोड भाक बमोरा मंडी होते हुए कुल्हर बरखेड़ी शायर -बमोरा पारसी -खमखेड़ा एमडी आर कार्य	2,754.40 9,269.09 4,469.16 3,708.79	02.12.19 से 19.01.20 तक 09.12.19 से 21.01.21 तक 07.12.19 से 27.01.21 तक 25.11.20 से 11.12.20 तक	2,754.40 1,126.02 1,047.75 निरंक	28.05.20 से 08.06.20 12.02.21 से 05.03.21 13.01.21 से 18.03.21 मार्च 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	4 से 5 माह तक 2 से 3 माह तक 12 माह 6 माह	निरंक 8,143.07 3,421.41 3,708.79	— मार्च 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई। मार्च 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई। मार्च 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	7,200 7,200 7,200 7,200	198.32 667.37 321.78 267.03
2	का.यं. लो.नि. वि. (भवन/सड़क) सं., उमरिया	खरकेली-धुलधुली-रहथ क- कठौतिया रोड	8,688.50	27.02.20 से 17.03.20 तक	2,210.10	07.06.21 से 16.06.21	3 माह	6,478.40	जून 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	5,700	495.24
3	का.यं. लो.नि. वि. (भवन/सड़क) सं., डिंडोरी	सक्का-अमरपुर-समनापुर रोड सिवनी-बोदर-कोसामडीह रोड सिवनी-संगम-गोरखपुर रोड सलवा-बमहानी रोड बरेला -निवास रोड घुघरी-धनीतोला रोड	6,760.15 3,586.60 8,990.50 697.78 4321.63 708.90	08.09.19 से 01.11.19 तक 13.06.19 से 28.08.19 तक 13.09.19 से 30.12.19 तक 19.12.20 से 25.12.20 तक 13.02.20 से 30.04.20 तक 02.12.20 से 22.05.21 तक	5,279.00 1,061.00 3,813.60 676.50 227.50 0	17.02.21 से 23.02.21 01.03.20 से 04.03.20 13.09.20 से 03.03.21 18.05.21 से 20.05.21 01.03.20 से 04.03.21 जून 21 तक संपूर्ण डीबीएम पर बीसी नहीं बिछाई गई।	15 से 17 माह तक 6 से 8 माह तक 12 से 14 माह तक 4 से 5 माह तक 18 दिन से 11 माह तक —	1,481.15 2,525.20 5,176.90 21.28 4,094.16 708.90	जून 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई। जून 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई। जून 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई। जून 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई। जून 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई। जून 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000	473.21 251.06 629.34 48.84 302.51 49.62

स. क्र.	संभाग का नाम	सड़क का नाम	निष्पादित डी.बी. एम. की मात्रा	डी.बी.एम. की दिनांक	बी.सी. के साथ किया गया डी.बी.एम.	बी.सी. की दिनांक	विलंब	अनकवर्ड डी.बी.एम.	विलंब	डी.बी. एम. की दर	कुल डी.बी. एम.लगत
4	का.सं. लो.नि. वि. (भवन/सड़क) सं., रवालियर	महाराजपुर-शनिचारा रोड	4,326.40	17.06.20 से 01.03.21 तक	4,326.40	04.03.21 से 23.03.21 तक	15 दिन से 13 माह तक	0	---	7,600	328.81
		नयागौव -घिनार रोड	5,469.75	09.10.20 से 16.01.21 तक	5,469.75	04.03.21 से 08.05.21	04 से 05 माह तक	0	---	7,600	415.70
		गिजोरा -जिगनिया रोड	7,656.00	17.09.20 से 29.04.21 तक	7,095.00	03.03.21 से 29.04.21	1 दिन से 05 माह तक	561.00	जुलाई 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	7,600	581.86
		पानिहर पगारा रोड	2,788.50	01.05.21 से 12.05.21 तक	0	जुलाई 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	---	2,788.50	जुलाई 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	7,600	211.93
		करिया औरोन रोड	2,274.25	08.05.20 से 12.05.21 तक	0	जुलाई 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	---	2,274.25	जुलाई 21 तक बीसी नहीं बिछाई गई।	7,600	172.84
		योग	76,470.40		35,087.02						5,415.46

परिशिष्ट 2.4
(कांडिका 2.7.3 में संदर्भित)
सॉयल्टी की कम कटौती

सं. क्र.	संभाग का नाम और पैकेज सं.	पैकेज संख्या	कटौती की जाने वाली राशि	कटौती की गई राशि	कम कटौती	सिविल डिपॉजिट में रखी गई सॉयल्टी की राशि
1	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., विदिशा	12	382.07	203.58	178.49	203.58
2	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., उमरिया	19	189.95	40.00	149.95	40.00
3	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., उज्जैन	1	450.70	19.30	431.40	19.30
4	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., डिंडोरी	17	549.41	124.10	425.31	124.10
5	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., ग्वालियर	9	529.00	250.00	279.00	250.00
6	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., खरगोन	6	663.62	636.01	27.61	86.26
7	का.यं. लो.नि.वि. (भवन/सड़क) सं., छिंदवाड़ा	18	408.84	248.85	159.99	159.99
	योग		3,173.59	1,521.84	1,651.75	883.23

परिशिष्ट 3.1

(कांडिका 3.3 में संदर्भित)

2018-19 से 2020-21 तक पूर्ण हुई योजनाओं का विवरण

स. क.	योजना का नाम	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	वित्त पोषण	पूर्णता की तिथि ²	नमूने में चयनित
1	मोहखेड	54.89	राज्य निधि	31.05.2018	हाँ
2	उदगावन	90.35	बुंदेलखण्ड निधि	31.05.2018	हाँ
3	निवाडी	79.92	बुंदेलखण्ड निधि	30.03.2021	हाँ
4	नरहेला	77.66	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	31.10.2019	हाँ
5	किरगी	60.34	खनन विकास निधि	07.12.2018	हाँ
6	भतेरा	52.97	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	15.10.2018	हाँ
7	मानपुर	49.08	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	31.03.2021	हाँ
8	देवसर्रा	40.57	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	15.10.2018	हाँ
9	ब्यार्मा	36.70	बुंदेलखण्ड निधि	30.11.2020	हाँ
10	धूती	33.70	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	15.10.2018	हाँ
11	पिपरझरी	20.51	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	15.10.2018	हाँ
12	अरनिया बहादुर	14.98	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	31.05.2018	हाँ

² निगम द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार।

परिशिष्ट 3.2

(कांडिका 3.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2021 के अनुसार चालू योजनाओं (60 प्रतिशत से अधिक वित्तीय प्रगति) का विवरण

स. क्र.	योजना का नाम	अनुबंध मूल्य (₹ करोड़ में)	वित्त पोषण	पूर्णता की नियत तिथि	नमूने में चयनित
लेखापरीक्षा में विस्तृत संवीक्षा हेतु नमूने में चयनित छः योजनाओं की सूची					
1	सतना-बाणसागर	1,135.96	न्यू डेवलपमेंट बैंक	10.01.2021	हाँ
2	निवाडी-पृथ्वीपुर-1	173.41	खनन विकास	26.11.2019	हाँ
3	बांकपुरा	122.86	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	17.04.2019	हाँ
4	सिद्धघाट	89.27	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	27.03.2019	हाँ
5	मझोली	69.93	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	19.12.2015	हाँ
6	बसाई	49.44	खनन विकास	19.09.2020	हाँ
नमूने में चयनित न की गई 24 अन्य योजनाओं की सूची					
7	कुण्डलिया	533.41	न्यू डेवलपमेंट बैंक	01.02.2021	नहीं
8	व्यार्मा	280.87	खनन विकास	01.01.2021	नहीं
9	बुक्सवाहा	250.00	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	16.05.2020	नहीं
10	मोहनपुरा	248.20	न्यू डेवलपमेंट बैंक	01.08.2020	नहीं
11	इंदवर-1	221.72	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	16.09.2020	नहीं
12	बंदोल	208.87	खनन विकास	28.01.2020	नहीं
13	मझगैन	195.73	जिला खनन निधि	09.04.2019	नहीं
14	बाना सुजारा	187.00	खनन विकास	17.04.2019	नहीं
15	पवई डेम	177.35	न्यू डेवलपमेंट बैंक	16.05.2020	नहीं
16	सागद	126.79	खनन विकास	09.04.2019	नहीं
17	कण्डैला	123.72	न्यू डेवलपमेंट बैंक	03.01.2021	नहीं
18	गोरखपुरा	119.77	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	16.05.2020	नहीं
19	करनपुरा-1	116.38	खनन विकास	06.10.2020	नहीं
20	बाणसागर	95.00	खनन विकास	30.07.2020	नहीं
21	दमहेदी-1	92.88	खनन विकास	30.07.2020	नहीं
22	पहाडगढ़	74.90	न्यू डेवलपमेंट बैंक	10.11.2019	नहीं
23	बेवहारी	68.08	जिला खनन निधि	30.01.2020	नहीं
24	बदोनकलां	65.43	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	07.08.2018	नहीं
25	गोहपारू	55.15	जिला खनन निधि	30.01.2020	नहीं
26	बाग	46.23	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	17.10.2018	नहीं
27	श्रोशनी-1	39.40	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	13.06.2019	नहीं
28	दातेहारा	32.24	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	13.09.2019	नहीं
29	गुनावाद	25.94	राज्य निधि	26.09.2020	नहीं
30	नागदा	21.85	राज्य निधि	19.09.2018	नहीं

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.4.1 में संदर्भित)

जल आपूर्ति योजना हेतु संभागों द्वारा चिन्हित प्रखण्डवार गाँवों का विवरण

स. क्र.	संभाग	प्रखण्ड	चिन्हित गाँवों की संख्या
1	भोपाल	02	17
2	बैतूल	10	84
3	बड़वानी	07	52
4	दमोह	04	25
5	मंडला	09	73
6	मुरैना	07	56
7	रतलाम	06	51
8	रायसेन	07	60
9	राजगढ़	06	48
10	सतना	03	25
	योग	61	491

परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.4.1 में संदर्भित)

पाइप जल आपूर्ति हेतु ड्रिलिंग एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर निष्फल व्यय का विवरण

स. क्र.	संभाग	चयनित गाँवों की संख्या	तैयार किए गए डीपीआर की संख्या	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित डीपीआर की संख्या	निष्पादित कार्यों की संख्या	अनुमोदित न की गई डीपीआर की संख्या	नलकूप की खुदाई और डीपीआर तैयार करने पर होने वाले खर्च को अनमोदन नहीं (₹ लाख में)
1	भेपाल	17	17	15	15	2	5.74
2	राजगढ़	48	40	33	27	13	23.97
3	रायसेन	60	34	34	33	1	05.76
4	दमोह	25	25	18	18	7	22.77
5	बैतूल	84	55	43	43	12	54.03
6	रतलाम	51	51	25	25	26	202.35
7	मंडला	73	37	33	33	4	06.00
8	बड़वानी	52	46	28	28	18	107.00
9	मुरैना	56	56	32	32	24	68.59
10	सतना	25	12	12	12	0	0.00
	योग	491	373	273	266	107	496.21

परिशिष्ट 3.5

(कंडिका 3.4.4.1 में संदर्भित)

दैनिक जलाशय जल स्तर डेटा (लाइव क्षमता) में कमी का विवरण

स. क्र.	योजना का नाम	जल का स्रोत	पूर्ण होने के तुरंत बाद जल की आवश्यकता (मिलियन घन मीटर)	दिनों की संख्या जब स्रोत में पानी की उपलब्धता शून्य हो ³ (दिन)	दिनों की संख्या जब जल उपलब्धता जल आवश्यकता से कम हो ³ (दिन)	जल की कमी का रेंज (मिलियन घन मीटर)
1	अरनिया बहादुर	अरनिया बहादुरपुर डैम	1.02	171	175	0.17 से 1.02
2	धूती	वैनगंगा	3.19 ⁴ (संयुक्त)	73	268	0.08 से 3.19
3	पिरझरी					
4	देवसारा					
5	भतेरा					
6	बसई-1	बुधनी नदी	1.70	171	186	0.18 से 1.70
7	किरगी	जोहिला डैम	1.60	निरंक	निरंक	निरंक
8	मोहखेड	सरोठ डैम	1.30	72	111	0.03 से 1.30
9	नरहेला	पगारा डैम	2.51	निरंक	निरंक	निरंक
10	सतना- बाणसागर	बाणसागर डैम	43.25	170	297	0.45 से 43.25

³ मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के वेब पोर्टल पर उपलब्ध दैनिक वाटर रिसर्वायर डाटा 08.05.2018 से 28.09.2021 तक के अनुसार।

⁴ भतेरा-1.34 मिलियन घन मीटर, देवसारा-0.68 मिलियन घन मीटर, धूती-0.68 मिलियन घन मीटर तथा पिरझरी-0.49 मिलियन घन मीटर।

परिशिष्ट 3.6

(कांडिका 3.4.5 में संदर्भित)

पाइपलाइन की प्रदान की गई और निष्पादित मात्रा में भिन्नता का विवरण

(राशि ₹ में)

मानपुर योजना के घटक	पाइप का व्यास (मिमी)	अनुबंध के अनुसार मात्रा	निष्पादित मात्रा	पाइप की दर	अतिरिक्त राशि (₹)
1	2	3	4	5	6=(4-3)×5
स्वच्छ जल पंपिंग मुख्य	100	150	1,500.00	1,188.73	16,04,786
	150	—	2,823.50	1,720.49	48,57,804
	200	150	1,984.00	2,279.92	41,81,373
	250	—	1,069.00	3,025.03	32,33,757
	300	4,950	4,630.00	3,805.82	12,17,862
	350	—	4,055.00	5,017.29	2,03,45,111
उप-योग		5,250	19,513.50		5,25,82,745
जल वितरण नेटवर्क	90	38,610	87,696.50	336.72	1,65,28,406
	110	8,410	15,035.00	436.32	28,90,620
	160	7,910	15,875.00	852.48	67,90,003
	200	3,090	3,148.00	1,239.75	71,906
	250	—	809.00	1,833.37	14,83,196
उप-योग		58,020	1,22,767.50		2,82,79,519
कुलयोग		63,270	1,42,281.00		8,08,62,264

परिशिष्ट 3.7

(कांडिका 3.5.1 में संदर्भित)

निगम द्वारा अवरुद्ध निधि का विवरण

वर्ष	विवरण	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	न्यू डेवलपमेंट बैंक	खनन विकास निधि	जिला खनन निधि	बुंदेलखण्ड निधि	राज्य निधि	जल जीवन मिशन	योग
2018-19	प्रारंभिक शेष	466.09	0	167.81	0	7.31	0.31	0	641.52
	वर्ष के दौरान प्राप्त	218.07	430.99	351.63	14.88	29.99	6.09	0	1,051.65
	वर्ष के दौरान व्यय	399.74	576.46	393.24	18.53	22.86	8.59	0	1,419.42
	अंतः शेष	284.42	-145.47	126.20	-3.65	14.44	-2.19	0	273.75
2019-20	प्रारंभिक शेष	284.42	-145.47	126.20	-3.65	14.44	-2.19	0	273.75
	वर्ष के दौरान प्राप्त	323.81	573.16	484.86	54.99	0	4.54	0	1,441.36
	वर्ष के दौरान व्यय	342.03	836.92	427.56	57.10	8.43	6.04	0	1,678.08
	अंतः शेष	266.20	-409.23	183.50	-5.76	6.01	-3.69	0	37.03
2020-21	प्रारंभिक शेष	266.20	-409.23	183.50	-5.76	6.01	-3.69	0	37.03
	वर्ष के दौरान प्राप्त	417.19	1,162.64	204.37	34.65	0	0	720.00	2,538.85
	वर्ष के दौरान व्यय	309.82	737.87	166.09	31.38	5.43	1.20	311.39	1,563.18
	अंतः शेष	373.57	15.54	221.78	-2.49	0.58	-4.89	408.61	1,012.70

परिशिष्ट 3.8

(कंडिका 3.6.1 में संदर्भित)

पाइप जल आपूर्ति योजना के तहत लक्षित घरेलू कनेक्शन को सम्मिलित न करना

(संख्या में)

स. क्र.	संभाग	पूर्ण कार्य	अनुबंध के अनुसार घरेलू कनेक्शन	वास्तव में प्रदत्त घरेलू कनेक्शन	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6×100/4
1	राजगढ़	07	3,127	2,706	421	13
2	रायसेन	12	4,472	3,174	1,298	29
3	बैतूल	09	4,486	3,244	1,242	28
4	मंडला	12	4,186	2,715	1,471	35
5	सतना	03	2,674	2,141	533	20
6	दमोह	12	4,440	3,520	920	21
7	रतलाम	10	6,439	5,318	1,121	17
8	बड़वानी	09	4,491	3,056	1,435	32
9	भोपाल	03	1,380	1,013	367	27
	योग	77	35,695	26,887	8,808	

परिशिष्ट 3.9

(कंडिका 3.6.2 में संदर्भित)

छूट के बावजूद ठेकेदारों को उत्पाद शुल्क के भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजनाओं का नाम	30.06.2017 तक किया गया भुगतान	भुगतान राशि का 60 प्रतिशत (मटेरियल की लागत)	ठेकेदारों को 60 प्रतिशत पर 12.50 प्रतिशत की दर से छूट प्राप्त उत्पाद शुल्क का भुगतान
1	2	3	4=3×60 प्रतिशत	5=4×12.50 प्रतिशत
1	अरनिया बहादुर	10.44	6.26	0.78
2	बगोड नंदला पिपलिया	64.03	38.42	4.80
3	देवसर्गा, भतेरा, धूती, पिपरझरी	104.78	62.87	7.86
4	गंगावाबदी	36.01	21.61	2.70
5	झुरकी	9.58	5.75	0.72
6	मझोली	30.02	18.01	2.25
7	मानपुर	29.66	17.80	2.22
8	मरदनपुर	215.57	129.34	16.17
9	मोहखेड	42.01	25.21	3.15
10	नरहेला	36.80	22.08	2.76
11	पुंजापुरा	21.53	12.92	1.61
12	रोशानी	19.95	11.97	1.50
13	तांलुखुर्द	54.32	32.59	4.07
14	उदयपुरा	150.12	90.07	11.26
15	ब्यार्मा	28.63	17.18	2.15
16	निवाड़ी	50.52	30.31	3.79
17	उडगावन	68.17	40.90	5.11
	योग	975.14	583.29	72.90

परिशिष्ट 3.10

(कांडिका 3.6.3.1 में संदर्भित)

ठेकेदारों से क्षतिपूर्क शास्ति की कटौती न करने का विवरण

स. क्र.	योजना	ठेकेदार	स्वीकृति पत्र की तिथि	ठेका मूल्य (करोड़ में)	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण होने की तिथि	विलंब (दिन)	विलंब का कारण	क्षतिपूर्क शास्ति (करोड़ में)
1	मोहखेड	मेसर्स यूनीप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	27.06.2015	54.89	06.03.2018	26.02.2017	373	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा योजना हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं करना। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बिजली लाइन और सब-स्टेशनों का निर्माण (30.11.2017) ठेकेदार द्वारा 277 दिनों की देरी से मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लोड स्वीकृत किए जाने के बाद किया गया था।	5.49
2	उडगावन	मेसर्स कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लि. तथा मेसर्स एसियाटिक ट्रेडर्स, इंदौर	20.10.2014	90.35	31.01.2018	19.10.2016	469	निगम ने ठेकेदार को पांच समय वृद्धियां प्रदान की थीं। केवल 21 दिनों की देरी के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया गया था क्योंकि देरी पाइपलाइनों को बिछाने और पार करने के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करने में हुई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 'इंटेक वेल' और 'ग्रेविटी फीडर मेन' के कार्य क्रमशः 238 दिनों और 419 दिनों की देरी से पूरे हुए थे, जो ठेकेदार के कारण हुआ था।	5.97 ⁵
3	ब्यार्मा	मेसर्स तेजस कंसट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., पुणे	07.11.2014	36.70	10.01.2019	06.11.2016	795	ठेकेदार द्वारा बताए गए विलंब का कारण जल शोधन संयंत्र के स्थान में परिवर्तन और ऊंचे सतह जलाशय, जल उपचार संयंत्र की क्षमता में परिवर्तन थे। परामर्शदाता की सलाह पर निगम ने ठेकेदार को चार समय वृद्धियां प्रदान की थीं। निविदा आमंत्रण सूचना की धारा 10 एवं 18 के अनुसार अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने एवं कार्य स्थल के निरीक्षण के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी था। आगे, योजना कार्यान्वयन इकाई, सागर ने देरी के लिए केवल ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया।	3.67
4	धूती	मेसर्स बंगाल टूल्स लि.	26.05.2015	33.70	15.07.2018	25.01.2017	536	विलंब ठेकेदार की तरफ से किया गया क्योंकि करार की दिनांक से 12 माह बीत जाने के बाद ठेकेदार ने ट्रीटमेंट प्लांट के स्थान परिवर्तन का अनुरोध (04.05.2016) किया किंतु परिवर्तित स्थान हेतु संक्षम प्राधिकारी से अंतिम स्वीकृति के बिना ही ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य अग्रिम स्तर पर कर दिया। इससे योजना में देरी हुई जो कि कुल 516 दिनों की देरी से 23.01.2018 को पूर्ण हुई।	3.37
5	भतारा	मेसर्स तेजस कंसट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., पुणे	26.05.2015	52.97	06.07.2018	25.01.2017	527	ठेकेदार द्वारा कार्य के कई घटकों को पूर्ण करने में देरी करने के बावजूद भी कंपनी द्वारा ठेकेदार को देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया तथा अनुबंध शर्तों के अधीन आवश्यक क्षतिपूर्क शास्ति की कटौती नहीं की गई।	5.30
6	दवसर्वा	मेसर्स जेआईटीएफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लि., नई दिल्ली	26.05.2015	40.47	23.10.2018	25.01.2017	636		4.06
7	पिपरझरी	मेसर्स बंगाल टूल्स लि.	26.05.2015	20.51	30.06.2018	25.01.2017	521		2.05

⁵ (419 दिन - 21 दिन) × ₹ 1,50,000 प्रति दिन की दर से क्षतिपूर्क शास्ति = ₹ 5.97 करोड़।

स. क्र.	योजना	ठेकेदार	स्वीकृति पत्र की तिथि	ठेका मूल्य (करोड़ में)	पूर्ण होने की तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन)	विलंब का कारण	क्षतिपूर्क शास्ति (करोड़ में)
8	मझोली	मेसर्स जेआईटीएफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	20.12.2013	69.93	19.12.2015	पूर्ण नहीं हुआ। विलंब की गणना 31.08.2021 तक की गई।	2082	देरी ठेकेदार की धीमी और खराब प्रगति के कारण थी। योजना के पूरा होने में असाधारण देरी के बावजूद, निगम ने ठेकेदार पर कोई क्षतिपूर्क शास्ति लगाने के बजाय उसे 14 समय वृद्धियां प्रदान की गई थी।	6.99
उप-योग (अ)									
ब. उन योजनाओं का विवरण जिनमें क्षतिपूर्क शास्ति की कटौती के समय विस्तार स्वीकृत किया गया।									
9	निवाड़ी	मेसर्स जेआईटीएफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	14.08.2014	79.92	13.08.2016	01.04.2020	1327	निगम द्वारा कारणों का मूल्यांकन और विलंब विश्लेषण किए बिना ठेकेदार को सात समय वृद्धियां प्रदान की गई थी।	7.99
10	मानपुर	मेसर्स जेआईटीएफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली	14.08.2014	49.08	13.08.2016	31.12.2020	1602	कंसल्टेंट की अनुशंसा पर निगम द्वारा 14 समय वृद्धियां प्रदान की गई थी।	4.91
11	नरेला	मेसर्स जेआईटीएफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लि., नई दिल्ली	14.08.2014	77.66	13.08.2016	24.11.2019	1198	योजना के पूरा होने में न्यूनतम 495 दिनों का विलंब हुआ था, जो ठेकेदार के कारण था, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इटैक वेल के अलावा, ठेकेदार ने अन्य कार्यों जैसे कि रॉ/विलयर वाटर पम्पिंग मेन, ऑक्सीडेंट टैंक, वितरण प्रणाली आदि में भी देरी की थी। निगम ने क्षतिपूर्क शास्ति लगाने की शर्त पर ठेकेदार को सात समय वृद्धियां प्रदान की थी, लेकिन कोई शास्ति नहीं लगाया गया। इसके अलावा, योजना के पूरा होने की तारीख से लगभग एक वर्ष की देरी से अगस्त 2020 को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विलंब विश्लेषण अभी भी (अक्टूबर 2021) निगम में विचारधीन था।	7.43 ⁶
12	बांकपुरा	मेसर्स इण्डियन ह्यूम पाइप कं. लि., मुंबई	18.04.2017	122.86	17.04.2019	पूर्ण नहीं हुआ। विलंब की गणना 31.08.2021 तक की गई।	867	योजना पर निगम ने ₹ 109.73 करोड़ खर्च किए हैं, तथापि बांकपुरा योजना अब तक (अगस्त 2021) पूरी नहीं हो पाई है। कार्य की धीमी प्रगति का मुख्य कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा में उल्लेख किया गया है, ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर पर्याप्त श्रमशक्ति की तैनाती न करना था। कंसल्टेंट की सलाह पर, निगम ने ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार क्षतिपूर्क शास्ति लगाने की शर्त के साथ पांच समय वृद्धियां प्रदान की थी लेकिन निगम ने ठेकेदार पर इसे नहीं लगाया है।	12.29
13	निवाड़ी पृथ्वीपुरा-1	मेसर्स लार्सन एवं टुबरो लि., चेन्नई	27.11.2017	173.41	26.11.2019	पूर्ण नहीं हुआ। विलंब की गणना 31.08.2021 तक की गई।	644	ठेकेदार द्वारा कार्यों के विभिन्न घटकों को पूरा करने में देरी के बावजूद, निगम द्वारा ठेकेदार को देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और अनुबंध की शर्तों के तहत क्षतिपूर्क शास्ति की कटौती नहीं की गई।	17.34
									49.96
									86.86
उप-योग (ब)									
महायोग									

⁶ 495 दिन x ₹ 1,50,000 प्रति दिन की दर से क्षतिपूर्क शास्ति = ₹ 7.43 करोड़

परिशिष्ट 3.11

(कड़िका 3.6.3.2 में संदर्भित)

कार्य पूर्ण करने में विलंब और शास्ति न लगाने/कम लगाने को दर्शाने वाला विवरण

सं. क्र.	संभाग	कार्य	समय से पूर्ण कार्य	विलंबित कार्य	चालू कार्यों के लिए विलंब	नवम्बर 2021 तक चालू कार्यों के लिए विलंब	विलंब हेतु शास्ति न लगाना	(कार्य संख्या में, विलंब दिनों में तथा ₹ लाख में) कम शास्ति लगाना
1	भोपाल	15	01	14	140, 151, 285, 346, 508 (05 कार्य)	595, 595, 595, 595, 595, 595, 595, 1019, 1031 (09 कार्य)	116.71 (14 कार्यों में)	00
2	राजगढ़	15	5	10	48, 50, 84, 101, 236, 240, 241, 361, 674, 678 (10 कार्य)	0	75.77 (10 कार्यों में)	00
3	रायसेन	15	0	15	15, 16, 64, 75, 79, 215, 287, 319, 353, 396, 498, 606, 651, 678, 898 (15 कार्य)	0	82.68 (11 कार्यों में)	8.8 (04 कार्यों में)
4	बैतुल	15	1	14	30, 31, 63, 75, 84, 101, 121, 135, 161, 180, 303, 338, 341, 14 कार्य	0	98.74 (13 कार्यों में)	1.51 (01 कार्य में)
5	मंडला	15	0	15	351, 564, 411, 169, 567, 618, 370, 367, 383, 289, 389, 441, 513, 250, 73 (15 कार्य)	0	130.97 (15 कार्यों में)	00
6	दमोह	15	0	15	224, 246, 264, 288, 296, 308, 318, 323, 332, 341, 345, 355, 366, 386, 386 (15 कार्य)	0	103.35 (10 कार्यों में)	29.55 (05 कार्यों में)
7	सतना	12	0	12	180, 181, 496, 541, 764 (05 कार्य)	847, 888, 960, 970, 1131, 1046, 1046 (07 कार्य)	136.63 (12 कार्यों में)	00
8	रतलाम	15	0	15	18, 54, 85, 86, 92, 108, 120, 123, 143, 144, 151, 175, 212, 273, 304 (15 कार्य)	0	104.64 (15 कार्यों में)	00
9	बड़वानी	15	1	14	35, 107, 126, 126, 143, 181, 183, 207, 313, 329, 351, 448, 448, 603 (14 कार्य)	0	185.71 (14 कार्यों में)	00
10	मुरैना	15	0	15	0	594, 594, 594, 594, 594, 811, 823, 851, 853, 894, 960, 960, 960, 960 (15 कार्य)	305.55 (15 कार्यों में)	00
	योग	147	8	139			1,340.75 (129 कार्यों में)	39.86 (10 कार्यों में)

पूर्ण कार्यों के लिए विलंब की औसत अवधि:

दिनों की संख्या में विलंब

15, 16, 18, 30, 31, 35, 48, 50, 54, 63, 64, 73, 75, 75, 79, 84, 84, 85, 86, 92, 101, 101, 107, 108, 120, 121, 123, 126, 126, 135, 138, 140, 143, 143, 144, 151, 151, 161, 169, 175, 180, 180, 181, 181, 183, 207, 212, 215, 224, 240, 241, 241, 246, 250, 264, 265, 273, 287, 288, 289, 296, 303, 304, 308, 313, 318, 319, 323, 329, 332, 338, 341, 341, 345, 346, 351, 351, 353, 355, 361, 366, 367, 370, 383, 386, 386, 389, 396, 411, 441, 448, 448, 496, 498, 508, 513, 541, 564, 567, 603, 606, 618, 651, 674, 678, 678, 764, 898

पूर्ण कार्यों के लिए औसत विलंब = $(250 + 264)/2 = 257$ दिन

जारी कार्यों के लिए विलंब की औसत अवधि:

दिनों की संख्या में विलंब 594, 594, 594, 594, 594, 595, 595, 595, 595, 595, 811, 823, 847, 851, 853, 888, 894, 960, 960, 960, 960, 960, 970, 1019, 1031, 1046, 1046, 1131

जारी कार्यों के लिए औसत विलंब = 851 दिन

परिशिष्ट 3.12
(कांडिका 3.6.4 में संदर्भित)

ओवर हेड टैंक का निष्पादन उच्च दर पर करने के कारण आई अतिरिक्त लागत का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

सं. क्र.	संभाग	पीडब्ल्यूएसएस/गाँव का नाम	मद का नाम	मात्रा प्रति किलो लीटर	ली गई दर प्रति कि.ली.	ली जाने वाली दर प्रति कि.ली.	दर/कि.ली. में अंतर	निविदा प्रतिशत से ऊपर	अतिरिक्त लागत
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=5×8+ निविदा प्रतिशत
1		खुरी	15 मीटर स्टेजिंग क्षमता वाले 01 नं. आरसीसी ओवरहेड टैंक का निर्माण	100	18,000	12,758	5,242	7.85	5,65,350
2		मऊ	-तदैव-	125	15,000	11,340	3,660	7.10	4,89,983
3		बनी	-तदैव-	100	18,000	12,760	5,240	6.25	5,56,750
4		लिबोडा	-तदैव-	100	13,500	12,760	740	7.90	79,846
5		खरपा	-तदैव-	100	18,000	12,760	5,240	7.90	5,65,396
6		कुडलिया	-तदैव-	100	18,000	12,760	5,240	5.49	5,52,768
7		भटखड़ी	-तदैव-	90	18,000	12,760	5,240	5.25	4,96,359
8		टिडोनिया	-तदैव-	120	16,500	12,760	3,740	8.99	4,89,147
9		बाटावडा	-तदैव-	100	18,000	12,760	5,240	6.78	5,59,527
10		बरवा खूर्म	-तदैव-	100	18,000	12,760	5,240	3.99	5,44,908
11		मुण्डला बरोल	-तदैव-	90	18,000	12,760	5,240	7.16	5,05,367
12		मुण्ड लोडा	-तदैव-	100	18,000	12,760	5,240	8.90	5,70,636
13		निपनिया गढी	-तदैव-	125	15,840	11,340	4,500	7.16	6,02,775
								योग (अ)	65,78,810

7 90 कि.ली. की क्षमता की दर को 100 कि.ली. की दर के रूप में लिया गया था। 18 मीटर स्टेजिंग के साथ 160 कि.ली. की दर को 150 कि.ली. की दर में पांच प्रतिशत जोड़ा गया। 09 मीटर स्टेजिंग के साथ 125 कि.ली. क्षमता की दर को 125 कि.ली. के 12 मीटर स्टेजिंग की दर में पांच प्रतिशत घटाकर लिया गया।

ओवर हेड टैंक की दर

ओवर हेड टैंक की क्षमता (किलो लीटर में)	12 मीटर स्टेजिंग सहित ओवर हेड टैंक की दर (₹ प्रति लीटर)	15 मीटर स्टेजिंग सहित ओवर हेड टैंक की दर (₹ प्रति लीटर)
75	15.30	16.06
100	12.15	12.76
125	10.80	11.34
150	10.10	10.61
175	9.00	9.45

स. क्र.	संभाग	पीडब्ल्यूएसएस/गाँव का नाम	मद का नाम	मात्रा प्रति किलो लीटर	ली गई दर प्रति कि.ली.	ली जाने वाली दर प्रति कि.ली.	दर/कि.ली. में अंतर	निविदा प्रतियत्न से ऊपर	अतिरिक्त लागत
14	रायसेन	मारधा	12 मीटर स्टेजिंग क्षमता वाले 01 नं. आरसीसी ओरवहेड टैंक का निर्माण	125	12,448	10,800	1648	9.99	2,26,579
15		चिलवाहा	18 मीटर स्टेजिंग क्षमता वाले 01 नं. आरसीसी ओरवहेड टैंक का निर्माण	160	12,030	11,140 ⁷	890	8.79	1,54,917
योग (ब)									
16	बैतूल	चोहाटापोपटी	09 मीटर स्टेजिंग क्षमता वाले 01 नं. आरसीसी ओरवहेड टैंक का निर्माण	125	10,800	10,260 ⁷	540	8.86 नीचे	61,520
17		पाटाखेडा	15 मीटर स्टेजिंग क्षमता वाले 01 नं. आरसीसी ओरवहेड टैंक का निर्माण	175	12,150	9,450	2,700	7.94	5,10,017
योग (स)									
18	मंडला	न्यूसमल	12 मीटर स्टेजिंग क्षमता वाले 01 नं. आरसीसी ओरवहेड टैंक का निर्माण	100	15,000	12,150	2,850	11.94	3,19,029
कुलयोग (अ+ब+स+द)									3,19,029
									78,50,872

परिशिष्ट 3.13

(कंडिका 3.6.5 में संदर्भित)

संचालन और संधारण हेतु ठेकेदारों को अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला विवरण
(ओ एवं एम)

स. क्र.	संभाग	पीडब्ल्यूएसएस में गाँव का नाम	पूर्ण होने की तिथि	पूर्ण होने के पश्चात् ओ एवं एम अवधि (एक माह + दो वर्ष)	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	वाउचर नं. एवं दिनांक
1	दमोह	सकोर	24.04.20	23.05.22	2.86	20 / 24.04.20
2	दमोह	निमारमुंडा	06.03.20	05.04.22	2.18	20 / 06.03.20
3	दमोह	मझोली	13.02.20	12.03.22	2.18	12 / 13.02.20
4	दमोह	सतारिया	24.03.20	23.04.22	2.41	101 / 24.03.20
5	दमोह	निवास	24.04.20	23.05.22	2.18	21 / 24.03.20
6	दमोह	पिपरिया टिकारी	13.03.20	11.04.22	2.14	25 / 24.04.20
7	दमोह	सलैया	03.03.20	01.04.22	2.14	112 / 26.03.20
8	दमोह	रंजारा	05.02.20	06.03.22	2.14	05 / 04.03.20
9	दमोह	रियाना	28.02.20	29.03.22	2.36	113 / 26.03.20
10	दमोह	हलगज	29.02.20	30.03.22	2.86	49 / 13.03.20
11	दमोह	कबीरपुर मंगोला	06.01.20	06.02.22	2.18	96 / 24.03.20
12	दमोह	कनोरा रामनगर	26.01.20	26.02.22	2.14	97 / 24.03.20
13	दमोह	सिगोन	10.02.20	10.03.22	2.14	99 / 24.03.20
14	दमोह	टिंडुवा	14.01.20	14.02.22	2.14	100 / 24.03.20
15	दमोह	हिनोटी उडेषा	24.03.20	24.04.22	2.18	108 / 26.03.20
16	सतना	कीठा	30.04.21	30.04.23	1.50	01 / 02.03.21
17	सतना	पगरकलां	30.04.20	31.07.22	1.13	01 / 07.12.20
18	मुरैना	जोहन	जारी	लागू नहीं	2.75	24 / 24.12.20, 69 / 26.08.21
19	मुरैना	बरेठा	जारी	लागू नहीं	3.60	46 / 27.03.21
	योग	19 गाँव			43.21	

परिशिष्ट 3.14

(कड़िका 3.6.8 में संदर्भित)

पीडब्ल्यूएसएस हेतु जमा निष्पादन सुरक्षा निधि (पीएस) को ठेकेदार को विमुक्त करने की नियत तिथि से पहले विमुक्त करने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	संभाग	करार सं.	पीडब्ल्यूएसएस कार्य के गांव का नाम	पीएसडी की राशि (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	पीएसडी विमुक्त करने की नियत तिथि	पीएसडी विमुक्त करने की तिथि
1	रायसेन	06/18-19	चैनपुर	3.75	04.09.19	03.09.21	10.06.20
2	रायसेन	07/18-19	मगरधा	4.12	15.04.19	14.04.21	10.06.20
3	रायसेन	09/18-19	गुररिया	4.05	10.04.19	09.04.21	10.06.20
4	रायसेन	10/18-19	मुरारीचोपड़ा	4.35	01.10.19	30.09.21	10.06.20
5	रायसेन	11/18-19	भूसीमेंटा	4.00	23.10.19	22.10.21	09.09.20
6	रायसेन	12/18-19	उचेहरा जमुनिया	3.39	16.08.20	15.08.22	09.09.20
7	रायसेन	13/18-19	सेहोरा इमलिया	4.22	12.09.20	11.09.22	09.09.20
8	रायसेन	14/18-19	टिंघाडा	3.32	22.03.20	21.03.22	07.12.20
9	रायसेन	16/18-19	गुलगाँव	4.03	30.04.21	29.03.23	28.06.21
10	रायसेन	17/18-19	समेरा	3.09	12.07.20	11.07.22	28.06.21
11	रायसेन	19/18-19	भिलरिया	2.87	20.06.19	19.06.21	10.06.20
12	रायसेन	51/18-19	खमरिया खुर्द	3.40	26.01.20	25.01.22	07.12.20
13	रायसेन	52/18-19	उदका	2.83	17.09.20	16.09.22	18.09.20
14	रायसेन	61/18-19	नयाखेड़ा	3.04	03.09.20	02.09.22	25.08.20
15	रायसेन	64/18-19	खजुरिया गढ़ी	2.97	05.12.19	04.12.21	09.04.21
16	रायसेन	65/18-19	खेडी ता चौका	2.91	22.03.20	21.03.22	10.06.20
17	रायसेन	69/18-19	बोरेपानी	2.46	08.03.20	07.03.22	16.07.20
18	रायसेन	70/18-19	सालेहपुर	2.94	10.05.19	09.05.21	16.07.20
19	रायसेन	74/18-19	भदोन	3.36	16.05.20	15.05.22	25.08.20
20	रायसेन	75/18-19	सुल्तानगंज	7.61	22.03.20	21.03.22	08.07.21
21	रायसेन	86/18-19	चंदन पिपलिया	2.79	18.12.20	17.12.22	25.11.20
22	रायसेन	87/18-19	पैगावा	1.91	28.06.19	27.06.21	18.09.20
23	रायसेन	18/19-20	करमोडा	3.50	29.09.20	28.09.22	08.09.20
24	रायसेन	42/19-20	कोटपर गणेश	2.98	18.02.21	17.02.23	11.02.21
25	बैतूल	32/18-19	कटखी	2.96	15.09.19	14.09.21	12.05.20
26	बैतूल	111/18-19	नांदरा	3.35	10.10.19	09.10.21	15.01.21
27	मण्डला	53/18-19	पुरवा	3.93	02.05.20	01.05.22	21.12.20
28	मण्डला	52/18-19	पिपरपानी	3.88	08.05.20	07.05.22	21.12.20
29	मण्डला	48/17-18	अंदिया रैयत	2.34	21.10.19	20.10.21	05.01.20
30	मण्डला	125/18-19	पिपरिया रैयत	4.11	05.11.19	04.11.21	25.02.21
31	मण्डला	79/18-19	न्यूसमल	6.65	30.03.20	29.05.22	30.12.20
32	मण्डला	102/18-19	लोढ़ा	2.59	10.04.20	09.04.22	15.03.21
33	मण्डला	45/18-19	बड़वानी	3.85	30.12.20	29.12.22	15.03.21
34	मण्डला	74/18-19	अटरिया	3.21	27.06.19	26.06.21	25.02.21
35	मण्डला	126/18-19	पौ.डी	3.67	19.12.19	18.12.21	07.04.21
36	मण्डला	75/18-19	गौझी	3.40	01.10.19	30.09.21	25.02.21
37	मण्डला	130/18-19	बारगी	3.50	09.12.19	08.12.21	07.04.21
38	मण्डला	101/18-19	जगनाथर	2.66	01.08.19	30.07.21	30.12.20
39	मण्डला	54/18-19	मदोगढ़	3.00	30.06.19	29.06.21	16.06.21
40	मण्डला	148/18-19	कचनारी	2.19	31.08.20	30.08.22	22.12.20
41	मुरैना	11/19-20	जोहन	11.99	जारी	लागू नहीं ⁸	कार्य पूर्ण होने के पहले संभागों द्वारा जारी पीएसडी की राशि
42	मुरैना	09/19-20	टुटवास	11.75	जारी		
43	मुरैना	67/18-19	रुफटी	9.28	जारी		
44	मुरैना	65/18-19	बरेठा	14.44	जारी		
45	मुरैना	48/18-19	कैथोडा	9.27	जारी		
46	मुरैना	38/18-19	हिंगोना खुर्द	6.34	जारी		
47	मुरैना	64/18-19	श्यामपुर कलां	9.58	जारी		

⁸ काम पूरा होने के बाद पीएसडी विमुक्त करने की नियत तारीख तय की जाती है। यहां कार्य पूर्ण नहीं हुए थे। इसलिए पीएस विमुक्त नहीं किया जाना चाहिए था।

स. क्र.	संभाग	करार सं.	पीडब्ल्यूएसएस कार्य के गाँव का नाम	पीएसडी की राशि (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	पीएसडी विमुक्त करने की नियत तिथि	पीएसडी विमुक्त करने की तिथि
48	मुरैना	12 / 19-20	सिलवाली	8.85	जारी		
49	मुरैना	10 / 19-20	कुरैठा	13.33	जारी		
50	मुरैना	44 / 18-19	कैमारा कलां	9.94	जारी		
योग				243.95			

परिशिष्ट 3.15

(कांडिका 3.6.8 में संदर्भित)

विमुक्त करने की नियत तिथि से पहले पीडब्लूएसएस कार्य हेतु सुरक्षा जमा (एसडी) को ठेकेदार को विमुक्त करने का विवरण

स. क्र.	संभाग	करार सं.	कार्य/गाँव का नाम	कार्य पूर्ण होने की तिथि	एसडी जारी करने की नियत तिथि	जारी एस डी की राशि	एसडी जारी करने की तिथि
1	मण्डला	53 / 18-19	पुरवा	02.05.20	01.05.22	75,396	21.12.20
						43,720	21.12.20
						18,949	21.12.20
						17,610	21.12.20
2		52 / 18-19	पिपरपानी	08.05.20	07.05.22	79,815	21.12.20
						4,112	21.12.20
						22,048	21.12.20
						55,808	21.12.20
3		54 / 18-19	मादोगढ़	30.06.19	29.06.21	30,000	27.12.19
						28,230	21.12.20
4	86 / 18-19	भानपुरा खेड़ा	29.02.20	28.02.22	67,020	29.08.20	
5	148 / 18-19	कचनारी	31.08.20	30.08.22	35,000	29.08.20	
					1,13,360	29.08.20	
					26,530	29.08.20	
					55,560	29.08.20	
योग						6,73,158	

परिशिष्ट 3.16

(कांडिका 3.7.1 में संदर्भित)

नौ पूर्ण योजनाओं के संचालन और संधारण में कमियां

स. क्र.	योजना	संचालन और संधारण प्रतिवेदन का माह	योजना में सम्मिलित गाँव	निर्माण पर व्यय लागत (₹ करोड़ में)	माह में जल आपूर्ति नहीं		प्रति व्यक्ति 55 लीटर से कम जल आपूर्ति		सात मीटर से कम दबाव जल आपूर्ति		गाँव जिनमें सभी घरों को पानी नहीं मिल रहा	
					गाँव	न्यूनतम दिन	अधिकतम दिन	गाँव	प्रभावित जनसंख्या	वार्षिक आपूर्ति (लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति)		गाँव
1	नरहेला	फरवरी -21	32	61.82	11	1	7	41,881	53.11	2	—	4
2	भतेरा	जून-21	18	153.33	—	—	—	—	—	—	260	—
3	देवसरा	जून-21	34		—	—	—	—	—	—	135	—
4	धूली	जून-21	20		—	—	—	—	—	—	255	—
5	पिपरझरी	जून-21	8		—	—	—	—	—	—	62	—
6	ब्यामा	अक्टूबर-22	16	40.03	—	—	23	33,514	41.68	20	—	7
7	मानपुर	दिसम्बर-20	19	48.67	15	1	13	37,105	42.05	11	—	—
8	उडगवन	अप्रैल-21	71	86.22	25	1	32	31,469	50.91	56	—	12
9	निवाडी	दिसम्बर-20	23	94.31	31	1	14	31,096	50.94	19	—	—
		योग	241	484.38	82	1	89	1,75,065	41.68 से 53.11	108	712	23

परिशिष्ट 4.1
(कडिका 4.11.4 में संदर्भित)

श्री सिंगाजी ताप विद्युत केन्द्र वि.गृ-द्वितीय में सहायक खपत दर्शाने वाला पत्रक

वर्ष	अवधि	सकल उत्पाद (एम. यू.)	सहायक खपत				टिप्पणी	
			म.प्र.वि.नि.आ. के मानदण्डों द्वारा अनुमत (एम. यू. और प्रतिशत में)	वास्तविक (एम. यू. और प्रतिशत में)	अधिक (एम. यू. में)	प्रति ईकाई परिवर्तित लागत (₹ में)		अधिक सहायक खपत के कारण हानि (₹ करोड़ में)
2018-19	18 नवम्बर 2018 से 31 मार्च 2019	1,598.36	83.91 (5.25 प्रतिशत)	107.27 (6.71 प्रतिशत)	23.36	2.64	6.15	मासिक सहायक खपत की सीमा 5.50 से 7.45 प्रतिशत के बीच
2019-20	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020	4,366.54	251.08 (5.75 प्रतिशत)	317.10 (7.26 प्रतिशत)	66.03	2.81	18.52	मानदण्ड 5.75 प्रतिशत के विरुद्ध, मासिक सहायक खपत की सीमा 6.18 से 22.77 प्रतिशत के बीच सिवाय (जनवरी से मार्च 2020 जहां ये 5.34, 4.83 और 5.49 प्रतिशत थीं)
2020-21	01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021	852.86	49.04 (5.75 प्रतिशत)	106.93 (12.54 प्रतिशत)	57.89	2.81	16.24	मानदण्ड 5.75 प्रतिशत के विरुद्ध, मासिक सहायक खपत की सीमा 5.97 से प्रतिशत के बीच
2021-22	01 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021	1,681.96	96.71 (5.75 प्रतिशत)	117.67 (7.00 प्रतिशत)	20.96	2.81	5.88	मासिक सहायक खपत की सीमा 6.38 से 8.17 प्रतिशत के बीच
					168.234		46.79	

परिशिष्ट 5.1

(कांडिका 5.7.1 में संदर्भित)

ग्राम सभा / कलेक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

स. क्र.	वनमण्डल का नाम	प्रकरणों की संख्या	व्यपवर्तित भूमि (हे. मे)	एफ.आर.ए./एफ.सी.ए.	अनुपालन की स्थिति
1	अनुपपुर	19	7.08	एफ.आर.ए.	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
2	सिंगरौली	30	22.96	एफ.आर.ए.	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
3	दक्षिणी शहडोल	15	6.10	एफ.आर.ए.	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
4	दक्षिणी सागर	25	10.59	एफ.आर.ए.	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
5	होशंगाबाद	33	13.28	एफ.आर.ए.	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
योग			60.01		

स. क्र.	वनमण्डल का नाम	प्रकरणों की संख्या	व्यपवर्तित भूमि (हे. मे)	अनुपालन की स्थिति
1	सिंगरौली	रेलवे लाइन	1.57	कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
2	सिंगरौली	765 के.वी. डबल सर्किट लाइन	167.02	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
3	दक्षिणी सागर	महाराजपुर से शाजापुर तक सड़क तथा भुसौरा-नन्ही-डेवरी-नहारामऊ सड़क	3.44	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
4	खालियर	765 के.वी. बीना-खालियर ट्रांसमिशन लाइन	27.99	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
5	खालियर	765 के.वी. सतना-खालियर ट्रांसमिशन लाइन	22.76	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
6	खालियर	765 के.वी. खालियर-जयपु डबल सर्किट लाइन	49.99	ग्राम सभा/कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया
योग			272.77	

परिशिष्ट 5.2

(कांडिका 5.7.1 में संदर्भित)

लागत-लाभ विश्लेषण में अनियमितता

स. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना	व्यपवर्तित भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)	अनुपालन की स्थिति	शामिल न की गई लागत की मद	शामिल न की गई लागत की मद (₹ में)
1	सिंगरौली	765 के.वी. डबल सर्किट विद्यालय-पुलिंग-जबलपुर ट्रांसमिशन लाइन	241.10	सी-बी विश्लेषण नहीं किया गया	लागू नहीं	0
2	नौरादेही	एन एच-12 का उन्नयन	39.75	सी-बी विश्लेषण नहीं किया गया	लागू नहीं	0
3	नौरादेही	निरदपुर टैंक का निर्माण	30.76	सी-बी विश्लेषण नहीं किया गया	लागू नहीं	0
4	होशंगाबाद	एन एच-69 का उन्नयन	153.54	लागत लाभ विश्लेषण गलत तरीके से किया गया	राजस्व वन 40.548 हे. क्षेत्र को लागत से बाहर रखा गया था। अभिलेखों में लाभ की गणना का आधार नहीं था	0
5	दक्षिणी शहडोल	अमलाई ओपन कास्ट खदान	166.92	सी-बी विश्लेषण नहीं किया गया	लागू नहीं	0
6	दक्षिणी शहडोल	बतुरा ओपन खदान	76.84	लागत लाभ विश्लेषण गलत तरीके से किया गया	चारे (घास) के मूल्य के नुकसान की कीमत कम लगाई गई	43,48,84
7	दक्षिणी शहडोल	मीथेन गैस निष्कर्षण परियोजना	77.05	लागत लाभ विश्लेषण गलत तरीके से किया गया	चारे (घास) के मूल्य के नुकसान की कीमत कम लगाई गई	58,24,857
8	दक्षिण सागर	सूरजपुरा टैंक	28.90	लागत लाभ विश्लेषण गलत तरीके से किया गया	कब्जे के मूल्य और आकड़ों को न जोड़ना अभिलेखों से सत्यापित नहीं है	0
9	भोपाल	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान	180.00	सी-बी विश्लेषण नहीं किया गया	लागू नहीं	0
योग			994.86			1,01,79,041
योग (गणना में त्रुटि) चार प्रकरण			336.33			
योग (लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया गया) दस प्रकरण			658.53			

परिशिष्ट 5.3

(कांडिका 5.7.2 में संदर्भित)

कम वन भूमि का व्यपवर्तन

सं. क्र.	वनमण्डल का नाम	सड़क का नाम	प्रयोजिता एजेंसी	स्वीकृति दिनांक	सड़क की आवश्यक माप		सड़क की ली गई माप		एन.पी.वी. लंबाई		एन.पी.वी. चौड़ाई	एन.पी.वी. की कम वसूली	
					लंबाई	क्षेत्रफल (हे. मं)	लंबाई	क्षेत्रफल (हे. मं)	लंबाई	क्षेत्रफल (हे. मं)			
1	दक्षिणी शहडोल	गोदिन्बुदा से चीनमार	आर.ई.एस.	30.05.18	2,495	2.22	8.89	4	2,495	0.99	13.90	0	13.90
2	दक्षिणी शहडोल	चुहिरिलफडा से मायका	लो.नि.वि.	18.07.19	1,306	1.31	10	7.50	1,306	0.98	8.18	0	8.18
3	दक्षिणी शहडोल	फतेहपुर से अइजाझर	लो.नि.वि.	07.03.19	1,200	1.20	10	6	1,200	0.72	7.51	0	7.51
4	दक्षिणी शहडोल	झिक से अथरिती	एम.पी.आर. आर.डी.ए.	24.06.19	1,600	1.60	10	6	1,600	0.96	10.02	0	10.02
5	दक्षिण सागर	महाराजपुर से सहजपुर	एम.पी.आर. डी.सी.	27.03.18	3,200	5.79	18.08	8	3,200	2.56	36.22	0	36.22
6	दक्षिण सागर	भुसवरा-नन्ही-दियोरी-नहरमउ	एम.पी.आर. आर.डी.ए.	23.05.20	1,950	1.95	10	4.50	1,950	0.88	12.21	0	12.21
7	अनुपपुर	पथइति से गोडीवावर	एम.पी.आर. आर.डी.ए.	02.08.18	5,000	5.00	10	7.50	5,000	3.75	28.15	21.11	7.04
8	अनुपपुर	पिपरिया से सरिसताल	एम.पी.आर. आर.डी.ए.	29.01.18	2,800	2.80	10	7.50	2,800	2.1	15.76	11.82	3.94
9	अनुपपुर	बमहनी से केसवानी	लो.नि.वि.	02.05.18	5,342	3.54	10	7.50	5,342	2.66	19.94	14.95	4.99
10	अनुपपुर	अमगावा से पवदी	लो.नि.वि.	11.05.18	6,600	6.60	10	7.50	6,600	4.631	55.77	39.13	16.64
योग						32.01				20.23			120.65

एन.पी.वी. की गणना न्यूनतम ₹ 6.26 लाख प्रति हे. की दर से की जाती है

परिशिष्ट 5.4

(कड़िका 5.7.4.1 एवं 5.7.5 में संदर्भित)

राजस्व भूमि की कम प्राप्ति/अप्राप्ति तथा अधिसूचना न निकालना

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

सं. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना	व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल	व्यपवर्तन हेतु अनुमोदन का दिनांक	प्राप्त राजस्व भूमि का क्षेत्रफल	भूमि की कम प्राप्ति	विलंब माह में
1	अनूपपुर	भीथेन गैस परियोजना	77.07	11.03.2016	18.58	58.49	48
2	सिंगरौली	एन एच-75	60.80	03.11.2015	53.05	7.75	52
3	दक्षिणी शहडोल	दियापिपार टैंक	3.08	22.05.2018	0.00	3.08	22
		योग	140.95		71.63	69.32	
सं. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना	व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल	व्यपवर्तन हेतु अनुमोदन का दिनांक	प्राप्त राजस्व भूमि का क्षेत्रफल	भूमि की कम प्राप्ति	विलंब माह में
1	अनूपपुर	थर्मल पॉवर परियोजना (बैराज)	35.44	30.05.2014	37.11		70
2	होशंगाबाद	400 के.वी. भोपाल इंदौर ट्रांसमिशन लाइन	6.99	21.09.2015	7.95		54
3	दक्षिणी शहडोल	भीथेन गैस निष्कर्षण परियोजना	80.85	03.01.2018	81.64		26
4	पूर्वी छिंदवाड़ा	मोहगाव जलाशय	48.16	07.07.2014	48.16		69
5	पूर्वी छिंदवाड़ा	सी.बी.एम. परियोजना	63.05	28.04.2017	63.05		35
6	ग्वालियर	करहिया आरोनवया गोलर घाटी	8.32	29.12.2014	8.32		63
7	छतरपुर	आयरन ओर खैरा मझौरा	4.89	05.08.2015	4.89		55
8	खण्डवा	पलासी लघु सिंचाई परियोजना	17.16	24.10.2018	17.16		17
9	खण्डवा	अवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना	54.60	03.07.2018	54.60		21
10	खण्डवा	राजगढ़ भाग सिंचाई परियोजना	148.75	31.10.2018	148.75		16
11	रतलाम	उमरान जलाशय	7.76	06.03.2019	7.76		13
12	रतलाम	गदाविद्या जलाशय	12.77	22.01.2019	12.77		14
		योग	488.74		492.16		
		कुलयोग	629.69		563.79		

परिशिष्ट 5.5

(कड़िका 5.7.6.1 में संदर्भित)

वन भूमि व्यवर्तन की स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन न करना

सं. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना	व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे.मै)	अनुमोदन का दिनांक	शर्त संख्या	शर्तों का संक्षेप	अनुपालन की स्थिति	विलंब माह में	क्या डीपीआर बनाए गए (हाँ/नहीं)	वसूल न की गई परियोजना लागत (यदि कोई हो)
1	सिंगरौली	निगाही ओपन कास्ट खदान	424.52	12.04.18	2 (i) xiii	सुरक्षा जोन के रूप संरक्षण मिट्टी के कटाव को कम करना और धाराओं को रोकना तथा गैप वृक्षारोपण	सुरक्षा क्षेत्र, मिट्टी के कटाव और धाराओं के चोक होने को कम करने तथा गैप वृक्षारोपण की योजनाएँ तैयार नहीं की गई थीं।	23	नहीं नहीं नहीं	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
2	दक्षिणी शहडोल	मैथन निष्कर्षण परियोजना	80.85	20.03.17	xxviii, xxix	गैप वृक्षारोपण तथा एस.एम.सी गतिविधि 5 कि.मी. की परिधि में तालाबों और अन्य जल निकायों की निकालना	डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया था	36	नहीं नहीं	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
3	दक्षिणी शहडोल	बतूरा ओपन कास्ट खदान	66.18	20.11.17 16.07.19	iii, xxiv, x, iii	नदी/नाला के बाहरी सीमा से 250 मीटर दूरी तथा पर्यावरण मंजूरी तक खनन गतिविधि नहीं की जाएगी। गैप वृक्षारोपण तथा मिट्टी एवं नमी संरक्षण गतिविधियाँ	इसको टी.ओ.आर. में शामिल नहीं किया गया था।	9	आवश्यक नहीं	उपलब्ध नहीं
4	छतरपुर	जिनदत्त मिनरल्स प्रा. लि.	4.896	05.08.15	11 7 9	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना। खनन किये गये क्षेत्र का सुधार गैप वृक्षारोपण तथा एस.एम.सी. गतिविधियाँ सुरक्षा जोन में बाड़ लगाना, सुरक्षा और पुनर्जनन एवं सुरक्षा क्षेत्र के 1.5 गुना पर आरडीएफ में वनीकरण करना।	गैप वृक्षारोपण तथा एसएमसी गतिविधियाँ हेतु न तो परियोजना तैयार की गई न ही निष्पादित किया गया। सुरक्षा जोन में कार्य तथा आरडीएफ हेतु योजना तैयार नहीं की गई। पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई सुधार योजना तैयार नहीं की गई। शर्तों का पालन नहीं किया गया।	56 56 56	आवश्यक नहीं नहीं नहीं	लागू नहीं उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
5	उत्तरी बैतूल	भूमिगत खनन क्षेत्र के लिए 39.82 हेक्टेयर (3.13 पीएफ)	39.82	20.12.19	6 (ए से इ), 7,8,9,10,11,14, 15,19	मिट्टी के कटाव को कम करने और धाराओं के चोक होने के उपाय। शुष्क मजबूत पौधों की प्रजातियों का रोपण। चोक डैम, रिटेंशन/टो वॉल का निर्माण। उपयुक्त ग्रेडिंग/बैंचिंग द्वारा ओवरबर्डन	कार्य निष्पादित नहीं किया गया।	4	नहीं	लागू नहीं

सं. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना	व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे.मै)	अनुमोदन का दिनांक	शर्त संख्या	शर्त का संक्षेप	अनुपालन की स्थिति	विलंब माह में	क्या डीपीआर बनाए गए (हां/नहीं)	बसूल न की गई परियोजना लागत (यदि कोई हो)
6	अनूपपुर	और हेक्टर राजस्व (वन) ग्राम-करियाउमारी का व्यपवर्तन	36.68	30.05.14	7,8,11	डम्स को स्थिर करना। निर्धारित शीर्ष मृदा प्रबंधन का कड़ाई से पालन। सेपटी जोन बनाया जाएगा। सुरक्षा क्षेत्र की सीमा पर बाड़ लगाना। अन्यत्र चयनित की जाने वाली निम्नीकृत वन भूमि पर सुरक्षा जोन के अन्तर्गत वन भूमि के डेढ़ गुणा क्षेत्रफल पर वनीकरण किया जाना था। सैप प्लांटिंग और एस.एम.सी. गतिविधियों का संचालन किया जाना था। खनन पट्टा एवं सुरक्षा जोन की सीमा का सीमांकन किया जाना था।	डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया।	70	नहीं	उपलब्ध नहीं
7	सिंगरौली	थर्मल प्रोजेक्ट (बैराज निर्माण)	765	20.11.17	4, 10, 17 एवं 19	कै.वी. विद्याचल-पुलिंग -जबलपुर ट्रांसमिशन लाइन	सीमांकन के लिए पिलर बनाना तथा मलबा निस्तारण और मृदा संरक्षण योजना तैयार करना।	निष्पादित नहीं किया गया।	28	आवश्यक नहीं
8	सिंगरौली	400 कै.वी. सिंगरौली-इलाहा बाद एकल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन	1,851	20.09.18	पीसीसीएफ (एलएम) पत्र दि. 01.05.13 12 एवं 17	बर्ड डिप्लेक्टर उपलब्ध कराना, व्यपवर्तित भूमि का सीमांकन, सर्किट ब्रेकर लगाना तथा मलबा निस्तारण की योजना बनाना	इन पेड़ों को काटने की कोई योजना नहीं बनाई गई।	18	नहीं	उपलब्ध नहीं
9	सिंगरौली	अम्लोरी ओपन कास्ट खदान	1,195	12.12.18	2(4), 2(14), एवं 2(15)	एपीसीसीएफ की रिपोर्ट में 113 पेड़ों की कटाई का प्रावधान है। सीसी पोल से सीमांकन एवं मलबा निस्तारण की योजना।	शर्त 12 और 17 का अनुपालन नहीं किया गया	18	आवश्यक नहीं	लागू नहीं
10	नौरादेही	एनएच-12 का अद्यतन	39.75	28.09.18	10, 17 एवं 18	शमन उपाय, सुरक्षा क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए योजना तैयार करना।	शमन उपायों और सुरक्षा क्षेत्र के लिए परियोजना तैयार नहीं की गई थी।	15	नहीं	उपलब्ध नहीं
11	नौरादेही	सोखेडा-सुहेला से हिनोता मार्ग, सोमखेडा से सुहेला मार्ग और तारादेही-बम्होरी से कोटखेडा मार्ग	14.26	29.01.16 एवं 30.01.16	5	बाउंड्री द्वारा फेंसिंग तथा मलबा निस्तारण एवं मृदा संरक्षण योजना तैयार करना	इन गतिविधियों के लिए डीपीआर तैयार नहीं किये गये और इसलिए धनराशि की मांग नहीं की गई।	18	नहीं	उपलब्ध नहीं
						वर्तमान सड़कों का कोई उन्नयन नहीं	सड़कों को बीटी रोड से सीसी रोड में बदलने का प्रावधान था।	51	आवश्यक नहीं	लागू नहीं

सं. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना	व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे.मै)	अनुमोदन का दिनांक	शर्त संख्या	शर्त का संक्षेप	अनुपालन की स्थिति	विलंब माह में	क्या डीपीआर बनाए गए (हाँ/नहीं)	बसूल न की गई परियोजना लागत (यदि कोई हो)
12	होशंगाबाद	सोनातलाई-बगर तवा रेलवे लाइन	12.54	13.04.18	4	बॉक्स पुलियों का निर्माण, कैंटल प्रूफ बैरियर, फेंसिंग, पानी के मुक्त-प्रवाह को सुनिश्चित करने के उपाय आदि।	डीपीआर तैयार नहीं किया गया।	23	नहीं	उपलब्ध नहीं
13	उत्तरी सागर	बीना सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना	1024.44	11.07.18	11, 12	पर्यावरण मंजूरी और जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना और वन्यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्वयन	भारत सरकार से पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट योजना लागू नहीं की गई और वन्यजीव संरक्षण योजना लागू नहीं की गई।	20	हाँ	4.23
14	दक्षिणी शहडोल	धनपुरी भूमिगत कोयला खदान	65	09.08.14	2 (viii)	खनन पट्टे की जमीन पर वन भूमि की फेंसिंग और वनीकरण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	निष्पादित नहीं किया गया	68	नहीं	उपलब्ध नहीं
					(ix)	खनन प्रेरित अवतलन के लिए उपयुक्त शमन उपाय करें		68	नहीं	उपलब्ध नहीं
15	दक्षिणी शहडोल	अमलाई ओपन कास्ट माइन	166.92	07.07.17	25, 26	फेंसिंग, सुरक्षा क्षेत्र वृक्षारोपण	प्रयोक्ता एजेंसी से मांगी राशि प्राप्त न होने के कारण निष्पादित नहीं किया गया।	33	हाँ	31.92
16	दक्षिण सागर	सूरजपुरा टैंक	28.9	20.05.15	एम.ओ.इ.एफ. सी.सी. के निर्देश	सी.ए.टी. योजना को अनुमोदित और कार्यान्वित किया जाना था	सी.ए.टी.पी. न ही अनुमोदित करवाया गया और न ही निष्पादित किया गया	69	नहीं	उपलब्ध नहीं
					12	मुनारा खड़ा करके सीमा का सीमांकन	सीमांकन का कार्य निष्पादित नहीं किया गया			
17	दक्षिण सागर	पारकुल मध्यम सिंचाई परियोजना	38.98	12.06.19	5	ए.पी.सी.सी.एफ. द्वारा सी.ए.टी. योजना का अनुमोदन और निष्पादन किया जाना था।	ए.पी.सी.सी.एफ. से सी.ए.टी. पी. न तो अनुमोदित करवाया गया और न ही निष्पादित किया गया।	10	हाँ	27.56 लाख
18	पूर्वी छिंदवाड़ा	सीताशिर में जलाशय नहर का निर्माण	36.18	28.04.17	6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जलाशय की परिधि में वृक्षारोपण किया जायेगा।	कार्यालय द्वारा कोई निगरानी नहीं की गई और न ही कोई अभिलेख, फोटो आदि संधारित किया गया है, जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि कार्य प्रयोक्ता अभिकरण/कार्यालय द्वारा किया गया है।	36	नहीं	उपलब्ध नहीं

सं. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना	व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे.मै)	अनुमोदन का दिनांक	शर्त संख्या	शर्त का संक्षेप	अनुपालन की स्थिति	विलंब माह में	क्या डीपीआर बनाए गए (हाँ/नहीं)	बसूल न की गई परियोजना लागत (यदि कोई हो)
19	ग्वालियर	के.वी. ग्वालियर-जयपुर डबल ट्रैसमिशन लाइन	49.99	25.05.14	11 2(xii)	व्यपवर्तित भूमि का सीमांकन कर चार फुट ऊँचे खम्भे स्थापित कर उन पर साधारण संख्या, दो स्तम्भों के बीच की दूरी आदि आवश्यक विवरण अंकित किया जाय।	कार्यालय द्वारा कोई निर्गमनी नहीं की गई और न ही कोई अभिलेख, फोटो आदि संधारित किया गया है, जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि कार्य प्रयोक्ता अभिकरण/कार्यालय द्वारा किया गया है।	36	लागू नहीं	लागू नहीं
20	ग्वालियर	के.वी. सतना-ग्वालियर ट्रैसमिशन लाइन	22.76	01.11.13	2(vii)	4 फीट ऊँचा पिलर लगाना था	पिलर लगाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।	72	हाँ	15.30
21	ग्वालियर	के.वी. बीना-ग्वालियर 3 एकल ट्रैसमिशन लाइन	27.99	03.03.14	2-(xi)	4 फीट ऊँचा पिलर लगाना था	पिलर लगाने का काम शुरू नहीं किया गया। यू.ए. से प्राप्त राशि को कैम्पा के स्थान पर राजस्व मद में जमा किया गया।	72	हाँ	11.68
22	ग्वालियर	सेन चिरैया होते हुए 765 के.वी. ग्वालियर जयपुर ट्रैसमिशन लाइन	20.77	03.11.15	12	4 फीट ऊँचा पिलर लगाना था	खम्भे लगाने कार्य शुरू नहीं किया गया।	60	हाँ	5.01
23	ग्वालियर	डी.आर.डी.ओ. का अनुसंधान एवं विकास केंद्र	472.08	19.03.2018	11 8 xix	पेड़ों की कटाई की लागत यू.ए. द्वारा जमा की जाएगी। मृदा संरक्षण योजना एन.बी.डब्ल्यू.एल. से अनुमति प्राप्त की जानी थी।	पेड़ों की कटाई में व्यय राशि यू.ए. से एकत्र नहीं की गई। मृदा संरक्षण योजना नहीं बनाई गई। अनुमति नहीं प्राप्त की गई।	24	हाँ	10.20
								24	नहीं	उपलब्ध नहीं
								24	आवश्यक	लागू नहीं

सं. क्र.	वनमण्डल का नाम	परियोजना	व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे.मै)	अनुमोदन का दिनांक	शर्त संख्या	शर्त का संक्षेप	अनुपालन की स्थिति	विलंब माह में	क्या डीपीआर बनाए गए (हां/नहीं)	वसूल न की गई परियोजना लागत (यदि कोई हो)
24	छतरपुर	छतरपुर मिनरल्स प्रा. पाइरोफिलाइट	4.95	25.01.17	7	परियोजना लागत पर सुरक्षा जोन क्षेत्र की फेंसिंग, सुरक्षा और बनीकरण।	शर्त का पालन नहीं किया गया।	39	नहीं	उपलब्ध नहीं
25	छतरपुर	एन एच 75/76 झांसी-खजुराहो	18.514	9.05.19	5	सड़क के दोनों ओर तथा मध्य किनारे पर पट्टीदार वृक्षारोपण करना।	शर्त का पालन नहीं किया गया।	10	नहीं	उपलब्ध नहीं
					7	वन क्षेत्र में उपयुक्त भूमिगत/उपरिगामी रास्ते का प्राक्धान	उपरिगामी/भूमिगत रास्ते के निर्माण के लिए स्थल चयन का सीमांकन नहीं किया गया था।	10	नहीं	उपलब्ध नहीं
					12	व्यपवर्तित वन भूमि की सीमा का सीमांकन किया जाएगा।	शर्त का पालन नहीं किया गया।	10	नहीं	उपलब्ध नहीं
26	उत्तरी बैतूल	ओबेदुल्लागंज-बैतूल एन एच-69 का उन्नयन	73.19	17.06.13 एवं 23.07.14	7	सड़क के दोनों ओर एवं मध्य में प्रयोक्ता एरेंसी के खर्च पर 10 वर्ष तक रख-रखाव की शर्त पर वृक्षारोपण करना होगा।	नहीं किया गया।	67	हाँ	52.86 लाख वसूल नहीं किया गया
27	उत्तरी बैतूल	सालीवाड़ा जलाशय योजना	0.5	10.05.16	13	चार फीट ऊँचा पिलर लगाकर व्यपवर्तित भूमि का सीमांकन	नहीं किया गया।	67	लागू नहीं	लागू नहीं
					10	व्यपवर्तित भूमि का चार फीट ऊँचे आरसीसी पिलर लगाकर सीमांकन करना	नहीं किया गया।	47	नहीं	लागू नहीं
28	उत्तरी बैतूल	होशंगाबाद, उत्तरी बैतूल, सिहोर तथा देवास के अंतर्गत 400 के.मी. सतपुड़ा-अष्टा विद्युत पारेषण लाइन	106.15	02.11.13	1 से 23	विभिन्न शर्तें	23 शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन न करना।	47	नहीं	लागू नहीं
					vii (d)	बोनी प्रजातियों (मुख्यतय: औषधीय पौधे) के वृक्षारोपण के संधारण और सृजन हेतु विस्तृत योजना का कार्यान्वयन	अनुपालन नहीं किया गया।	77	नहीं	वसूल नहीं किया गया
11 वनमण्डल					x	व्यपवर्तित भूमि का चार फीट ऊँचे आरसीसी पिलर लगाकर सीमांकन करना	अनुपालन नहीं किया गया	77	नहीं	वसूल नहीं किया गया
								84		
								4		
									अधिकतम	
									न्यूनतम	

परिशिष्ट 5.6
(कांडिका 5.7.7.2 में संदर्भित)
प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि की कम वसूली

सं. क्र.	वनमण्डल	प्रयोज्य एजेंसी	परियोजना	स्वीकृत दिनांक	व्यपवर्तित भूमि का क्षेत्रफल (हे.मै)	सी.ए. का क्षेत्रफल (हे.मै)	वसूली योग्य सी ए धनराशि	प्राप्त सी.ए. धनराशि	सी.ए. की शेष राशि	टिप्पणी
1	खण्डवा	जल संसाधन विभाग	पलासी लघु सिंचाई परियोजना	24.10.2018	17.16	17.16	169.84	88.65	81.19	प्रचलित से कम श्रम दर लागू करने के कारण
2	खण्डवा	उच्च दबाव निर्माण संभाग	220 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन	27.08.2018	4.65	9.30	161.56	127.10	34.46	प्रचलित से कम श्रम दर लागू करने के कारण
3	छतरपुर	एन.एच.ए.आई	एन.एच - 75 / 76	09.05.2019	18.51	40.00	134.49	104.27	30.22	10 वर्ष की रखरखाव अवधि को शामिल करने के कारण परियोजना को संशोधित किया गया था।
4	उत्तरी बैतूल	एन.एच.ए.आई	ओबैदुल्लागंज-बैतूल एन. एच. 69 का उन्नयन	17.06.2013 एवं 23.07.2014	73.19	147.19	259.56	0	259.56	सड़क के किनारे वृक्षारोपण की धनराशि वसूल नहीं की गई।
योग							725.45	320.02	405.43	

परिशिष्ट 5.7

(कांडिका 5.7.7.3 में संदर्भित)

एट्री प्वाइंट एक्टिविटीज, मानव संसाधन विकास तथा निगरानी एवं मूल्यांकन की कम वसूली/वसूली न करना

सं. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	व्यपवर्तित भूमि का क्षेत्र (हे.मै)	परियोजना लागत (लाख में)	के कारण वसूल योग्य राशि			के कारण वसूल की गयी राशि			कम वसूली (लाख में)	कम वसूली का कारण		
					इ.पी.ए.	एच. आर.डी.	एम. एवं ई.	योग	इ.पी. ए.	एच.आर. डी.			एम. एवं ई.	योग
1	इंदौर	लोटिया नाला तालाब	14.50	47.16	5.66	1.41	9.43	16.51	2.36	1.89	0.47	4.72	11.79	उपलब्ध नहीं
2	पूर्वी छिंदवाड़ा	सीताझीर टैंक	36.18	151.43	18.17	4.54	30.29	53.00	0	0	0	0	53.00	उपलब्ध नहीं
3	रतलाम	दुमाला टैंक व्यपवर्तन परियोजना	12.38	8.17	0.98	0.25	1.63	2.86	0	0	0	0	2.86	कम श्रम दर लागू करने के कारण
4	दक्षिणी सागर	हिलगन टैंक परियोजना	45.23	194.25	23.31	5.83	38.85	67.99	9.71	7.77	1.94	19.43	48.56	अनुदेश के अनुसार डी.पी.आर. को संशोधित नहीं किया गया।
5	दक्षिणी सागर	जमुतनया गौड परियोजना	39.94	289.66	34.76	8.69	57.93	101.38	14.48	11.59	2.90	28.97	72.42	अनुदेश के अनुसार डी.पी.आर को संशोधित नहीं किया गया।
		योग	148.23	690.67	82.88	20.72	138.13	241.74	26.55	21.25	5.31	53.12	188.63	

परिशिष्ट 5.8

(कांडिका 5.7.7.4 में संदर्भित)

पर्यवेक्षण शुल्क की कम वसूली/वसूली न करना

सं. क्र.	वनमण्डल	परियोजना का नाम	ई.पी.ए., एच.आर.डी. तथा एम एवं ई.सी.ए. की परियोजना लागत	वसूल योग्य पर्यवेक्षण शुल्क	वसूल किया गया पर्यवेक्षण शुल्क	कम वसूली	कम वसूली का कारण
1	अनूपपुर	एम.बी. पॉवर लिमिटेड	1,03,21,449	10,32,145	7,64,551	2,67,594	गणना में ई.पी.ए., एच.आर.डी. तथा एम एवं ई की लागत को शामिल न करना
2		हल्दीबाड़ी भूमिगत खदान	1,62,41,837	16,24,184	12,03,099	4,21,085	
3		शीतलधारा-कपिलधारा भूमिगत खदान	4,84,68,379	48,46,838	35,90,250	12,56,588	
4	ग्वालियर	महाराजपुरा वायु सेना स्टेशन	1,08,73,370	10,87,337	0	10,87,337	-
5	ग्वालियर	765 के.वी. ग्वालियर-जयपुर दोहरी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन	96,98,261	9,69,826	8,44,826	1,25,000	चेन लिंक फॉसिंग की लागत को शामिल न करना
		योग	9,56,03,296	95,60,330	64,02,726	31,57,604	

परिशिष्ट 5.9

(कांडिका 5.8.1.1 में संदर्भित)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण तैयार करना

सं. क्र.	वनमण्डल	परियोजना	वृक्षारोपण का क्षेत्र (हे.मै)	परियोजना लागत	भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति का वर्ष	डीपीआर कार्यान्वयन का वर्ष (डीपी के अनुसार)	डीपीआर कार्यान्वयन का आवश्यक वर्ष	वार्षिक श्रम दर वृद्धि (प्रतिशत में)	त्रुटि के कारण हानि
1	सिंगरौली	दुधिचुआ ओपन कास्ट माइनिंग	936	46,92,94,414	अप्रैल-18	2015-16	2017-18	10	11,12,55,506
2	दक्षिणी	धानपुरी खदान	65	8,95,51,558	जुलाई-14	2014-15	2016-17	10	80,67,038
3	शहडोल	अमलाई ओपन कास्ट माइन	8	31,91,933	जुलाई-17	2017-18	2019-20	10	6,70,306
4		मीथेन गैस परियोजना	77.05	3,10,09,592	जनवरी-18	2016-17	2018-19	10	65,12,014
5	दक्षिणी सागर	जमुनिया गौड सिंचाई परियोजना	39.94	3,18,62,441	जून-18	2017-18	2019-20	10	66,91,112
6		पारकुल सिंचाई परियोजना	39	3,55,57,500	जून-19	2017-18	2019-20	10	7,46,707
7	ग्वालियर	महाराजपुरा वायु सेना स्टेसन	17	1,08,73,370	अप्रैल-19	2020	2018	10	10,69,287
8	खण्डवा	220 के.बी. छनेरा ट्रांसमिशन लाइन	9.30	1,27,09,896	अगस्त-18	2017-18	2020-21	24.36 एवं 35.71	34,46,494
9	छतरपुर	छतरपुर मिनरल्स	4.95	55,01,452	जनवरी-17	2016-17	2019-20	10	11,55,304
10		झांसी-खजुराहो एन.एच.	40	1,11,15,224	मई-19	2018-19	2021-22	10	30,21,810
11	इंदौर	400 के.बी. खण्डवा-इंदौर ट्रांसमिशन लाइन	13.29	1,42,07,723	अगस्त-19	2018-19	2020-21	19	26,99,467
12	रतलाम	दुमाला तालाब व्यपवर्तन परियोजना	12.38	52,45,817	अगस्त-17	2017-18	2019-20	10	11,02,764
				योग					14,64,37,809

परिशिष्ट 5.10
(कांडिका 5.8.1.2 में संदर्भित)

पौधारोपण के लिए गलत स्थल का चयन

सं. क्र.	वनमण्डल	सी.ए. परियोजना	वृक्षारोपण	स्थल घनत्व	प्रावधानित पौधों की संख्या	निम्नस्तरीय स्थल की अन्य शर्तें
1	अनूपपुर	आर-12	25	0.5	15,625	निरंक
2		आर-46	25	0.5	15,625	निरंक
3	सिंगरौली	पी-89, 668, 293 एवं 408	136	सघन वन		निरंक
4	होशंगाबाद	पी-46	10	सघन वन		कम्पाटमेंट को चयन-सह-सुधार (एस.सी.आई) सर्कल के तहत वर्गीकृत किया गया था. गूगल मानचित्र वृक्षारोपण के को-ऑर्डिनेट्स पर उच्च घनत्व दर्शाते हैं।
5		पी-93, 289, 42, 106	119	0.5		एस.सी.आई सर्कल का 92 हे. का क्षेत्र शामिल है
6		पी-93	235	सघन वन	2,66,300	एस.सी.आई सर्कल के तहत कम्पाटमेंट, 2017-18 में कम्पाटमेंट के 90,246 हे. क्षेत्रफल में ड्रीटमेंट किया गया। तथापि, केवल 47,109 हे. में ही घनत्व 0.2 से 0.4 तक था।
7		194	25	0.5	15,625	कम्पाटमेंट में 1 से 2 मी. प्रत्येक व्यास के 5000 क्लम्प थे।
8		आर-205, 195	50	0.4 से अधिक		निरंक
9		368	100	0.6 से 0.8		कम्पाटमेंट को एस.सी.आई सर्कल के तहत वर्गीकृत किया गया था और इसमें 1 से 3 मीटर व्यास के 28270 क्लम्प थे और इस कम्पाटमेंट में केवल 31.3 हेक्टेयर क्षेत्र खाली था। कार्य योजना के अनुसार कम्पाटमेंट का 112.29 हेक्टेयर क्षेत्र 2020-21 में नियमित उपचार के लिए निर्धारित किया गया था।
10		377	100	0.6 से 0.8		कम्पाटमेंट को एस.सी.आई सर्कल के तहत वर्गीकृत किया गया था और इस कम्पाटमेंट में केवल 19,554 हेक्टेयर क्षेत्र खाली था। कम्पाटमेंट में 1 से 3 मी. व्यास के 33450 क्लम्प थे। कार्य योजना के अनुसार कम्पाटमेंट का 88.529 हेक्टेयर क्षेत्र का वर्ष 2018-19 में उपचार किया गया।
11	दक्षिणी शहडोल	आर एफ-992	50	0.5	50,000	निरंक
	योग		875			

परिशिष्ट 5.11

(कांडिका 5.11.2 में संदर्भित)

क्रय में अनियमितता

सं. क्र.	वनमण्डल	वित्त वर्ष	वस्तु/मद	वित्त वर्ष में व्यय राशि	सक्षम प्राधिकार	संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी	क्या निविदा की आवश्यकता थी (हाँ/नहीं)	क्या क्रय आदेशा विभाजित किया गया	यदि हाँ, कय आदेशों की संख्या
1	अनूपपुर	2017-18	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, ग्रिट, कृमि खाद आदि।	20,38,576	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	हाँ	नहीं	लागू नहीं
		2018-19	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, ग्रिट, कृमि खाद आदि।	95,39,319	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	हाँ	नहीं	लागू नहीं
		2019-20	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, ग्रिट, कृमि खाद आदि।	5,30,98,582	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	हाँ	नहीं	लागू नहीं
2	दक्षिणी शहडोल	2017-18	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, ग्रिट, कृमि खाद आदि।	46,67,919	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	नहीं	नहीं	लागू नहीं
		2018-19	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, ग्रिट, कृमि खाद आदि।	28,72,359	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	नहीं	नहीं	लागू नहीं
		2019-20	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, ग्रिट, कृमि खाद आदि।	11,70,069	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	नहीं	नहीं	लागू नहीं
3	दक्षिणी सागर	2017-18	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, रेत, धातु और स्टील	61,55,681	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	नहीं	नहीं	लागू नहीं
		2018-19	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, रेत, धातु और स्टील	2,17,44,500	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	नहीं	नहीं	लागू नहीं
		2019-20	आर.सी.सी. पोल, चैनलिक, सीमेंट, कंटीले तार, रेत, धातु और स्टील	2,34,50,587	सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	नहीं	नहीं	लागू नहीं
4	पूर्वी छिंदवाड़ा	2019-20	कंटीले तार	13,12,773	पी.सी.सी.एफ.	सी.सी.एफ.	नहीं	हाँ	13
		2019-20	चेन लिंक फेंसिंग	38,56,388	पी.सी.सी.एफ.	सी.सी.एफ.	नहीं	हाँ	8
5	खण्डवा	2018-19	चेन लिंक, फेंसिंग, कंटीले तार	79,03,421	पी.सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	हाँ	नहीं	लागू नहीं
		2019-20	चेन लिंक, फेंसिंग, कंटीले तार	39,94,225	पी.सी.सी.एफ.	डी.एफ.ओ.	हाँ	नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट 5.12
(कांडिका 5.11.4.4 में संदर्भित)
ई-ग्रीन वॉच पोर्टल का अद्यतन न करना

सं. क्र.	वनमण्डल	वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों की संख्या	पोर्टल पर प्रविष्ट प्रकरणों की संख्या	दर्ज की गई प्रविष्टियों में कमियां	2017-20 के दौरान प्राप्त धनराशि (₹ करोड़ में)	गतिविधियों की संख्या	मामलों की संख्या के संबंध में की गई प्रविष्टियां	प्रविष्टियों में कमियां
1	अनूपपुर	48	0	कोयला खदानों, सड़क निर्माण, बिजली संचयन, विभिन्न क्षमता वाली बिजली लाइन, पानी की पाइप लाइन और रेलवे लाइन के लिए व्यपवर्तन से संबंधित मामले गायब थे।	3.20	62	61	केवल वृक्षारोपण की प्रविष्टियों की गई थीं। एफएसआई के अनुसार उल्लिखित और गणना किए गए क्षेत्र, डिजिटल त्रुटियों तथा भारत के बाहर के पॉलीगन के बीच काफी अंतर था।
2	सिंगरौली	4	3	एक प्रकरण में प्रविष्टि नहीं की गई थी।	33.62	40	40	किए गए वृक्षारोपण का विवरण, वृक्षारोपण जर्नल और कार्य प्रगति (भौतिक और वित्तीय)
3	नौरादेही	0	0	—	65.93	12	0	वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 हेतु ₹ 63.23 करोड़ प्राप्त हुआ था तथापि पोर्टल पर कोई प्रविष्टि नहीं थी।
4	दक्षिणी सागर	152	7	—	11.94	91	114	केवल वृक्षारोपण की प्रविष्टियों की गई थीं। एफएसआई के अनुसार उल्लिखित और गणना किए गए क्षेत्र, डिजिटल त्रुटियों, तथा भारत के बाहर के पॉलीगन के बीच काफी अंतर था।
5	होशंगाबाद	47	47	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित गाँवों के लिए भूमि व्यपवर्तन का विवरण पोर्टल पर नहीं डाला गया था।	10.64	50	0	पोर्टल पर विवरण नहीं है।
6	सागर उत्तरी	46	20	एफएसआई द्वारा गणना किए गए क्षेत्र और उल्लेखित क्षेत्र में अंतर था	25.44	49	28	अधिक / कम क्षेत्रफल में कार्य। अपलोड किए मानचित्र स्थल मानचित्र से भिन्न थे।
7	पूर्वी छिंदवाड़ा	14	0	पूर्ण विवरण नहीं पाया गया।	21.90	121	0	पोर्टल पर विवरण नहीं है।
	योग	311	77		172.67	425	243	

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
ए.सी.एफ.	सहायक वन संरक्षक
ए.एच.पी.	ऐश हैंडलिंग संयंत्र
ए.पी.सी.सी.एफ.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
ए.पी.ओ.	संचालन की वार्षिक योजना
ए.पी.आर.डी.एस.	औक्सिलियरी प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी-सुपरहीटिंग सिस्टम
ए.टी.पी.एस.	अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र
नि.म.	निदेशक मंडल
सी ए	प्रतिपूरक वनीकरण
सी.ए.एफ	प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
कैम्पा	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
सी.ए.टी.	कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट
सी.सी.एफ.	मुख्य वन संरक्षक
स्व.वि.तं.	स्वच्छ विकास तंत्र
सी. ई.	मुख्य अभियंता
कें.वि.प्रा.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी.ई.आर.	उत्सर्जन-सीमा प्रतिबद्धता
कें.वि.नि.आ.	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग
सी.एच.पी.	कोयला संचालन संयंत्र
वा.सं.ति.	वाणिज्यिक संचालन तिथि
कें.प्र.नि.बो.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी.पी.यू.	कंडेनसेट पॉलिशिंग यूनिट
डी.सी	घोषित क्षमता
डी.एफ.ओ.(सा)	वनमण्डल अधिकारी (सामान्य)
डी. एन. ए.	नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनो
वि.स.स.	विशेषज्ञ सलाहकार समिति
ई.सी.	पर्यावरण मंजूरी
ई.डी.	कार्यकारी निदेशक
ईपीए	इंड्री प्वाइंट एक्टिविटीज
ई.पी.सी.	इंजीनियरिंग, क्रय एवं निर्माण
ईआरवी	परिवर्तित विनिमय दर
ई.एस.पी.	इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर
एफ.सी.ए.	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
एफ.डी.	वन विभाग

एफ.जी.डी.	फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन
एफ.ओ.	फर्नेस ऑयल
एफ.आर.	व्यवहार्यता प्रतिवेदन
एफ.आर.ए.	अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006,
एफ.एस.ए.	ईंधन आपूर्ति अनुबंध
जी.सी.बी.	ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू
जीओआई	भारत सरकार
जीओएमपी	मध्य प्रदेश शासन
जी.एस.एच.आर.	सकल स्टेशन ऊष्मा दर
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
एच.ओ.एफ.एफ.	वन बल प्रमुख
एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास
एच.सी.डी.	उच्च गति डीजल
आई.डी.सी.	निर्माण के दौरान बकाया ब्याज
आई.ई.डी.सी.	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय
भा.व.अ.	भारतीय वन अधिनियम, 1927
जे.पी.वाई.	जापानी येन
जे.वी.	संयुक्त उद्यम
कि.कै.	किलोकैलोरी
कि.मी.	किलो मीटर
कि.वॉ.ऑ.	किलो वॉट ऑवर
एल एण्ड टी	लार्सन एंड टर्बो
एल. डी.	परिनिर्धारित क्षति
एल.डी.ओ.	लाइट डीजल ऑयल
एल.एम.	भूमि प्रबंधन
एल. ओ. ए.	कार्यावंटन आदेश
मि.घ.मी.	मिलियन घन मीटर
एम. डी.	प्रबंध निदेशक
एम.ई.	निगरानी और मूल्यांकन
एम.ओ.सी.	कोयला मंत्रालय
एम.ओ.ई.एफ.	पर्यावरण और वन मंत्रालय
एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम.ओ.पी.	उर्जा मंत्रालय
म.प्र.वि.नि.आ.	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
म.प्र.प्र.नि.बो.	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
म.प्र.पॉ.ज.क.लि.	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
म.प्र.पॉ.मै.क.लि.	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड
म.प्र.रा.व.वि.नि.लि.	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
एम.टी.	मीट्रिक टन

एम.टी.पी.ए.	मिलियन टन प्रति वर्ष
एम.यू.	मिलियन टन
मे.वा.	मेगा वाट
एम.वॉय.टी.	बहुवर्षीय टैरिफ
एन.ए.पी.ए.एफ.	सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक
एन.सी.एल.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एन.जी.टी.	राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
एनओएक्स	नाइट्रोजन के ऑक्साइड
एन.पी.वी.	शुद्ध वर्तमान मूल्य
एन.टी.पी.सी.	नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन
एन.वी.डी.ए.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
ओ एंड एम	संचारण एवं संधारण
ओ.ई.एम.	मूल उपकरण निर्माता
पी.ए.एफ.	संयंत्र उपलब्धता घटक
पी.सी.सी.एफ.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
पी.एफ.	संरक्षित वन
पीएफसी	पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन
पी.जी.	निष्पादन गारंटी
वि.गृ.	विद्युत गृह
पी.एल.एफ.	संयंत्र भार घटक
पीएम	पर्टिकुलेट मैटर
पी.पी.ए.	विद्युत क्रय अनुबंधों
पी.वी.	मूल्य भिन्नता
आरएफ	सुरक्षित वन
आर.एम.यू.	रिंग मेन यूनिट
आर.ओ.ई.	पूंजी पर प्रतिलाभ
नि.वा.सं.ति	निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि
एस.सी.आर.	सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन
एस.ई	अधीक्षण यंत्र
एस.ई.सी.एल.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एस.जी.टी.पी.एस.	संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र
एस.एल.डी.सी.	स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर
एस.एल.एस.सी.	राज्य स्तरीय संचालन समिति
एस.एन.सी.आर.	सेलेक्टिव नॉन-कैटेलिटिक रिडक्शन
एसओटू	सल्फर डाइऑक्साइड
श्री सिं.ता.वि.के.	एस.एस.टी.पी.एस. श्री सिंगाजी ताप विद्युत केन्द्र
एस.टी.पी.एस.	सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र
एस.डब्ल्यू.ए.एस.	स्टीम एंड वॉटर एनालिसिस सिस्टम
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर कटौती

ता.वि.के.	ताप विद्युत केन्द्र
यू.ए.	प्रयोक्ता एजेंसी
सं.रा.ज.प.स.	संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
यूएसडी	यूएस डॉलर
डब्ल्यू.सी.एल.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डब्ल्यू.आर.डी.	जल संसाधन विभाग
डब्ल्यू.एस.ए.	जल आपूर्ति अनुबंध
वै.टी.	वैगन टिपलर

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in